खण्ड-323, अंक-6
मंगलवार, 18 कार्तिक, शक संवत् 1898
(9 नवम्बर, 1976 ई0)

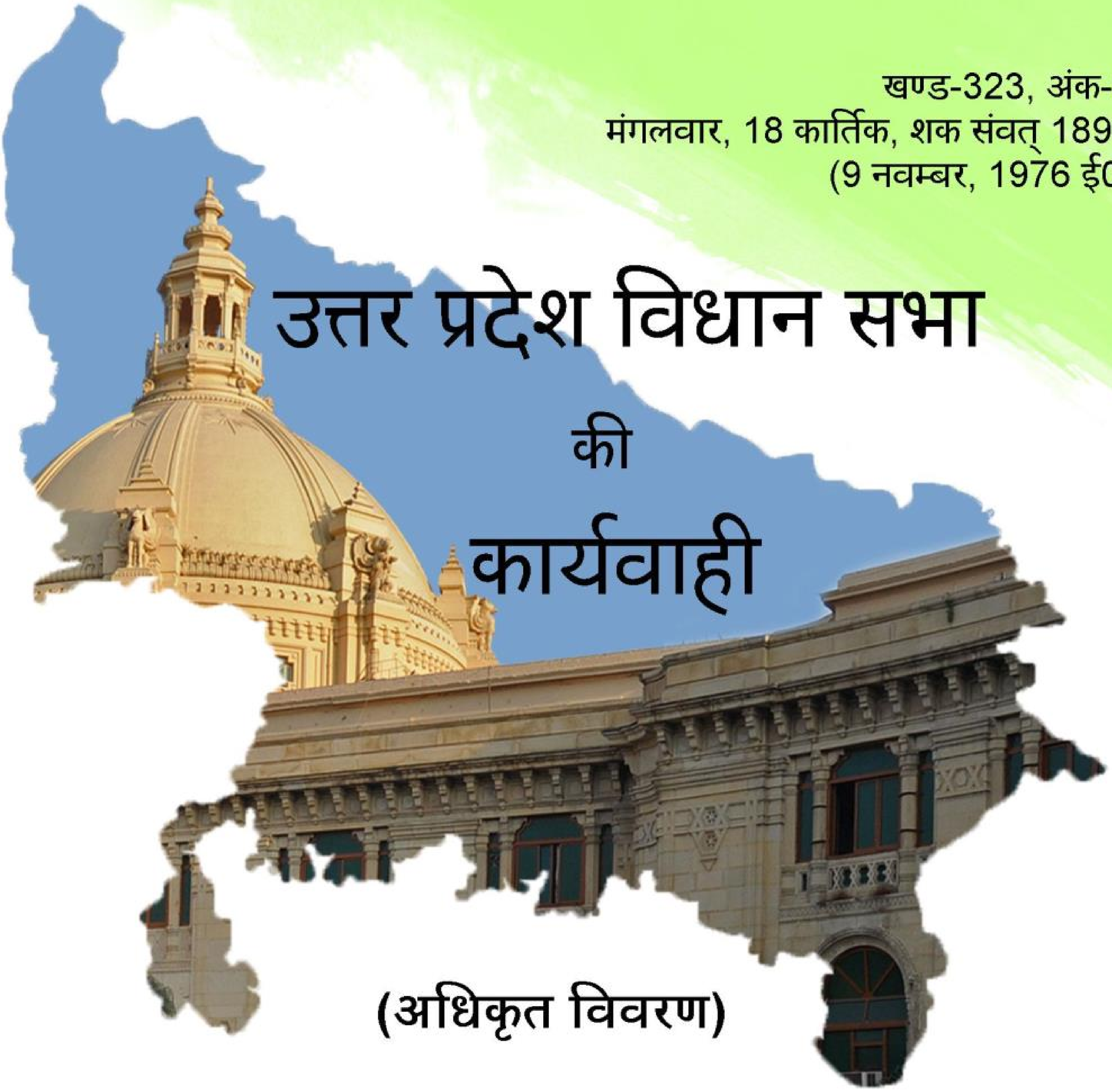

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 323 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1977

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	723-726
प्रश्नोत्तर	726-744
उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये) ..	744
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	745
भूतपूर्व सदस्य, श्री विशन लाल यादव के निधन पर शोकोद्गार ..	745-746
श्री शिव सम्पत्ति राम, सदस्य, विधान सभा की पैरोल पर रिहाई की सूचना ..	746
प्रदेश में सूखा एवं अकाल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	746-750
उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रान्सफारमर (चोरी का निवारण और दण्ड) विधेयक, 1976 (पुर:स्थापित किया गया)	751
वित्तीय वर्ष 1970-71 के अतिरिक्त अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—	
अनुदान संख्या 11—आयुक्त एवं जिला प्रशासन (स्वीकृत) ..	751
अनुदान संख्या 31—राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्वीकृत)	752
अनुदान संख्या 39—अधिवर्ष भत्ते और पेन्शनें (स्वीकृत) ..	752
अनुदान संख्या 41—लेखन सामग्री और मुद्रण (स्वीकृत) ..	752
अनुदान संख्या 49—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	752
अनुदान संख्या 50—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	753
उत्तर प्रदेश विनियोग (1970-71 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1976 (पुर:स्थापित एवं विचारोपरान्त पारित) ..	753-757
वित्तीय वर्ष 1971-72 के अतिरिक्त अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—	
अनुदान संख्या 6—स्टाम्प (स्वीकृत)	758
अनुदान संख्या 15—पुलिस (स्वीकृत)	758
अनुदान संख्या 16—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन (स्वीकृत) ..	758
अनुदान संख्या 31—राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्वीकृत)	758
अनुदान संख्या 36—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिए सहायक अनुदान (स्वीकृत)	759
अनुदान संख्या 37—परिवहन (स्वीकृत)	759
अनुदान संख्या 39—अधिवर्ष भत्ते और पेन्शनें (स्वीकृत) ..	759
अनुदान संख्या 48—बहु- प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	759
अनुदान संख्या 49—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	760
अनुदान संख्या 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	760
अनुदान संख्या 53—राज्य व्यापार की योजनाएं (स्वीकृत) ..	760
अनुदान संख्या 54—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	760
उत्तर प्रदेश विनियोग (1971-72 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1976 (पुर:स्थापित एवं विचारोपरान्त पारित) ..	761-763

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 1976-77 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा --	
वित्तीय वर्ष 1976-77 के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--	
अनुदान संख्या 1--राज्य विधान मन्डल (स्वीकृत) ..	763-793
अनुदान संख्या 3--मन्त्रि-परिषद् (स्वीकृत)	794
अनुदान संख्या 4--न्याय प्रशासन (स्वीकृत)	794
अनुदान संख्या 7--भू-राजस्व (स्वीकृत)	794
अनुदान संख्या 11--बिक्री-कर (स्वीकृत)	794
अनुदान संख्या 14--अल्प बचतों की प्रोन्नति (स्वीकृत) ..	795
अनुदान संख्या 18--सचिवालय (स्वीकृत)	795
अनुदान संख्या 19--जिला प्रसाशन (स्वीकृत)	795
अनुदान संख्या 20--कोषागार तथा लेखा प्रशासन (स्वीकृत) ..	795
अनुदान संख्या 21-- पुलिस (स्वीकृत)	795-796
अनुदान संख्या 24--सार्वजनिक निर्माण कार्य (स्वीकृत) ..	796
अनुदान संख्या 25--अन्य प्रशासनिक सेवाएं (स्वीकृत) ..	796
अनुदान संख्या 27--प्रकीर्ण सामान्य सेवायें (स्वीकृत) ..	796
अनुदान संख्या 28--शिक्षा (स्वीकृत)	796
अनुदान संख्या 29--कला एवं संस्कृति (स्वीकृत) ..	797
अनुदान संख्या 30--वैज्ञानिक सेवाएं एवं शोध (स्वीकृत) ..	797
अनुदान संख्या 31--चिकित्सा (स्वीकृत) ..	797
अनुदान संख्या 32--परिवार नियोजन (स्वीकृत) ..	797
अनुदान संख्या 33--सार्वजनिक स्वास्थ्य (स्वीकृत) ..	797
अनुदान संख्या 34--आवास भवन (स्वीकृत)	798
अनुदान संख्या 36--सूचना तथा प्रचार (स्वीकृत) ..	798
अनुदान संख्या 37--श्रम एवं सेवायोजन (स्वीकृत) ..	798
अनुदान संख्या 38--सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (स्वीकृत) ..	798
अनुदान संख्या 39--दैवी आपदाओं के कारण सहायता (स्वीकृत) ..	799
अनुदान संख्या 40--अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं (स्वीकृत)	799
अनुदान संख्या 41--सहकारिता (स्वीकृत)	799
अनुदान संख्या 42--विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र (स्वीकृत) ..	799
अनुदान संख्या 43--अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (स्वीकृत) ..	799-800
अनुदान संख्या 44--कृषि (स्वीकृत)	800
अनुदान संख्या 45--सामुदायिक विकास (स्वीकृत) ..	800
अनुदान संख्या 47--क्षेत्र विकास (स्वीकृत)	800
अनुदान संख्या 48--खाद्य तथा पोषाहार (स्वीकृत) ..	800
अनुदान संख्या 49--पशुपालन (स्वीकृत)	801
अनुदान संख्या 50--दुग्ध शाला विकास (स्वीकृत) ..	801
अनुदान संख्या 51--मत्स्य उद्योग (स्वीकृत)	801
अनुदान संख्या 54--ग्राम एवं लघु उद्योग (स्वीकृत) ..	801-802
अनुदान संख्या 55--खाने तथा खनिज (स्वीकृत) ..	802
अनुदान संख्या 57--राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्वीकृत)	802
अनुदान संख्या 58--सिंचाई अधिष्ठान (स्वीकृत)	802

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 59—सिविल विमानन (स्वीकृत)	802
अनुदान संख्या 60—संचार साधन (स्वीकृत)	803
अनुदान संख्या 61—कार्यात्मक भवन (स्वीकृत)	803
अनुदान संख्या 65—पर्यटन (स्वीकृत)	803
अनुदान संख्या 66—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण (स्वीकृत)	803
अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	804
अनुदान संख्या 68—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	804
अनुदान संख्या 70—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	804
अनुदान संख्या 71—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	804
अनुदान संख्या 72—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	805
अनुदान संख्या 73—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	805
अनुदान संख्या 74—विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	805
अनुदान संख्या 76—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	805
अनुदान संख्या 77—सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	806
अनुदान संख्या 81—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	806
अनुदान संख्या 83—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	806
अनुदान संख्या 84—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	806
अनुदान संख्या 85—पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	807
अनुदान संख्या 87—ऋण और अग्रिम—शिक्षा (स्वीकृत) ..	807
अनुदान संख्या 88—ऋण और अग्रिम-स्वायत्त शासन (स्वीकृत) ..	807
अनुदान संख्या 90—ऋण और अग्रिम-उद्योग (स्वीकृत) ..	807
अनुदान संख्या 91—ऋण और अग्रिम-सहकारिता (स्वीकृत)	807–808
अनुदान संख्या 92—ऋण और अग्रिम-कृषि (स्वीकृत) ..	808
उत्तर प्रदेश विनियोग (1976-77 का अनुपूरक) विधेयक, 1976 (पुरःस्थापित एवं विचारोपरान्त पारित)	808–814
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	814
खाद्य अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 (जारी)	814–816
सदन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	816
खाद्य अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 (पारित)	816–818
उत्तर प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण (पथ-कर) विधेयक, 1976 (पारित)	818–820
उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रान्सफारमर (चोरी का निवारण और दन्ड) विधेयक, 1976 (पारित)	820–826
नत्थियां	827–833

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 9 नवम्बर, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में दिन में, 11 बजकर 5 मिनट पर अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—271

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां
अनवार मोहम्मद, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्र पाल सिंह, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
ईश्वरी सिंह, श्री
उमा नाथ, श्री
ऊदल, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद लोधी, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नारायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री

जागेश्वर, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दघीच सिंह, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्मचन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजुराम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निर्भय नरायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यार लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रभु नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृज पाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मनीराम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह, श्री (एडवोकेट)
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री

मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहम्मद हयात, हाजी
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम निहोर, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम बाबू मिश्र, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पान्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नारायन पांडे, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश संसदीय

सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हरप्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुबराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगणा, श्री

नोट--ग्राम्य विकास राज्य मन्त्री, श्री हबीबुर्रहमान नोमानी भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 9 नवम्बर, 1976

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

पंचायत राज अधिकारी, गोन्डा का ब्लाक प्रमुख कटरा बाजार के साथ अभद्र व्यवहार

*1--श्री दीप नारायण पांडेय (जिला गोंडा)--

क्या पंचायत राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोन्डा जिले में पंचायत राज अधिकारी ने दिनांक 14 मई, 1976 को ब्लाक प्रमुख, कटरा बाजार, गोंडा से अभद्र व्यवहार किया, जिसकी शिकायत गोंडा के तीन विधायकों ने मंत्री से किया है तथा क्या यह भी सही है कि इनकी नियुक्ति गोन्डा जिले में दुबारा की गई जो अनियमित है तथा इनके खिलाफ घूसखोरी व पक्षपात के भी आरोप हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

ग्राम्य विकास राज्य मन्त्री (श्री हबीबुर्रहमान नोमानी)--

यह सही है कि माननीय प्रश्नकर्ता विधायक के साथ दो अन्य विधायकों के हस्ताक्षर से एक शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ जिसके साथ श्री रामचन्द्र मिश्र ब्लाक प्रमुख, कटरा बाजार का पत्र दिनांक 14 मई, 1976 इस आशय का संलग्न था कि उनके साथ श्री चन्द्रशेखर पान्डे, जिला पंचायत राज अधिकारी, गोन्डा ने अभद्र व्यवहार किया। इस शिकायत की जांच की गई लेकिन कोई ऐसे तथ्य प्रकाश में नहीं आए जिससे कथित अभद्र व्यवहार किए जाने की पुष्टि हो सके। अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

2--यह भी सही है कि श्री चन्द्रशेखर पांडे, जिला पंचायत राज अधिकारी की नियुक्ति गोन्डा जनपद में दुबारा की गई लेकिन इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई क्योंकि इस जनपद में इनकी पिछली नियुक्ति अब से 20 वर्ष पूर्व हुई थी और वर्तमान नियुक्ति के समय गोन्डा में स्थान रिक्त था।

3--श्री चन्द्रशेखर पाण्डे के विरुद्ध घूसखोरी, पक्षपात आदि के सम्बन्ध में कुल पांच शिकायती-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से तीन पत्र निराधार पाए गए। चौथे शिकायती-पत्र पर यह प्रमाणित हुआ कि पंचायत सेवकों का माह दिसम्बर, 1975 तथा जनवरी व फरवरी, 1976 का वेतन विलम्ब से दिया गया। यह विलम्ब खण्ड विकास कार्यालय से वितरण प्रमाण-पत्र समय से प्राप्त न होने से हुआ।

4--पांचवें शिकायती-पत्र पर अभी जांच पूरी नहीं हो पायी है।

श्री दीप नारायण पाण्डेय--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो जांच आपने करवाई वह किसने की ? क्या उस ब्लाक प्रमुख ने अपने बयान में अप्लीकेशन दिया है जिसको कि सपोर्ट नहीं किया गया है ? आप किस आधार पर कह रहे हैं कि शिकायत निराधार है ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी--

यह जांच जिला विकास अधिकारी ने किया है। ब्लाक प्रमुख से जब बयान लिया तो उन्होंने बयान दिया और अपनी बात को ठीक से नहीं कह पाए।

श्री दीप नारायण पाण्डेय--

जिला विकास अधिकारी ने बयान लिया या नियोजन अधिकारी ने बयान लिया है। लेकिन पंचायत राज अधिकारी ने ब्लाक प्रमुख के साथ बदतमीजी किया और गाली दिया। शासन और नौकरशाही इस बात को छिपा रहे हैं तो इससे कोई हल नहीं निकलने वाला है।

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी--

मान्यवर, यह कोई तथ्य छिपाने का प्रश्न नहीं है। मैं इस बात के हक में हूं कि यदि विधायक नहीं चाहते हैं कि वह वहां रहें, तो मैं नहीं चाहता कि वह वहां बने रहें।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक ब्लाक प्रमुख जनता का प्रतिनिधि है जिसके साथ जिला पंचायत राज अधिकारी ने अभद्र व्यवहार किया और इस बात को 3 विधायक प्रमाणित करते हैं। तो क्या यह काफी प्रमाण नहीं है ? उनके कथन को बल नहीं दिया जा रहा है और नौकरशाही को बल दिया जा रहा है। इन बातों पर उसका न्यूनतम दन्ड ट्रान्सफर किया जाय जो कि नहीं किया जा रहा है। तो क्या नौकरशाही ऐसा ही करती रहेगी ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी--

मान्यवर, जहां तक जांच का सवाल है जिला विकास अधिकारी ने जो जांच किया है उसमें यह कहा है कि जिस समय यह वहां पहुंचे थे वहां वह बगल में मौजूद थे। शोर-गुल होने पर वहां पहुंचे थे और पहुंचकर मामले को रफा-दफा किया। उनका (ब्लाक प्रमुख) कहना है कि पंचायत सेवक से मैं मिलने गया था और उन्होंने (पंचायत राज अधिकारी) ने अभद्र व्यवहार किया। मेरा कहना है कि अगर उनके खिलाफ असन्तोष है, तो उनको हटा दिया जायगा।

श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला आगरा)--

माननीय मन्त्री जी ने अभी फरमाया कि जांच जिलाधिकारी ने की और बयान प्लानिंग आफीसर ने लिए तो जांच यदि जिलाधिकारी ने की तो बयान प्लानिंग आफिसर ने कैसे लिए ? जिलाधिकारी ने जो जांच की है तथा जांच की रिपोर्ट क्या है क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

जांच नियोजन अधिकारी ने की।

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

जांच उसी ने की है जो मौजूद थे वहां पर, ऐसा मालूम पड़ता है।

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी--

जिला विकास अधिकारी ने की।

श्री दीप नारायण पाण्डेय—

मान्यवर, मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है, इसमें जो भ्रष्टाचार की शिकायत है मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस सारे भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच आप किसी उच्च अधिकारी से करवायेंगे ? मेरी इन्फारमेशन है कि इसमें इतना पैसा लिया और पैसा लेकर प्रमोशन किया और उनके खिलाफ गम्भीर आरोप होते हुए भी दुबारा नियुक्त किया गया फिर भी शासन उसके खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन नहीं देती है। क्या कोई आश्वासन मन्त्री जी देंगे ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी—

माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में लिखेंगे तो उच्च अधिकारी द्वारा जांच करा दी जायगी।

श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि अभी उन्होंने स्वयं बताया कि कार्यालय में हल्ला-गुल्ला हुआ। इसके माने कोई झगड़ा हुआ और जो विकास अधिकारी स्वयं वहां गए जो व्यक्ति हल्ले-गुल्ले का स्वयं दर्शक था वह वहां गया। इसमें क्या कठिनाई है कि ऐसे अधिकारी के बारे में इतना ही साबित हो गया कि उसके कार्यालय में हल्ला-गुल्ला हुआ और कोई झगड़ा हुआ। इसके बाद कोई जांच हुई। कौन सी ऐसा आवश्यकता मन्त्री जी को थी कि उस अधिकारी का स्थानान्तरण भी नहीं किया गया ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी—

मैंने यह बताया कि जहां तक जिला विकास अधिकारी की जांच है उस जांच में वह आरोप साबित नहीं हुआ। वह तो हल्ला-गुल्ला आम बात देर तक हुई हो उसके बाद रफा-दफा हो गया।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

जो शिकायत की गई थी उसका अनुमोदन तीन विधायकों ने किया था। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि तीन विधायकों ने जो अनुमोदन किया था क्या जिला अधिकारी ने उनसे पूछ-तांछ की ? उनकी क्या आख्या उस सम्बन्ध में है ? क्या उन्होंने आवेदन-पत्र में, बयान में दस्तखत दिए हैं ? आपके पास है ? क्यों नहीं ऐसा माना जाय कि बयान ही नहीं लिए गए। विधायकों से पूछतांछ ही नहीं की गयी। जिला विकास अधिकारी ने अपने मन से रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी।

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी—

यह बात सही है कि विधायकों से जहां तक मेरी सूचना है अब तक कोई बयान नहीं लिए गए लेकिन जो ब्लाक प्रमुख हैं, उनसे लिए गए ।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यदि विधायकों से बयान नहीं लिए गए तो उनकी ही संस्तुति को सत्य मान कर उस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी—

श्रीमन्, ऐसा है कि जब तक किसी सरकारी अफसर के खिलाफ शिकायत की जांच न करा ली जाय तब तक उसको दन्डित नहीं किया जा सकता।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या श्री दीप नारायण पाण्डेय जी की सूचना को सही मानते हुए उक्त अधिकारी का तुरन्त तबादला करायेंगे और उसकी उच्च अधिकारी से जांच करायेंगे ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी—

मैंने पहले कह दिया कि माननीय सदस्य चाहते हैं तो उनका स्थानान्तरण कर दिया जायगा।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय खेर साहब ने एक रूलिंग दी है कि यदि विधायक स्वयं देखता हो तो आफिसर के मुकाबले उसकी बात माननी चाहिये तो श्री दीप नारायण पाण्डेय जी ने देखा और दो अन्य विधायकों ने देखा, तो माननीय मन्त्री जी इस बात को नहीं मानना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न उठाया गया है उस सम्बन्ध में मैं, भूतपूर्व विधान सभा अध्यक्ष, श्री खेर साहब के निर्णय से शत प्रतिशत सहमत हूं।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

तबादला कोई सजा नहीं है, इसमें सम्बन्धित लोगों को मुअत्तल कर देना चाहिए ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय पांडे जी, आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और व्यवस्था में जब भूतपूर्व विधान सभा अध्यक्ष, माननीय आत्मा राम गोविन्द खेर की जो व्यवस्था थी, उसकी ओर ध्यान आकृष्ट कराया, तो मैं यह व्यवस्था देता हूं कि मैं, श्री खेर जी की व्यवस्था से सहमत हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि शासन इस पर ध्यान दे। अब वह क्या कार्यवाही करे, यह तो हम नहीं कह सकते।

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी—

माननीय पाण्डेय जी ने जो बात कही, उसमें कहा है कि विधायकों ने देखा है परन्तु विधायकों ने वास्तव में देखा नहीं है बल्कि प्राप्त शिकायती-पत्र को अपने पत्र के साथ संलग्न कर दिया है। देखने की बात नहीं है।

[विधान सभा के प्रथम सत्र 1975 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित श्री देवी सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 19 का संशोधित उत्तर]

जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मुरादाबाद, में गबन

मूल प्रश्न

*19—क्या सहकारिता मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला सहकारी बैंक, मुरादाबाद में वहां के कर्मचारियों द्वारा अब तक कितने धन का अपहरण का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो अपहृत धन में से अब तक कितना वसूल हुआ है तथा शेषधन वसूल न होने का क्या कारण है।

मूल उत्तर

जिला सहकारी बैंक, लिमिटेड, मुरादाबाद में वहां के कर्मचारियों द्वारा अब तक 50 हजार रुपए का अपहरण का मामला प्रकाश में आया है। अपहृत धन में से अभी तक कोई धन वसूल नहीं हुआ है। मामला पुलिस की विवेचना में है। विवेचना पूर्ण होने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

संशोधित उत्तर

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री विजय कुमार)—

जिला सहकारी बैंक लि0, मुरादाबाद में वहां के कर्मचारियों द्वारा पचास हजार रुपए के अपहरण का मामला प्रकाश में आया था। अपहृत धन में से अब तक कोई धन वसूल नहीं हुआ है। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 18 अप्रैल, 1970 को आरोप-पत्र प्रेषित कर दिया गया था।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मूल उत्तर जो पहले मन्त्री जी के विभाग के अधिकारियों द्वारा ही दिया गया था और अब संशोधन किया जा रहा है तो जिन लोगों ने आपकी जबान से या किसी और मन्त्री जी की जबान से गलत उत्तर दिलवाया था उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

सहकारिता मन्त्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

अभी यह नोटिस में आया है और जो आपने बात कही है, वह ठीक है। यह मुरादाबाद बैंक का मामला है, मैं उसको देख लूंगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कुछ न कुछ कार्यवाही होगी।

श्री प्यारे लाल—

18 अप्रैल, 1970 के बाद अब क्या स्थिति है ?

श्री विजय कुमार—

इसमें सूचना की आवश्यकता है, इस वक्त कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है।

श्री ऊदल—

माननीय मन्त्री जी जानते हैं कि सप्लीमेन्टरी तो होगा ही, तो फिर उन्हें तैयार रहना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष—

वह तो कह दिया कि अनुपूरक होते हैं तो इसके लिए माननीय मन्त्री जी को तैयार होना चाहिए था।

[मंगलवार, 9 नवम्बर, 1976 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

देवरिया के कतिपय विकास खण्डों में त्वरित योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़क

*1—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1973-1974 व 1974-75 में देवरिया जनपद की पडरौना तहसील के पडरौना विकास खंड तथा विशुनपुरा विकास खंड में त्वरित योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी सड़कें बनाई गईं ?

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

वर्ष 1971-72 से 1974-75 तक की अवधि में देवरिया जनपद के पडरौना तहसील के पडरौना विकास खंड में ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत पडरौना कुबेर नाथ सड़क का निर्माण कराया गया है। विशुनपुरा विकास खन्ड में उक्त योजना के अन्तगत किसी सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है।

*2—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (अनुपस्थित)—

क्या मन्त्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि चालू वर्ष 1976-77 में उपरोक्त दोनों विकास खंडों में कितनी सड़कें त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित हैं तथा निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाएगा ?

श्री रामजी लाल सहायक—

ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना वर्ष 1974-75 के समाप्त हो जाने के कारण अब किसी सड़क का निर्माण प्रस्तावित नहीं है, अत: निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा की सहकारी समितियों में गबन

*3—श्री ऊदल—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा की 16 सहकारी समितियों में 20 लाख रु0 का गबन प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने लोग पकड़े गए, कितने लोगों पर मुकदमा कायम किया गया और आगे की प्रगति क्या है ?

श्री विजय कुमार—

अल्मोड़ा जिले में 16 में नहीं बल्कि 20 सहकारी समितियों म गबन के मामले प्रकाश में आए हैं। इन सब मामलों में रुपए 8,54,026.10 का आरोपित गबन अंकित किया गया है न कि 20 लाख रुपए का। इन सभी मामलों में 44 अभियुक्त हैं जिनमें से 21 अभियुक्त पकड़े गए हैं। इन 20 मामलों में से एक मामले में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई है, 5 मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं और शेष 14 विवेचनाधीन हैं।

श्री ऊदल—

यह प्रकाश में कब आए, विवेचना किसके द्वारा कराई गयी और कब तक विवेचना पूर्ण हो जायगी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

दिनांक 23 अक्तूबर, 1959, 5 मई, 1973 को मामले प्रकाश में आए। 1974 तथा 1975 के भी मामले हैं।

श्री ऊदल—

सन् 1959 से 1976 तक के मामले हैं तो इतना समय क्यों लगा ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

सन् 1959 वाला मुलजिम मर गया। वैसे अलग-अलग मामले हैं, जिनमें से कुछ में केसेज चल रहे हैं। कुछ कोर्ट में हैं और कुछ मामलों में इन्क्वयारी चल रही है।

श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

मुलजिम जब मर गया, तो जो धन गबन किया गया क्या वह उसके वारिसों से वसूल किया जाएगा?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

ऐसे मामलों में यह देखना पड़ेगा कि किसी पर जिम्मेदारी फिक्स हो सकती है या नहीं ? इस केस में चालान हुआ था, इन्क्वायरी चल रही थी, इस बीच में वह मर गया। अब उस इन्क्वायरी को पूरा करा कर जिम्मेदारी फिक्स कराई जाय, यह सब देखना होगा।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

मुलजिम को मरे कितने वर्ष हो गए ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

यह सूचना तो मेरे पास है नहीं।

वाराणसी के कतिपय मार्गों पर बन्द की गयी नगर बस सेवाएं

*4—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले की कठिरांव, फूलपुर, बड़ा गांव, गड़सड़ा तथा और स्थानों की सिटी बसें चालीस फीसदी किराया बढ़ा दिए जाने से बन्द हो गई हैं और यह किराया 12 किलो मीटर एरिया शहर से नहीं बढ़ाया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया और क्या इस किराये की वृद्धि से आम जनता सिटी बसों को छोड़ कर प्राइवेट बसों से आती जाती है ? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है ?

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त)—

कठिरांव, बड़ागांव, गड़सड़ा, फूलपुर की नगर बस सेवायें 40 प्रतिशत किराया बढ़ाए जाने के कारण घाटे पर चलने के फलस्वरूप बन्द की गई हैं। यह बढ़ा हुआ किराया नगर के 12 किलोमीटर के बाद से लगता है। 12 किलोमीटर तक सिटी का किराया ही नगर सेवाओं में लगता है, जो ग्रामीण रेट से कम है। शटल बस सेवायें चूंकि किराए वृद्धि के अलाभकारी सिद्ध हो रही थीं अत: इन्हें बन्द करना पड़ा। परिवहन निगम

की इन शटल सेवाओं के बन्द होने से जनता को प्राइवेट गाड़ियों से ही आना जाना होता है। ये मार्ग अराष्ट्रीयकृत हैं और इनमें निजी वाहनों का ही संचालन होता है। इनके किराए भी निगम के बढ़े हुए किराए से कम हैं। फूलपुर स्थान जौनपुर-वाराणसी राष्ट्रीयकृत मार्ग पर पड़ता है जहां निगम की 30 ग्रामीण सेवायें चल रही हैं। दिनांक 7 जुलाई, 1976 से वाराणसी-फूलपुर राष्ट्रीयकृत मार्ग पर शटल सेवा भी ग्रामीण सेवा की तरह चल रही है।

श्री ऊदल—

वाराणसी-फूलपुर रोड पर सिटी बस सर्विस चलती थी। वाराणसी से एक मील फूलपुर है तो क्या माननीय मन्त्री जी इसे भी सिटी बस सर्विस मे जोड़ देंगे ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो सके ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

मान्यवर, माननीय सदस्य का सुझाव स्वीकार्य है।

श्री अध्यक्ष—

यह शब्द अराष्ट्रीयकृत का क्या अर्थ है। यह शब्द अनुपयुक्त है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

यह जिस मार्ग की बात कह रहे हैं वह राष्ट्रीयकृत है। इनकी मांग है कि वाराणसी से फूलपुर चलाई जाय जिसको मैंने स्वीकार कर लिया है।

कृषि विभाग के बिना लोक सेवा आयोग का अनुमोदन प्राप्त अधिकारी एवं कर्मचारी

*5—श्री राम सुन्दर पान्डेय—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कृषि विभाग में लगभग 5,000 अधिकारी एवं कर्मचारी बिना लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के पदोन्नत होकर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

कृषि राज्य मन्त्री (श्री चेतराम गंगवार)—

कृषि विभाग में लगभग 1543 अधिकारी एवं कर्मचारी बिना लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के तदर्थ विभागीय प्रोन्नति द्वारा कार्य कर रहे हैं। जनहित में पदों को रिक्त रखना सम्भव नहीं है।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

क्या कृषि मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन कर्मचारियों को लोक सेवा आयोग से अलग कर दिया गया है या लोक सेवा आयोग के पास इन पदों को विज्ञापित करने के लिए कोई प्रचार ही नहीं हुआ है ?

कृषि मन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

मान्यवर, लगभग दो वर्षों तक डायरेक्टर एग्रीकल्चर, अतिरिक्त निदेशक, कृषि और संयुक्त निदेशक, कृषि लोक सेवा आयोग से बाहर सरकार द्वारा ही चयन करने का मामला चलता रहा। इस कारण विलम्ब हुआ। सरकार ने तय किया है कि उच्चस्तरीय कमेटी द्वारा यहीं चयन होगा।

इसके अतिरिक्त जो लेखाधिकारी होते हैं उनकी भी इन्ट्रीग्रेटेड फाइनेन्स सर्विस बना दी गई है। इनका मामला भी कृषि विभाग से निकाल लिया गया है।

तीसरी बात 209 राजपत्रित अधिकारी हैं, उनमें से 118 के मामले लोक सेवा आयोग को अनुमोदन के लिए भेजे हैं। उसमें लोक सेवा आयोग ने कुछ जानकारी की है। उसमें भी कोशिश है कि जल्दी हो जाय। इसके अतिरिक्त करीब 1334 अराजपत्रित कर्मचारी हैं, उनमें से 116 के नाम लोक सेवा आयोग को अनुमोदन के लिए भेजे गए हैं। इसके अतिरिक्त बी0 एल0 डब्ल्यू0 और ए0 डी0 ओ0 (एग्रीकल्चर) हैं। उनमें

कुछ हाईकोर्ट से स्टे लेते रहे हैं जिस कारण से विलम्ब हुआ। इस पर भी मैं स्वीकार करता हूं कि लोक सेवा आयोग की अनुमति प्राप्त करने में विलम्ब हुआ है, जिसके लिए कल दिनांक 10 नवम्बर मैंने मुकर्रर कर दिया है, हमारे अधिकारी और कृषि निदेशक बैठकर इसके सम्बन्ध में निस्तारण की व्यवस्था करें।

श्री ऊदल—

जिन अधिकारियों का अभी तक स्थायीकरण नहीं हुआ है क्या उनको जब से प्रोन्नति हुई है, तब से इनको ग्रेच्युटी आदि की सुविधाएं प्राप्त होंगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, सुविधाएं तो नियमानुसार अवश्य प्राप्त होंगी।

बिना लोकसेवा आयोग अनुमोदन प्राप्त सहकारिता विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी

*6—श्री राम सुन्दर पान्डेय—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सहकारिता विभाग में लगभग सौ अधिकारी एवं लगभग 500 कर्मचारी बिना लोकसेवा आयोग के अनुमोदन के पदोन्नति लेकर कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री विजय कुमार—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री राम सुन्दर पान्डेय—

यह सूचना कब तक एकत्र हो जाएगी?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

मैंने अपने विभाग के लोगों की मीटिंग बुलाई है। उसमें मालूम करेंगे कि कौन-कौन लोग हैं। चारों तरफ से सूचना लेने की कोशिश करेंगे और इसकी सूचना देने के लिए कहेंगे। यह भी कोशिश करेंगे कि इस मामले में तय कर दिया जाय।

भूमि विकास बैंक, पडरौना के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*7—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भूमि विकास बैंक, पडरौना में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में 1 अप्रैल, 1975 से 18 अप्रैल, 1975 तक कितने शिकायती-पत्र प्राप्त हुए तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

1 अप्रैल, 1975 से 18 अप्रैल, 1975 तक 4 शिकायती-पत्र प्राप्त हुए। इन शिकायतों की जांच की गयी और शाखा प्रबन्धक को निलम्बित कर दिया गया है, दोषी पाए गए डीलर को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है तथा उक्त शाखा के सभी कर्मचारियों का प्रशासनिक दृष्टि से स्थानान्तरण भी कर दिया गया है।

कृषि विभाग के कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

*8—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य के कृषि विभाग में हजारों कर्मचारी व अधिकारी 15 वर्ष से सेवारत रहने के बाद भी अस्थायी हैं? यदि हां, तो उन्हें स्थायी करने में क्या कठिनाई है और कब तक उन्हें स्थायी कर दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

राज्य सड़क परिवहन निगम, इलाहाबाद क्षेत्र के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान

*9—श्री बाबू लाल वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद मन्डल के राज्य परिवहन निगम के 10 हजार कर्मचारी अवकाश ग्रहण करने के पश्चात् भी अपने भविष्य निधि का भुगतान पाने से वंचित हैं? यदि हां, तो भुगतान न करने के कारण क्या हैं? क्या इस सम्बन्ध में परिवहन कर्मचारी संयुक्त परिषद् ने कोई ज्ञापन पत्र भी सरकार को इस वर्ष दिया है? यदि हां, तो ज्ञापन-पत्र क्या है तथा उस पर क्या कायवाही की गई?

परिवहन मन्त्री (श्री शिव प्रसाद सिंह)—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, इलाहाबाद क्षेत्र में 10 हजार कर्मचारियों ने अवकाश ग्रहण नहीं किया है बल्कि इस प्रकार के कर्मचारियों की संख्या निगम बनने के पश्चात् कुल 240 है जिसमें से 26 सामान्य भविष्य निर्वाह निधि (जी0पी0एफ0) तथा 214 कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) से शासित हैं। इस क्षेत्र में 10 हजार कर्मचारियों के अवकाश ग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि इस क्षेत्र में लगभग 4000 से कम ही कर्मचारी कार्यरत हैं।

यह कर्मचारी अपने अन्तिम भुगतान से इसलिए वंचित हैं क्योंकि निगम बनने के पश्चात् महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय से वित्तीय वर्ष 1972-73 से 1974-75 तक के लेखापर्ची प्राप्त नहीं हो सके थे और न तो वे इस कार्य का निस्तारण ही कर रहे थे और इसीलिए ही सभी कर्मचारी अपने भविष्य निधि के वार्षिक अवशेष धनराशि की जानकारी से भी वंचित थे। ऐसी हालत में धनराशि का भुगतान करना उपयुक्त नहीं था क्योंकि कर्मचारी अपने वास्तविक धनराशि के भुगतान की मांग करते थे और विभाग द्वारा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश तथा भविष्य निधि आयुक्त द्वारा निर्गमित किए गये लेखापर्ची के आधार पर ही नियमानुसार भुगतान किया जाता है। इस सम्बन्ध में परिवहन कर्मचारी संयुक्त परिषद्, इलाहाबाद शाखा द्वारा एक ज्ञापन सरकार को भेजा गया था जिसमें उल्लिखित था कि "महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से पिछले तीन वर्षों से वार्षिक लेखापर्ची न होने के कारण कर्मचारियों में बड़ा क्षोभ व्याप्त है।" इस ज्ञापन को आधार मानकर क्षेत्रीय लेखा अधिकारी तथा कर्मचारी द्वारा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किया गया और वे 1974-75 तक की लेखापर्चियों की लगभग फरवरी, 76 में प्रेषित कर दिए जिसका वितरण कर्मचारियों में कर दिया गया। कुछ ही कर्मचारियों के लेखापर्ची में छूटी हुई जमा राशि (Missing Credit) होने के कारण अशुद्धता थी जिसके शुद्धीकरण के लिए अब भी प्रयत्न जारी है और यह आशा की जाती है कि समस्त लेखा पर्चियां दिसम्बर, 1976 तक महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्राप्त ही जायंगी।

जिला परिषद् गोरखपुर द्वारा पशुओं की खाल व हड्डी के व्यापार हेतु दिया गया ठेका

*10—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर में मरे हुए पशुओं के चमड़े छुड़ाने, उसे पकाने और उससे सामग्री बनाने के लाइसेन्स देने का कोई आदेश 73-74 में जिला परिषदों को दिया गया था? यदि हां, तो उसकी सालाना फीस क्या है? क्या मरे हुए पशुओं की खाल, सींग तथा हड्डी इकट्ठा करने और उनका व्यापार करने की फीस भी कोई निर्धारित की है? यदि हां, तो उसका रेट क्या है? पिछले दो वर्षों में अलग-अलग हर मदों में जिला परिषद् को क्या आमदनी हुई है?

श्री रामजी लाल सहायक—

वर्ष 1973-74 में शासन से कोई आदेश नहीं भेजे गए थे और न ही जिला परिषद्, गोरखपुर ने इसके निमित्त कोई शुल्क ही लिया था।

*11—श्री अब्दुल रऊफ लारी (अनुपस्थित)—

क्या यह भी सही है कि मरे हुए पशुओं की खाल, सींग तथा हड्डी इकट्ठा करके व्यापार करने की फीस की वसूली करने के लिए ठेका दे रखा है और ठेकेदारान मनमाने ढंग से जबरिया पुलिस की सहायता से चोरी-चोरा चमड़ा मन्डी, जनपद गोरखपुर में ही पैसा वसूला करते हैं और कोई पक्की रसीद पूरे रुपए अंकित करके दस्तखत करके नहीं देते हैं? यदि हां, तो सरकार इस दुर्व्यवस्था को रोकने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री रामजी लाल सहायक—

वर्ष 1975-76 में जिला परिषद् द्वारा ठेका दिया गया था परन्तु उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित होने के कारण कोई कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी। किसी ठेकेदार द्वारा पुलिस से मिलकर जबरदस्ती पैसा वसूलने की कोई सूचना जिला परिषद्, गोरखपुर को नहीं है।

*12-13—श्री त्रिवेणी सहाय—

[5वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9-10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

श्री डी० एस० कपूर, क्षेत्रीय प्रबन्धक मेरठ क्षेत्र, राजकीय सड़क परिवहन निगम के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच

*14—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि श्री डी0एस0 कपूर, क्षेत्रीय प्रबन्धक, मेरठ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश रा0 स0 परिवहन निगम के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप हैं? यदि हां, तो इनमें क्या जांच तथा कार्यवाही की गई?

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

श्री डी0एस0 कपूर के विरुद्ध आरोपों के सम्बन्ध में अभी जांच की जा रही है। एक अन्य आरोप के सम्बन्ध में जांच पूरी हो जाने के पश्चात् जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री कपूर से 2904 लीटर मोबिल आयल के मूल्य की वसूली का आदेश दे दिया गया है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि श्री कपूर के विरुद्ध आरोप कब प्राप्त हुए और कौन उनमें चांच कर रहा है?

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सतर्कता आयोग को यह जांच सुपुर्द है और उनके खिलाफ जो शिकायती-पत्र आया था, वह और सारी फाइल सतर्कता आयोग के पास ही है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या यह सही नहीं है कि उक्त अधिकारी अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, जबकि आरोपों की जांच अभी चल रही है और जो 2904 लीटर मोबिल आयल के मूल्य की वसूली के आदेश उनसे हुए हैं क्या उसके लिए शासन ने उनके अवकाश प्राप्ति के बाद उनकी देय धनराशि रोक रखी है?

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

यह सही है कि श्री कपूर सेवा-निवृत्त हो चुके हैं और उनकी जांच सतर्कता आयोग द्वारा की जा रही है। माननीय सदस्य ने जो यह जानने की कोशिश की कि क्या श्री कपूर के विरुद्ध पेन्शन और ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु रोक लगी है, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि श्री कपूर के पेन्शन और ग्रेच्युटी का भुगतान भी रोक दिया गया है।

*15—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

*16—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

[प्रथम मंगलवार (2-11-76) में तारांकित प्रश्न संख्या 11 पर उत्तरित।]

जिला परिषद्, कानपुर की बैंकों में जमा की गयी धनराशि

*17—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिला परिषद् का कितना रुपया बैंकों में जमा है, क्या आज के निर्माण के इस युग में (लम्बी) लाखों रुपयों की धनराशि बैंक में जमा करके कानपुर की जिला परिषद् ने विकास और निर्माण के कार्य में अवरोध पैदा कर दिया है। यदि हां, तो क्यों और इस धनराशि को जिले के निर्माणकार्य में लगा कर विकास किया जाएगा ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी—

जिला परिषद्, कानपुर का लगभग 21,29,000 रुपया डाकखाने की सावधि निक्षेप में तथा लगभग 3, 42,000 रुपए बैंक के चालू खाते में जमा है।

इस धनराशि के जमा किए जाने के फलस्वरूप निर्माण कार्यों में अवरोध नहीं पैदा हो रहा है। चूंकि इस धनराशि की तत्काल व्यय की आवश्यकता नहीं थी, अतः इसे ब्याज से आमदनी प्राप्त होने के लिए जमा कर दिया गया है।

जमा धनराशि विभिन्न मदों की है और ज्यों-ज्यों निर्माण तथा अन्य मदों पर तत्काल व्यय की आवश्यकता होती है, धनराशि निकाल कर व्यय की जाती है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिला परिषद्, कानपुर के अन्तर्गत धनाभाव के कारण तमाम निर्माण के कार्य अधूरे पड़े हैं जबकि इसके द्वारा एक लम्बे समय से 25 लाख रुपया बैंक में जमाकर उसका पैसा खाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि यह रुपया बैंक से निकालकर निर्माण कार्य में लगाया जाय ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी—

जितना भी रुपया जमा है, वह सब का सब निर्माण कार्यों का नहीं है, वह मुख्तलिफ मदों का है, जैसे 1 लाख 47 हजार आडिट फीस का है और 1 लाख 19 हजार पंचायतों का है आदि। निर्माण कार्य के लिए जो अनुदान या धन सरकार द्वारा दिया जाता है, उससे निर्माण कार्य शुरू होने पर आवश्यकता होने पर उनका वह रूपया खर्च होता है। किन्तु जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, यह निर्णय लिया है कि उनको लिखा जाए कि निर्माणकार्य में विलम्ब नहीं होना चाहिये और यह मुनासिब नहीं है कि धन को फिक्स्ड डिपाजिट या और कहीं जमा कर उसका सूद लिया जाय।

सहकारी श्रम संविदा लि०, बाराबंकी के आडिट नोट की आपत्तियां

*18—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मन्त्री को ज्ञात है कि बाराबंकी सहकारी श्रम संविदा लि०, बाराबंकी के वर्ष 1972-73, 1973-74 व 1974-75 की लेखा परीक्षा आपत्तियों की जांच करने के पश्चात् लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, बाराबंकी ने जून के अन्त में रिपोर्ट दी है जिसमें हजारों रुपए का घोटाला व अन्य अनियमिततायें पाई गई हैं। यदि हां, तो सहायक निबन्धक, बाराबंकी द्वारा उसपर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

जी हां। प्रश्नगत आडिट नोट जिला सहायक निबन्धक, बाराबंकी के कार्यालय में दिनांक 21 जुलाई, 1976 को प्राप्त हुआ। उक्त आडिट नोट पर जिला सहायक निबन्धक, बाराबंकी द्वारा जांच कराई जा रही है। जांचोपरान्त दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

*19—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[4-5-76 को तारांकित प्रश्न संख्या 31 द्वारा उत्तरित।]

*20—श्री श्रीनारायण—

[2रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 35 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

कृषि विभाग में नियुक्त किए गए उपकृषि निदेशक

*21—श्री रघुनाथ (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि कृषि विभाग के सांख्यकीय कार्य में सुचारुता लाने हेतु लखनऊ, बरेली, इलाहाबाद मंडलों के मुख्यालयों पर एक-एक उप कृषि निदेशक के पद का सृजन किया गया है और उसकी नियुक्तियां भी अक्तूबर, 1975 में कर दी गई थीं परन्तु अभी तक सम्बन्धित अधिकारियों को उक्त मुख्यालयों पर न भेज कर कृषि निदेशालय में ही तैनात कर रखा है ? यदि हां, तो क्यों और उन्हे कब तक मन्डलों के मुख्यालय पर भेज दिया जाएगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां, सांख्यिकीय कार्य के लिए तीन पद उप निदेशकों के सृजित किए गए थे। इन पदों को बाद में लखनऊ, बरेली एवं इलाहबाद में रखते हुए, नियुक्तियां अक्तूबर, 1975 में की गयी थीं। किन्तु बाद में वर्ष 1975-76 के परिव्यय में कमी होने के कारण मितव्ययता एवं कार्य हित में तीन क्षेत्रीय पदों को मुख्यालय से ही सम्बद्ध कर दिया गया था। इन्हें फिलहाल मन्डलीय मुख्यालयों पर भेजने का कोई विचार नहीं है।

राजकीय सड़क परिवहन निगम, वाराणसी व गोरखपुर मन्डल की बसों की मरम्मत के सम्बध में सतर्कता अधिष्ठान की जांच

*22—श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि राजकीय सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश के वाराणसी व गोरखपुर मन्डल में बसों के इंजन की मरम्मत (ओवर-हालिंग) वर्ष 1974-75 में एक निजी फर्म "अशोका आटोमोबाइल्स, गोरखपुर" द्वारा आठ हजार रुपए में विभाग द्वारा कराई गई जबकि वही मरम्मत (ओवर हालिंग) विभागीय केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर में मात्र साढ़े सात हजार में करती थी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

इस सम्बंध में सतर्कता में जांच की जा रही है।

*23—श्री शारदा प्रसाद रावत (अनुपस्थित)—

क्या यह भी सही है कि विभागीय केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर के मरम्मत किए हुए इन्जन एक लाख किलो मीटर तक सेवा पुन: देते थे और अशोका आटोमोबाइल्स के मात्र चालीस हजार किलोमीटर तक ही दे रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

इस सम्बन्ध में सतर्कता में जांच की जा रही है।

परियोजना अधिकारी (कृषि), गोंडा के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

*24—श्री दीप नारायण पान्डेय —

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 2 व 3 जून, 1976 को संयुक्त कृषि निदेशक (प्रशासन), उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने गोन्डा परियोजना अधिकारी, गोन्डा के विरुद्ध कोई जांच की थी तथा जनपद गोन्डा के कई जन प्रतिनिधि लोगों ने परियोजना अधिकारी, गोन्डा के विरुद्ध अपने बयान दिए थे ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चेतराम गंगवार—

जी हां।

जांच रिपोर्ट बीज भन्डारों में उपलब्ध पुराने रेट की खाद को पुराने रेट पर बेच कर नये रेट पर बेचना दिखाना, पुराने बांटों की मरम्मत एवं नवीनीकरण आदेशों का परिपालन न करना, खाद में मिलावट तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को निलम्बन के पश्चात् शीघ्र बिना समुचित दन्ड दिए पुन: पदारुढ़ करने से सम्बन्धित आरोपों के बारे में है। अन्तिम जांच आख्या अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई है। अतएव कार्यवाही का प्रश्न नहीं है।

श्री दीपनारायण पान्डेय—

आपकी आज्ञा से कृषि मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि इतना गम्भीर आरोप इस अधिकारी के खिलाफ लगाया गया। जो मेरी इन्फारमेशन है, उसके अनुसार वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जांच करके रिपोर्ट भेज दी है, कृषि मन्त्री को क्यों नहीं मिली, नहीं कह सकता, जिसमें चार्ज है 40 हजार रुपए की खाद एक बीज गोदाम से मार्च के महीने में बिकी। उसके पहले खाद बिकी नहीं। पुराने रेट की खाद नए रेट में मार्च में दिखायी गयी। मार्च में किसान को खाद की आवश्यकता नहीं होती है। इसको टाल दें। जब जवाब आ जाय, तब दें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने जानकारी अब दी है, यह बात सही है कि जिला अधिकारी महोदय ने उपनिदेशक, चकबन्दी से जांच करायी। बीरेपुर सीड स्टोर से इस प्रकार की, जैसी माननीय सदस्य ने जानकारी दी है, शिकायत प्रकाश में आयी है। दूसरे, संयुक्त निदेशक, कृषि द्वारा दूसरी और शिकायतों की जांच करायी गयी है। अक्तूबर, 1976 में उन की रिपोर्ट आ चुकी है। दिनांक 4 नवम्बर, 1976 को अब इस शासन को प्राप्त हुई है। शासन के विचाराधीन है। उनका वहां से स्थानान्तरण कर दिया गया है। अगर किसी भी प्रकार के दोष साबित होंगे, तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायगी।

श्री दीपनारायण पान्डेय—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से पूछना चाहता हूं कि जब रिपोर्ट कृषि मन्त्री जी को प्राप्त हुई है, क्या यह बात सही नहीं है कि मार्च के महीने में खाद की बिक्री हुई, जब कि फरवरी, जनवरी, दिसम्बर और नवम्बर में किसान को खाद की ज्यादा आवश्यकता होती है, तब नहीं बिकी, इससे साफ-साफ जाहिर होता है कि उस अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया है 40 हजार रुपए का गबन किया है ?

श्री अध्यक्ष—

उसका जवाब मन्त्री जी ने दिया है कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

माननीय मन्त्री को दिनांक 4 नवम्बर, 1976 को रपोर्ट प्राप्त हो गयी है, उस रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं, कार्यवाही तो बाद में करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, एक तो यह है कि पहली रिपोर्ट जो डिप्टी डाइरेक्टर, चकबन्दी ने दी है, बीरेपुर सीड स्टोर पर 16 मार्च से पहले बिकी हुई खाद, जब कम रेट थे, बाद में ज्यादा हो गए। बाद में दिखायी गयी। इस प्रकार धन का दुरूपयोग किया गया। उसके अलावा संयुक्त निदेशक, कृषि ने जांच की, कुछ आदमियों को निलम्बित किया और फिर बहाल कर दिया। इसी प्रकार की और भी शिकायतें हैं। चार तारीख को रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अभी मेरे सामने प्रस्तुत नहीं की गयी है।

विकास क्षेत्र जैतीपुर, शाहजहांपुर में हरिजनों के लिए कूप निर्माण की मांग

*25—श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र, जैतीपुर में चालू वित्तीय वर्ष में कितने पेय जल कूपों का हरिजनों के लिए निर्माण होना है और वह किन-किन गांवों में और क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि भूतपूर्व विधायक, सुरेन्द्र विक्रम सिंह ने कितने पत्र जून, जुलाई, तथा अगस्त, 1976 में जिलाधिकारी, शाहजहांपुर तथा जिला विकास अधिकारी, शाहजहांपुर को हरिजनों के लिए पेय जल के लिए कूप निर्माण हेतु लिखे और उन पर तत्काल क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामजी लाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*26—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[4थे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

शाहजहांपुर में उर्वरक की कथित कमी और कटरा स्थित कृषि रक्षा केन्द्र

*27—श्री मोहम्मद रफी खां (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मन्त्री को पता है कि शाहजहांपुर में मार्च, 1976 से सल्फेट अमोनिया व कैल्सियम खाद उपलब्ध नहीं होने से पर्याप्त मात्रा में धान व मूंगफली में उर्वरक नहीं दिया जा सका और क्या यह भी सही है कि विकास क्षेत्र, जैतीपुर में कोई कृषि रक्षा केन्द्र भी नहीं है और न ही स्प्रे मशीन उपलब्ध है ? यदि हां, तो तत्काल इस आवश्यक आवश्यकता के प्रति शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी नहीं।

जैतीपुर विकास खन्ड का कृषि रक्षा केन्द्र, जैतीपुर में भवन न मिलने के कारण कस्बा कटरा में स्थापित है।

जी नहीं। विकास खंड में 5 शक्ति चालक स्प्रेयर तथा 12 हस्त एवं पद चालक मशीने उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी कृषि फार्मों के लाभ व हानि का विवरण

*28—श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि प्रदेश में कौन-कौन सरकारी कृषि फार्म हैं और वह कहां स्थित हैं ? उनमें से प्रत्येक में अलग-अलग पिछले 3 वर्षों में कितना-कितना सरकार को मुनाफा या हानि हुई है ? और दिनांक 31 मार्च, 1976 तक कुल कितना नुकसान या फायदा हुआ है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रदेश में स्थित सरकारी कृषि फार्मों का विवरण तथा प्रत्येक के पिछले तीन वर्षों के लाभ-हानि के आंकड़े संलग्न † प्रदर्श 1 में अंकित हैं। चूंकि कृषि फार्मों का लेखा वर्ष दिनांक 31 मई, 1976 को समाप्त होता है, अतएव दिनांक 31 मार्च, 1976 तक का विवरण प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

---

†छापी नहीं गई।

गन्ना सहकारी समिति, बभनान, बस्ती द्वारा किसानों से अल्पबचत योजना में काटी गयी धनराशि

*29—श्री दशरथ सिंह (जिला गोन्डा) (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मन्त्री को यह जानकारी है कि गन्ना सहकारी समिति, बभनान, जिला बस्ती ने किसानों के गन्ने के खरीद के दाम के भुगतान के समय पर किसानों से उनके सट्टे के हिसाब से अल्प बचत योजना में काफी धन सीजन 1974-75 में काट लिया था ? किन्तु अभी तक उक्त धन को किसी भी बैंक में जमा नहीं किया है और न काश्तकारों को एन० ए स० सी० अथवा पास बुक ही दिया है ? यदि हां, तो उसके अल्प बचत का धन न जमा करने का कारण क्या है तथा उक्त अनियमितता करने का जिम्मेदार कौन है और उसके खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

इस समिति को सीजन 1974-75 में गन्ना किसानों से 1,35,866.00 रुपया अल्प-बचत योजना में कटौती द्वारा प्राप्त हुआ था जिसे पोस्ट आफिस के सेविंग्स बैंक खाते में जमा कर दिया गया है। कुछ कृषकों के नाम से एन० एस० सी० खरीदे जा चुका हैं शेष के लिए खरीदने की कार्यवाही की जा रही है ।

*30—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

[4थे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

अतारांकित प्रश्न

गन्ने की फसल में पायरिला रोग और उस पर नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यवाही

1—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष 1976-77 में प्रदेश में गन्ने की फसल में जोरों से पायरिला रोग का प्रकोप बढ़ गया है ? यदि हां, तो सरकार ने पायरिला से गन्ने की फसल सूखने से बचाने के क्या उपाय किए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

जी हां, गन्ने की फसल पर पायरिला कीट का प्रकोप प्रदेश के कुछ जिलों मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तथा बुलन्दशहर में अधिक बढ़ गया था। इन क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का अधिनियम, 1954 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1954) की धारा 3 के अन्तर्गत महामारी क्षेत्र घोषित करके केन्द्रीय विशेषज्ञ के परामर्शानुसार प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय एवं हवाई नियन्त्रण विधियों द्वारा इस कीट पर पूर्ण नियन्त्रण पा लिया गया है।

मथुरा के सादाबाद-पुरा मार्ग की मरम्मत की मांग

2—श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को इसकी जानकारी है कि मथुरा जनपद के सादाबाद विकास खंड में सादाबाद-पुरा मार्ग जो कि त्वरित योजना के अधीन बना है वह अपूर्ण है तथा जो हिस्सा बना है वह बहुत खराब है व टूट गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जितना धन इसमें व्यय दिखाया गया उसका आधा भी नहीं लगाया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामजी लाल सहायक—

उक्त मार्ग का निर्माण कार्य त्वरित् योजनान्तर्गत धनाभाव के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका। अधिक वर्षा के कारण इस मार्ग की दशा खराब हो गयी है । इस मार्ग पर हुए व्यय के औचित्य की जांच शासन द्वारा कराई गई। जांच रिपोर्ट विचाराधीन है।

3—श्री त्रिवेणी सहाय—

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

रायबरेली के विकास खण्ड डीह के कार्यालय भवन का निर्माण

4—श्री दीना नाथ सेवक (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद रायबरेली के विकास खंड-डीह के कार्यालय निर्माण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कार्य कब से प्रारम्भ होगा और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामजी लाल सहायक—

निर्माण कार्य मार्च, 1976 से चल रहा है लगभग 85% कार्य पूर्ण भी हो चुका है। प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय सहकारी समिति, जहांगीराबाद, बुलन्दशहर के ऋण की वसूली और सम्पत्ति रजिस्टर का वेरीफिकेशन

5—श्री खचेड़ू सिंह मोहरिया (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी क्षेत्रीय समिति; जहांगीराबाद बुलन्दशहर में जून 1975 व 1976 में ऋण वसूली का कितनी प्रतिशत रहा? यह वसूली ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा हुई अथवा नगद भुगतान द्वारा?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

क्षेत्रीय सहकारी समिति लि0, जहांगीराबाद, बुलन्दशहर में सहकारी ऋण वसूली का प्रतिशत समिति एवं सदस्यों के मध्य जून, 1975 को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष में 70.6 तथा जून, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में 55.4 रहा। सभी वसूली नगद भुगतान द्वारा हुई।

6—श्री खचेड़ू सिंह मोहरिया—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी समिति, जहांगीराबाद बुलन्दशहर का स्पेशल आडिट किस वर्ष में हुआ था? क्या यह सही है कि विगत 5 वर्षों से सम्पत्ति रजिस्टर का वेरीफिकेशन नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों? क्या मन्त्री महोदय इस समिति का वेरीफिकेशन कराने की कृपा करेंगे?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

जहांगीराबाद सहकारी समिति का स्पेशल आडिट अभी नहीं हुआ।

सम्पत्ति रजिस्टर का वेरीफिकेशन वर्ष 1975-76 में 11 ग्रामों का हुआ था। शेष 8 ग्रामों के सम्पत्ति रजिस्टर का वेरीफिकेशन तत्कालीन सचिव एवं संचालक मन्डल द्वारा नहीं कराया गया।

वेरीफिकेशन कराए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

इलाहाबाद में अधिक समय से कार्यरत सहकारी सुपरवाइजर

7—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में कितने ऐसे सहकारी सुपरवाइजर है जो इसी जिले में लगभग 10 वर्ष से कार्यरत है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

एक, इस पर्यवेक्षक का भी स्थानान्तरण हुआ था किन्तु स्थानान्तरण की तिथि से सेवा निवृत्ति की अवधि एक वर्ष से कम होने के कारण मानवीय आधार पर स्थानान्तरण निरस्त किया गया है।

8—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[10वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

नैनीताल में विधायकों को आवास का आवंटन

9—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सम्पत्ति अधिकारी, लखनऊ के पास वर्ष 1976 के जून माह हेतु नैनीताल में मकान (क्वार्टर्स) अलाटमेन्ट के कुल कितने प्रार्थना-पत्र विधायकों के प्राप्त हुए और किन-किन विधायकों को नैनीताल में क्वार्टर अलाट किए गए ?

श्री शिव प्रसाद—

वर्ष 1976 के जून माह में नैनीताल में मकान एलाटमेंन्ट हेतु विधायकों के कुल 131 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। इनमें से कुल 70 विधायकों को जून माह 1976 में नैनीताल में आवास आवंटित किए गए। उनकी सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 827–828 पर।)

जैतीपुर विकास खन्ड, शाहजहांपुर में लघु कृषक विकास योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि

10—श्री मोहम्मद रफी खां—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर विकास खंड, जैतीपुर में दिनांक 31 जुलाई, 1976 तक लघु कृषक विकास योजना के अन्तर्गत कितने कृषकों को लाभ पहुंचा और चालू वित्तीय वर्ष में कितना धन सरकार द्वारा इस योजना के लिए विकास क्षेत्र, जैतीपुर को आबंटित किया गया ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जनपद शाहजहांपुर में लघु कृषक विकास परियोजना के प्रारम्भ से दिनांक 31 जुलाई, 1976 तक जैतीपुर विकास खंड में 261 कृषकों को लाभान्वित किया गया। चालू वित्तीय वर्ष में शाहजहांपुर लघु कृषक विकास परियोजना के लिए 33.00 लाख की धनराशि का परिव्यय स्वीकृत किया गया है जिसमें से जैतीपुर विकास खंड के कृषकों को भी लाभान्वित किया जाएगा।

11—श्री अनवार जमील—

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

12–13—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[5वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न 15-16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बलिया, तहसील रसड़ा में लघु कृषक विकास योजनान्तर्गत कृषकों को दी गई छूट

14—श्री रघुनाथ—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जनपद की रसड़ा तहसील में कार्यान्वित लघु सीमान्त कृषक योजना के अन्तर्गत कितने सीमान्त कृषकों को छूट दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जनपद बलिया के रसड़ा तहसील में कार्यान्वित लघु, कृषक विकास योजना के अन्तर्गत योजना के प्रारम्भ से मार्च, 1976 तक 16685 सीमान्त किसानों को लाभन्वित किया गया। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत न आने के कारण 156 सीमान्त कृषकों को लाभ नहीं दिया गया।

सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, मोहनलाल गंज, लखनऊ की सदस्य सहकारी समितियां

15—श्री दीना नाथ सेवक—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि0 (मोहनलालगंज), लखनऊ में 15 अगस्त, 1976 तक कितनी औद्योगिक

सहकारी समितियों को बैंक का सदस्य बनाया गया है और किसी भी औद्योगिक समिति को कोई ऋण दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, मोहनलालगंज, लखनऊ द्वारा दिनांक 15 अगस्त, 1976 तक कोई भी औद्योगिक सहकारी समिति सदस्य नहीं बनी और न किसी औद्योगिक समिति को ऋण दिया गया है क्योंकि किसी भी औद्योगिक सहकारी समिति ने बैंक के सदस्य बनने हेतु आवश्यक औपचारिकतायें पूरी नहीं कीं।

जिला सहकारी बैंक लि०, एटा की वसूली

16—श्री गंगा सिंह (जिला एटा)—

क्या सहकारिता मन्त्री को ज्ञात है कि एटा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, एटा की वसूली वर्ष 1975-76 की केवल 50.5 प्रतिशत है जब कि बैंक के कर्मचारियों तथा विभागीय अधिकारियों ने इसे 60 प्रतिशत शासन को बताया है ? यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

एटा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, एटा की वसूली वर्ष 1975-76 में 50.5 प्रतिशत है जबकि शासन को 60 प्रतिशत वसूली की रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी। रिपोर्ट भेजने के समय तक बैंक के वार्षिक अभिलेख तैयार न होने के कारण उक्त त्रुटि हो गयी थी। वार्षिक नक्शे बनने पर वसूली की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो गयी। सम्बन्धित व्यक्तियों से इन त्रुटियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया तथा उन्हें सचेत कर दिया गया है।

राज्य सड़क परिवहन निगम में जोनल मैनेजर के पद पर नियुक्ति

17—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सड़क परिवहन निगम द्वारा प्रदेश में अपने 12 क्षेत्रों को तीन खंडों (जोन्स) में बांटने की योजना पर विचार किया जा रहा है तथा प्रत्येक जोन के लिए एक जोनल मैनेजर नियुक्त किया जाएगा ? यदि हां, तो ये क्षेत्र कौन-कौन होंगे तथा जोनल मैनेजरों के पदों पर कौन-कौन लोग सक्षम होंगे ?

श्री शिव प्रसाद—

जी हां। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 12 क्षेत्रों को प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा तीन खंडों (जोन्स) में बांटा गया है। पूर्वी जोन, पश्चिमी जोन तथा मध्य जोन तथा प्रत्येक जोन में एक-एक जोनल मैनेजर नियुक्त हुआ है। जोनल मैनेजर के पद पर उपर्युक्त क्षेत्रीय प्रबन्धक तथा उप प्रधान प्रबन्धक नियुक्ति हेतु सक्षम हैं।

विकास खण्ड सुरियांवां, वाराणसी द्वारा अल्प बचत योजनान्तर्गत जमा की गयी धनराशि

18—श्री राम रति बिन्द (जिला वाराणसी) तथा श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के विकास खंड सुरियावां की क्षेत्र निधि का कितना रुपया पिछले पांच वर्ष में कब-कब अल्प बचत योजना के अन्तर्गत डाकघर में जमा किया गया है, डाकघर से उपरोक्त रुपया वापस निकालने पर उसका ब्याज धनराशि के साथ क्षेत्र निधि में जमा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जनपद वाराणसी के विकास खंड सुरियावां की क्षेत्र निधि का पिछले पांच वर्ष में निम्नलिखित रुपया प्रत्येक के सम्मुख अंकित तिथियों को अल्प बचत योजना के अन्तर्गत डाकघर में जमा किया गया है :—

क्रमांक	धनराशि	जमा करने की तिथि
1	36,000	31-3-75
2	36,000	26-2-76
3	34,094	31-3-76

डाकघर से अभी तक क्रमांक 1 पर अंकित रुपया 36,000 निकाला गया है। उस पर मिला ब्याज रुपया 315 उक्त धनराशि के साथ इस जानकारी के अभाव में कि ब्याज का रुपया किस लेखे में जमा किया जायगा, मूल धनराशि के साथ नहीं जमा किया गया? ब्याज की धनराशि दिनांक 5 अगस्त, 1976 को डाकघर के क्षेत्र निधि खाते में जमा कर दी गई है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, मोहनलालगंज, लखनऊ में सदस्यता हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र

19—श्री दीनानाथ सेवक—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि कितनी औद्योगिक सहकारी समितियों के प्रार्थना-पत्र सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि0 (मोहनलालगंज), लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 15 अगस्त, 1976 तक बैंक की सदस्यता ग्रहण करने के लिए बैंक कार्यालय में पड़े हैं? उन पर अब तक, कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

औद्योगिक सहकारी समितियों की वित्त पोषण योजना के लागू होने से दिनांक 15 अगस्त, 1976 तक केवल 3 औद्योगिक सहकारी समितियों के सदस्यता हेतु आवेदन-पत्र केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, मोहनलालगंज. लखनऊ के कार्यालय में प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदन-पत्रों की जांच उक्त बैंक द्वारा की गयी। जांच में पाई गई कमियों की पूर्ति के लिए सम्बन्धित समितियों को लिया गया परन्तु उनके द्वारा वह पूर्ति न किए जाने के कारण उन्हें बैंक का सदस्य बनाया जाना सम्भव न हो सका।

20—श्री दलसिंह यादव—

[प्रथम मंगलवार (2-11-76) को तारांकित प्रश्न संख्या 35 द्वारा उत्तरित।]

उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक संशोधन

सचिव—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150(2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण विधेयक, 1976 को उस में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किए गए संशोधन सहित सदन के पटल पर रखता हूं। यह विधेयक विधान सभा द्वारा दिनांक 2 नवम्बर, 1976 को पारित किया गया था और 9 नवम्बर, 1976 को विधान परिषद् द्वारा किए गए संशोधनों सहित वापस प्राप्त हो गया है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 829 पर।)

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1976, जो विधान सभा द्वारा 2 नवम्बर, 1976 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 9 नवम्बर, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

भूतपूर्व सदस्य, श्री बिशन लाल यादव के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मुझे बड़े दुःख के साथ सदन को सूचित करना पड़ता है कि इस सदन के जाने माने और भूतपूर्व सदस्य, श्री बिशन लाल यादव इस दुनियां में नहीं रहे। कल दिनांक 8 नवम्बर, 1976 को प्रातः 4.30 बजे मेडिकल कालेज, लखनऊ में उनका स्वर्गवास हो गया। दुर्भाग्यवश वे पैरालिसिस के शिकार हो गए। 18-19 दिन से वह मेडिकल कालेज में भरती थे। चिकित्सा का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। श्रीमन्, श्री बिशन लाल यादव के सम्पर्क में जो आए होंगे उनको मालूम ही होगा कि उनमें कितनी जागरूकता, शालीनता और मृदुलता थी कि लोग मिनटों में उनसे प्रभावित हो जाते थे। वे एक विशिष्ट कार्यकर्ता थे और उनका व्यापक प्रभाव था। वह इस सदन के मंत्रि-मन्डल के सदस्य सन् 1970 में रहे। नवम्बर, 1970 में वह मन्त्रि-मन्डल में शामिल किए गए। वह सर्व प्रथम 1962 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर बहजोई (मुरादाबाद) से चुन कर आए। वे 1964 में कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। सन् 1967 के सामान्य निर्वाचन में वे कांग्रेस के टिकट पर मुरादाबाद के बहजोई निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर इस सदन में पुनः आए। 1967 में वे भारतीय क्रांतिदल में सम्मिलित हो गए। सन् 1967 और 1969 में वे पुनः निर्वाचित हुए और कांग्रेस पार्टी में आकर अन्तिम समय तक उसके एक कर्मठ सदस्य रहे। मुरादाबाद जिले में उनकी ख्याति और उनकी प्रतिष्ठा सर्वमान्य थी और उनका जनता से नाता था। ऐसे कार्यकर्ता जिनसे हमें बड़ी प्रेरणा मिली थी वह अब हमारे बीच में नहीं रहे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारी शोक समवेदनायें उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

श्री बिशन लाल यादव के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो विचार व्यक्त किए हैं मैं उनसे अपने आपको और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी शोक समवेदनायें उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन और माननीय नेता साम्यवादी दल ने, श्री बिशन लाल जी यादव के सम्बन्ध में जो शोकोद्गार व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। कल ही श्री बिशन लाल जी की मृत्यु लखनऊ मेडिकल कालेज में हुई है। उनकी दशा गम्भीर थी। अनेक बार मैं और माननीय मुख्य मन्त्री जी उनको देखने गए थे। सारे उपाय किए गए, लेकिन उनके बावजूद भी वे चल बसे। वे इस सम्मानित सदन के ही सदस्य नहीं थ बल्कि कैबिनेट स्तर के मन्त्री भी रहे हैं। वे ऐसे व्यवहार कुशल थे कि आप लोग उनको पहलवान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

की संज्ञा से सम्बोधित करते थे। उनके निधन से सार्वजनिक जीवन में एक रिक्तता आई है और मैं समझता हूं कि इसकी पूर्ति सम्भव नहीं है। एक के बाद एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता उठ रहे हैं और राजनीति का जीवन कृषकाय होता जा रहा है। मैं, नेता सदन और नेता कम्युनिस्ट पार्टी, श्री भीखालाल द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचा दूंगा। अब आपसे निवेदन करूंगा कि दो मिनट मौन धारण कर शोक व्यक्त करें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

श्री शिव सम्पत्ति राम, सदस्य विधान सभा की पैरोल पर रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अधीक्षक, जिला कारागार, मिर्जापुर के रेडियोग्राम दिनांक 4 नवम्बर, 1976, जो इस सचिवालय में दिनांक 4 नवम्बर, 1976 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री शिव सम्पत्ति राम, सदस्य विधान सभा (मिर्जापुर) को दिनांक 3 नवम्बर, 1976 को एक माह के पैरोल पर रिहा किया गया है। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना बुलेटिन 20 तथा 23 द्वारा प्रसारित की गई थी।

प्रदेश में सूखा एवं अकाल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

इस वर्ष मानसून कुछ विलम्ब से आया जिसके कारण, प्रदेश के प्रतापगढ़, जौनपुर देवरिया, इलाहाबाद, वाराणसी, सुल्तानपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, बांदा, हमीरपुर व बाराबंकी जिलों में सूखा पड़ने की स्थिति उत्पन्न हुयी। इन जिलों में जून तथा जुलाई माह में सामान्य वर्षा की तुलना में 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक ही वर्षा हुई। इनमें से कई जिलों में पेयजल की समस्या भी उत्पन्न हो गयी थी। अगस्त के महीने में भी वाराणसी, इलाहाबाद तथा मिर्जापुर जिलों म वर्षा की कमी रही और इन जिलों में बहुत से भागों में सूखे की स्थिति थी। धान, क्वारी, मक्का तथा ज्वार की फसलों को भारी क्षति पहुंची। अगहनी धान की रोपाई में विलम्ब हुआ।

2—जुलाई के माह के अन्त में मानसून आया जिसके कारण प्रदेश के बहुत से भाग में भारी वर्षा हुयी और गंगा, यमुना, राप्ती, घाघरा, बूढ़ी गन्डक, शारदा और गोमती एवं उसकी सहायक नदियों में पानी बढ़ा। आगरा और मेरठ मन्डलों में विशेषकर अत्यधिक वर्षा हुयी। उन मन्डलों के मथुरा और आगरा जिलों में सबसे अधिक नुकसान हुआ। वहां पर न केवल यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने के वरन् गोवर्धन ड्रेन एवं लालपुर सड़क के बांध कटने से बहुत बड़े क्षेत्र में पानी भर गया। ड्रेन तथा बांध को भरने के लिए सेना की भी सहायता लेनी पड़ी। फसलों एवं सार्वजनिक सम्पत्ति की बहुत बड़ी क्षति हुई। सितम्बर के दूसरें सप्ताह में इलाहाबाद, जौनपुर, गाजीपुर; आजमगढ़, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, बलिया, वाराणसी, प्रतापगढ़ तथा फैजाबाद जिलों में पूरे माह के सामान्य वर्षा की तुलना में दो गुनी तक वर्षा हुयी। फलस्वरूप बहुत बड़े क्षेत्रफल में के व्यापक जलमग्न की स्थिति उत्पन्न हो गयी। इसके अलावा प्रदेश के पूर्वी भाग की सभी नदियों में बाढ़ आ गयी।

3—शासन को प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश के 36 जिलों के 35,435 ग्राम बाढ़ तथा अतिवृष्टि के चपेट में आए जिसकी 1,41,51,330 जनसंख्या प्रभावित हुयी और 89,64,709 एकड़ क्षेत्रफल प्रभावित हुआ जिलेवार विवरण संलग्न† है। जिन मकानों को अंशत: या पूर्णत: क्षति पहुंची है उनकी संख्या 2,90,757 है। प्रदेश में इस

---

†देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 830-831 पर।

बाढ़ के कारण 257 मनुष्यों की मृत्यु और 2,425 पशुओं की हानि की सूचना मिली है। मृतकों के परिवारों को आवश्यक सहायता दी गयी। मनुष्यों की मृत्यु का मुख्य कारण मकान का गिरना था।

4—प्रदेश सरकार ने इन जिलों को तात्कालिक राहत पहुंचाने के लिए सहायता कार्य को त्वरित गति से किया। स्थिति पर पूरी निगाह रक्खी गयी और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को चालू वित्तीय वर्ष में राहत कार्यों के लिए 322 लाख रुपए की सहायता दी गयी। इसके अतिरिक्त 136 लाख रुपए की तकावी भी दी गयी है। बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित जिलों में बाढ़ के क्षतिग्रस्त पक्के मकानों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए ऋण की विशेष योजना के अन्तर्गत प्रभावित लोगों को कम सूद पर ऋण की व्यवस्था के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारियों को आवश्यक धनराशियां भी चालू वित्तीय वर्ष में आवंटित की गयी हैं।

5—मुख्यालय के बांधों के कटने की आशंका की सूचना जहां-जहां से प्राप्त हुयी वहां वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया। इसी तरह चिकित्सा अधिकारियों को भी मुख्यालय से चिकित्सा सम्बन्धी राहत के लिए भेजा गया जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में व्यापक रूप से कोई महामारी नहीं फैल सकी। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के 1,81,513 कुओं में दवाइयां डाली गयीं, 3,75,120 लोगों को टीके लगाए गए, 2,55,278 लोगों को मलेरिया से बचने के लिए गोलियां व 2,35,364 लोगों के अन्य प्रकार की बीमारियों का उपचार भी किया गया है। यह कार्य अब भी जारी है। बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए नावों, मोटर बोटों तथा मोटर लांचों की व्यवस्था की गयी। लगभग तीन हजार नावें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए लगायी गयीं। लगभग दो लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और एक लाख तेईस हजार पशुओं को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से निकाला गया। जीवनोपयोगी वस्तुएं-जैसे चना, आटा, चावल, गुड़, नमक, माचिस, मिट्टी का तेल, मोमबत्तियां आदि का वितरण भी प्रभावित क्षेत्रों के लोगों में किया गया है। कुछ क्षेत्रों में हैलीकाप्टर से भी पक्का खाना व अन्य खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करानी पड़ी। प्रभावित लोगों को रोजगार देने के लिए टेस्ट वर्क चलाने हेतु जिलाधिकारियों को आदेश भी दे दिए गए हैं। जिन क्षेत्रों में फसलों की हानि 50 प्रतिशत से अधिक हुयी है उनमें मालगुजारी की छूट के प्रस्ताव भी जिलाधिकारियों से मांगे गए हैं।

6—प्रधान मन्त्री, मुख्य मन्त्री, केन्द्रीय व राज्य मन्त्रियों द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया गया। राज्य सरकार अपने सीमित साधनों के अन्दर बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को तात्कालिक सहायता प्रदान करती चली आ रही है पर सहायता कार्य के लिए एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता है वह प्रदेश सरकार की सामर्थ्य के बाहर है। अत: बाढ़ की आपदा की व्यापकता और भीषणता को देखते हुए राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता देने के लिए प्रार्थना की है। केन्द्रीय अध्ययन दल पश्चिमी व पूर्वी कुछ जिलों का अभी हाल ही में स्थल निरीक्षण भी कर चुके हैं। उनकी संस्तुति पर केन्द्रीय सरकार की सहायता हेतु धनराशि की स्वीकृति अभी नहीं आई है। फिर भी राज्य सरकार द्वारा सभी जिलाधिकारियों को यह निदेश दिए गये हैं कि किसी भी मद में यदि उन्हे और धन की आवश्यकता हो तो शासन को सूचित करें तथा किसी भी दशा में धन की कमी के कारण सहायता कार्य में शिथिलता न आने दें।

7—प्रधान मन्त्री जी ने बाढ़ सहायता के लिए छ: लाख रुपए की धनराशि प्रदान की है जिसके लिए राज्य सरकार उनकी आभारी है।

श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो स्टेटमेन्ट दे रहे हैं, वह अपूर्ण है। इसमें सूखे के सम्बन्ध में नोटिसें दी थीं और आपके द्वारा यह वक्तव्य देने के लिए मन्त्री जी को निर्देश दिया गया था, लेकिन सूखे के सम्बन्ध में कोई सूचना

[श्री देव कुमार यादव]

नहीं है। अपने जिले के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी का ध्यान अकृष्ट करना चाहता हूं कि इतने भयंकर सूखे की स्थिति है कि ज्वार और खरीफ की सारी फसलें नहरी पानी न मिलने से बरबाद हो गयीं। बंधें में पानी था, लेकिन नहर विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने समय से नहीं दिया, जिससे धान की फसल सूख गयी है. और अकाल की स्थिति पैदा हो गयी है। इसमें बांदा जिले और बुन्देलखंड के सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि चर्चा के लिए उसको स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष—

चर्चा का समय नहीं है, सवाल करना हो तो करें।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोन्डा)—

राजस्व मन्त्री जी बहुत मजेदार आदमी हैं। मैंने सदन में कहा था कि बाढ़ पड़ेगी तो इनके यहां और सूखा पड़गा तो इनके यहां पड़ेगा। तो सूखा भी हमीरपुर जिले में पड़ा और बाढ़ भी आयी और गोन्डा जिले में जहां दो नदियां घाघरा और राप्ती बहती हैं और दोनों में बाढ़ आयी उसका कहीं जिक्र नहीं। जो 6 लाख रुपया इसमें है उसमें से कुछ रुपया मन्त्री जी हर साल हमीरपुर जिले को दे रहे हैं। गोन्डा जिले का नाम तक नहीं आया है तो क्या मन्त्री जी जांच करायेंगे कि जो 6 लाख रुपए का अनुदान आया हुआ है उसमें से गोन्डा जिले को देने का भी प्राविधान करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय सदस्य को हमीरपुर जिले से फीलिया हो गया है। हमीरपुर में बाढ़ नहीं आयी और न वहां सूखे से ही कोई राहत पहुंचायी गयी है। बुन्देलखंड में जो सूखा से प्रभावित क्षेत्र है, वहां सिर्फ नहरों का इन्तजाम किया जा रहा है कि पानी मिले और हमीरपुर में किसी किस्म की कोई राहत नहीं दी गयी है। पिछले सत्र में भी हमारे माननीय सदस्य ने हमीरपुर के बारे में कहा था जबकि कुछ नहीं था। तो जो गोन्डा जिला है, सूचना के अनुसार वहां कोई बाढ़ की इत्तिला नहीं है, इसलिए राहत की आवश्यकता नहीं है।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

मन्त्री जी ने बाढ़ और सूखा का जिक्र किया है। जौनपुर जनपद में 3-3- मंत्री जा चुके। केन्द्र के मन्त्री माननीय कमलापति त्रिपाठी गए। त्रिवेणी सहाय जी को पता नहीं है कि वहां अगस्त तक तो सूखा रहा और उसके बाद बारिश हुई तो बाढ़ आ गयी। निरन्तर 4 दिन तक घनघोर वर्षा हुई, जिसको अतिवृष्टि कहते हैं, उससे जितना नुकसान हुआ उतना बाढ़ से भी नहीं हुआ। हमारे जनपद में 5 नदियों में बाढ़ आयी तो उससे नदी के किनारे का एरिया प्रभावित हुआ, लेकिन अतिवृष्टि में जौनपुर जनपद में मक्के की फसल मुख्य रूप से प्रभावित हुई। साथ ही सूखा की वजह से, पाले और अतिवृष्टि से पूरे की पूरी धान की खेती तबाह हो गयी। एक तरफ से 4-4- मील तक के एरिया में पानी पर पौधे निकले हुए दिखाई देते थे और मक्का की फसल तो सौ फीसदी नष्ट हो गयी। तो क्या अतिवृष्टि से जो हानि हुई है उसकी भी कोई सूचना आपके पास है ? अगर है तो उसका कोई जिक्र आपने इसमें क्यों नहीं किया ?

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

बात सही है कि जौनपुर जिले में काफी क्षेत्र प्रभावित हुआ, 3216 गांव और 18,21,448 की जनसंख्या प्रभावित हुई....

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

यह तो जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है उसका आप जिक्र कर रहे हैं। अतिवृष्टि से पूरे का पूरा जिला प्रभावित है। माननीय प्रभु नारायण सिंह जी बैठे हुए हैं, ये भी वहां गए हुए थे। ये स्वयं अपनी आंखों से देखकर आए थे कि मक्का की फसल शत-प्रतिशत

नष्ट हो गयी है। मुझे मालूम नहीं जिलाधिकारी महोदय ने क्या रिपोर्ट आपके पास भेजी है, लेकिन अतिवृष्टि से जो हानि हुई है उसका कोई ब्योरा आपके पास आया है ? यदि आया है, तो उस सम्बन्ध में आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बाढ़ और अतिवृष्टि, दोनों से मिलाकर जो नुकसान हुआ पूरे जिले में वह मैंने बता दिया।

श्री ऊदल—

मैं दो बातें जानना चाहता हूं। एक तो लगान में छूट देने के आदेश चले गए हैं कि जहां ज्यादा नुकसान हुआ है वहां लगान में छूट दी जाय। टेस्ट वर्क पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया गया है। इसका क्या कारण है ? दूसरे, इतना बड़ा नुकसान प्रदेश में हुआ तो क्या प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार से कोई इस तरह की प्रार्थना की है कि इस बाढ़ में जो नुकसान हुआ है उसमें भारत सरकार भी काफी बड़े पैमाने पर मदद करे ? यदि हां, तो प्रदेश की सरकार ने कितने रुपए की मांग भारत सरकार से की है और भारत सरकार ने कितना रुपया देने के लिए बचन दिया है ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

जहां तक टेस्ट वर्क की बात है, जिलाधिकारियों को आदेश दे दिया गया है कि जहां कहीं भी आवश्यकता हो वहां टेस्ट वर्क चलाया जाय और वह मांग कर रहे हैं कितने पैसों की आवश्यकता है उसके अनुसार टेस्ट वर्क चलाया जायगा। जहां तक भारत सरकार से मांग की बात है, कुल 186 करोड़ का नुकसान प्रदेश में हुआ है और भारत सरकार से 119 करोड़ की मांग की गयी है। उसके बाद भारत सरकार से जो टीम आयी थी वह जांच पड़ताल करके गयी है और अब भारत सरकार निर्णय लेगी।

श्री जयराज गौतम (जिला सुल्तानपुर)—

प्रदेश के जो जिले बाढ़ आदि से प्रभावित घोषित किए गए हैं उनमें मेरा क्षेत्र जो पूर्वी क्षेत्र में है और जो मझुई और कुंवारी, दोनों नदियों से प्रभावित रहा है उसको बाढ़ ग्रस्त नहीं घोषित किया गया है जबकि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उसका हवाई सर्वेक्षण भी किया है और बगल के जिले का अकबरपुर क्षेत्र जो माननीय जेतली जी का क्षेत्र है, उसको घोषित किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय सदस्य का कहना सही नहीं है, सुल्तानपुर जिले में भी बाढ़ आयी, गांव प्रभावित हुए और उन्हें सहायता दी गयी। इसलिए माननीय सदस्य का कहना सत्य नहीं है।

श्री त्रिवेंनी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, आजमगढ़ जिले के बारे में बाढ़ का जो मन्त्री जी ने जिक्र किया है, मगर सूखे के बारें में उस जिले का कोई जिक्र नहीं है जब कि वहां पर सूखा भी भयंकर पड़ा है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

तालिका में 24 नं0 पर है। सूखे के लिए जब हम राहत देने के प्रश्न पर विचार कर रहे थे, भगवान की कृपा हुई, बाढ़ भी आ गयी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने और माननीय सिंचाई मन्त्री जी ने दो बार बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा भी किया है और वे बाढ़ की समस्या को लेकर प्रधान मन्त्री जी से मिले भी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए प्रधान मन्त्री जी ने कुछ रुपया एलाट किया है ? या कोई आश्वासन दिया है, उस सम्बन्ध में ?

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

जैसा कि माननीय राजस्व मन्त्री जी ने तथा माननीय राजस्व राज्य मन्त्री जी ने अभी बताया, भारत सरकार के सामने बाढ़ और सूखे की समस्या को रखा गया है। उसकी एक ब्योरेवार रिपोर्ट हमने प्रस्तुत की है। दो टीमें हमारे यहां भ्रमण के लिए आयी भी थीं। एक ने मथुरा और आगरा आदि क्षेत्रों का दौरा किया था तथा दूसरी टीम ने पूर्वान्चल का दौरा किया था। जहां पर वे नहीं जा सके, वहां के बारे में पूरी सूचना उनको दे दी गयी। टीम की जो रिपोर्ट है वह हमें प्राप्त नहीं हुई है, वह तो भारत सरकार को ही वे पेश करते हैं, हमारी सूचना के लिए तो बाद में आती है। वैसे जहां तक हमें जानकारी है, रिपोर्ट भारत सरकार के पास आ गयी है और वहां उस पर विचार हो रहा है। प्रश्न केवल यह है कि छठे वित्त आयोग ने जो निर्णय दिया है जिसको मानना उनके लिए लाजमी होता है उन्होंने यह किया है कि 15 साल का एवरेज निकाल कर जो बाढ़ और सूखे पर हुआ है, एक सीलिंग मुकर्रर कर दी कि इतना पैसा दिया जाए। उस हिसाब से हमारे प्रदेश के लिए 2 करोड़ 19 लाख रुपया आता है। इस तरह से देखा जाय तो वित्त कमीशन ने हमारे साथ पूरा न्याय नहीं किया है। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि यह रकम और बढ़ाई जाय। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए भारत सरकार का यह कहना है कि जो भी सहायता दी जाएगी वह एडवान्स प्लान असिस्टेन्स के रूप में दी जाएगी। जो हमारी योजना पर व्यय होगा उसमें उतना ही एडवान्स के रूप में मिलेगा। हमारा कहना है कि हमको प्लान असिस्टेन्स के रूप में न दिया जाए, अलग से सहायता दी जाय, क्योंकि उस हाल में हमको अपनी प्लान में कहीं न कहीं कमी करनी पड़ेगी और वह ठीक नहीं होगा। क्योंकि हम तो अपनी प्लान को बढ़ा रहे हैं, हमारी यह स्थिति नहीं है कि हम प्लान की मद में कोई कटौती करें और उसे बाढ़ के काम में लगायें। तो खैर अगर कोई उपचार नहीं होगा तो हम फिर बात करेंगे और प्लैन असिस्टेन्स लेंगे। लेकिन मुझे अब भी विश्वास है कि पूरा न्याय होगा। प्रधान मन्त्री जी स्वयं इस बात को देख रही हैं। उन्होंने पूरे क्षेत्र का दौरा किया है और दो दिन लगाया। इस बीच यह हुआ कि तकावी के लिए भारत सरकार ने सहायता दी है। कुल मिलाकर खाद और बीज के लिए 19 करोड़ रुपया तकावी के बतौर भारत सरकार से हमें अभी तक प्राप्त हुआ है। सेन्ट्रल टीम की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। इस बीच में जो आज का अनुपूरक बजट है, उसमें सब लिखा हुआ है।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

अध्यक्ष जी, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह जो केन्द्रीय सरकार देने वाली है, वह तो बाद की बात है.....

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य को, जो आज अनुपूरक बजट रखा जायगा, अपने जिले की बात कहने का अवसर मिलेगा।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

एक ही मेरा सवाल है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष—

एक ही तो सब का सवाल है। अभी आपको मौका मिलेगा जब बजट पर आपका विवाद होगा।

श्री शिव कुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, मौका नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष—

जो चाहते हैं, उनको तो मौका मिलेगा ही।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रान्सफार्मर (चोरी का निवारण और दन्ड) विधेयक, 1976

विद्युत् राज्य मन्त्री (श्रीमती इन्द्र मोहनी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रान्सफारमर (चोरी का निवारण और दन्ड) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रान्सफारमर (चोरी का निवारण और दन्ड) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रान्सफारमर (चोरी का निवारण और दन्ड) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करती हूं।

वित्तीय वर्ष 1970-71 के अतिरिक्त अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—
अनुदान संख्या 11—आयुक्त एवं जिला प्रशासन

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11—आयुक्त एवं जिला प्रशासन के अन्तर्गत 39,48,753 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1970-71 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(सिंचाई राज्य मन्त्री के खड़े होने पर)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, जिस क्रम में आप ले रहे हैं उस क्रम में बहस हो जाय, आधा घंटा, एक घंटा में पास हो जाय, अलग-अलग करके।

श्री अध्यक्ष—

इस मतदान पर तो कोई खड़ा नहीं हुआ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, यह जो है व्ययाधिक्य का है। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने पूरा विचार कर लिया है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

1970-71 का है।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह था कि इसमें भी जो माननीय सदस्य हैं, वह कुछ कह सकते हैं। बहुत से ऐसे खर्चे हैं कि जो कि मूल बजट में भी कुछ नए हैं, कुछ पुराने में है जो मर्यादित किए जा सकते हैं।

यह 19-20 पर जब हम आवें तब आप कहें। 19 तक तो आप देख लें, इसके बाद जब अनुपूरक अनुदान आयेंगे तब आपको अवसर मिलेगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11—आयुक्त एवं जिला प्रशासन के अन्तर्गत 39,48,753 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1970-71 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 31—राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री मुमताज मोहम्मद खां)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31—राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत 24,33,855 रुपए की मांग, वित्तीय वर्ष 1970-71 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31—राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत 24,33,855 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1970-71 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 39—अधिवर्ष भत्ते और पेन्शनें

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत 7,56,238 रुपए की मांग, वित्तीय वर्ष 1970-71 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39—अधिवर्ष भत्ते और पेन्शने के अन्तर्गत 7,56,238 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1970-71 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 41—लेखन-सामग्री और मुद्रण

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41—लेखन-सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत 2,62,404 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1970-71 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41—लेखन-सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत 2,62,404 रुपए की मांग, वित्तीय वर्ष 1970-71 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 49—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री मुमताज मोहम्मद खां)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49—बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 6,73,75,140 रुपए की मांग, वित्तीय वर्ष 1970-71 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49—बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 6,73,75,140 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1970-71 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 50—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री मुमताज मोहम्मद खां)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 8,09,80,375 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1970-71 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 8,09,80,375 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1970-71 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1970-71 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1976

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1970-71 की बढ़ती व्यय का विनियमन), विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1970-71 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(प्रतियां बंटने के उपरान्त)

श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1970-71 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ रुक कर)

श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1970-71 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, कुछ कहना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष—

क्या आप बोलना चाहते हैं ?

श्री ऊदल—

हां, मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी एक जमाने मे लोक लेखा समिति के चेयरमैन भी रहे हैं। और उनकी कुछ मान्यतायें भी इस बजट के सम्बन्ध मे रही हैं जिनको सुनने का अवसर मुझको बहुत मिला है। 15-16 साल यह अवसर मिला है कि जब वह इधर बैठते थे तब सुनता था और अब उधर हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन हो गया है। लोक लेखा समिति के चेयरमैन वह थे उस नाते उनकी कुछ अपनी मान्यतायें हैं। श्रीमन्, महालेखाकार मुश्किल से 10 फीसदी का आडिट कराते हैं। 90 फीसदी का आडिट नहीं होता और उसमें भी यह होता है कि आडीटर जनरल की रिपोर्ट आने के बाद, आडिट आपत्तियों को सरकार के पास और विभागों के पास भेजने के

[श्री ऊदल]

बावजूद भी 2-2, 3-3 वर्ष तक कोई ठीक से उसका निराकरण करने के लिये, उन आपत्तियों का समाधान करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही सम्बन्धित विभागों द्वारा नहीं की जाती। श्रीमन्, आज गलती हो गयी, मुख्य मन्त्री जी के जो उद्गार छपे हुए हैं, लोक लेखा समिति के सभापति की हैसियत से, वह आज मेरे पास नहीं हैं, नहीं तो पढ़कर सुनाता कि जो उनकी मान्यतायें थीं और जो उनके विचार थे उनके अनुकूल आज कोई कार्य नहीं हो रहा है।

मान्यवर, जो मुख्य मन्त्री जी के विचार थे, उन्होंने प्रधान मन्त्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू को पत्र भी लिखा था और उनका उत्तर आया था, मुख्य मन्त्री जी के विचारों के सम्बन्ध में। मैंने उस पत्र को भी देखा है। इसलिए श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि आए दिन जिस तरह से नाजायज खर्च होता है। श्रीमन्, मुझे तो 4-5 महीने से यह देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है किस तरह से दुरुपयोग है और विलम्ब है। आडिट आपत्तियों के निराकरण के लिए विभागों का ध्यान नहीं है। समिति जिसको समझती है कि इसका समायोजन कर दिया जाए उसका उत्तर भी नहीं आता है। तो इस तरह से करोड़ों रुपए जाया होते हैं जिनके बारे में आप विश्वास करेंगे कि न कहीं बिल्स हैं, न कोई वाउचर है, 3-3 वर्ष तक किसी का जवाब नहीं है। इसीलिये मैंने आपसे निवेदन करना चाहा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी के कुछ विचार हों, समायोजन का खर्च बढ़ता जा रहा है, बजट बढ़ता जा रहा है तो मुख्य मन्त्री जी हमारे वित्त मन्त्री भी हैं, तो उनके मुखारविन्दु श्रीमन्, मैं कुछ इस पर आज सुनना चाहता हूं कि आज उनका समाधान कैसे किया जाएगा?

*मुख्य मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य, वाराणसी की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। वह पुराने समय को भी याद दिला देते हैं। यह सही है कि मुझे भी पी0ए0सी0 का चेयरमैन होने का 2 साल तक सौभाग्य प्राप्त हुआ और सदन की सेवा करने का अवसर मिला। पब्लिक एकाउन्ट कमेटी का पार्लियामेन्ट्री पद्धति में मुख्य स्थान है। वह शक्तिशाली मानी जाती रही है और आज भी है तथा आगे भी रहेगी। लोक लेखा समिति के कैरेक्टर में उसकी रूपरेखा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी विरोधी दल के सदस्य उसके चेयरमैन होते हैं। एकाउन्टेन्ट जनरल उसमें सलाहकार होते हैं कम्पट्रोलर एन्ड आडिटर जनरल के प्रतिनिधि के नाते। वित्त सचिव या विशेष वित्त सचिव उसमें सदैव बैठे रहते हैं। मैं सम्मानित सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लोक लेखा समिति का भय वैसा ही है जैसा पहले था, उसमें कमी नहीं हुई है

श्री ऊदल—

भय नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं यह कैसे कहूं? शायद माननीय सदस्य के आने के बाद भय कम हो गया है। यदि माननीय सदस्य तैयार होकर जायेंगे तो अवश्य भय होगा।

श्रीमन्, लोक लेखा समिति ने हमेशा व्यय आधिक्य पर चिन्ता व्यक्त की है और इसीलिए व्यय आधिक्य कम हुआ है। आप देखेंगे कि इतने बड़े बजट म व्यय आधिक्य कुल 6 मदों में हुआ है। उसमें ऐसे कारणों से हुआ है जिसको लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में दिया हुआ है। 1974-75 की रिपोर्ट के पृष्ठ 4-5 में यह विस्तार से दिया हुआ है। शासन ने लोक लेखा समिति के सामने स्पष्टीकरण दिया कि क्योंकि व्यय आधिक्य हुआ। लेकिन हर जगह मजबूरन किसी मद में कुछ अतिरिक्त व्यय हो ही जाता है। इसीलिए संविधान में इसका उल्लेख है। यदि यह न होता तो डाक्टर अम्बेदकर इक्सेस ग्रान्ट का प्रावीजन संविधान में क्यों रखते? वह नहीं होना चाहिए। लेकिन इसीलिए प्रावीजन रखा गया है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपरिहार्य स्थिति आ जाय और बजट से ज्यादा खर्च हो जाय तो उसको सदन के साम दुबारा जाकर आर्टिकिल 205 के अनुसार व्यय आधिक्य को रेगुलराइज किया जाय।

श्रीमन्, यह कौनसी मदों में अधिक खर्च हुआ? इसमें माननीय सदस्य देखेंगे कि रामगंगा परियोजना और गंडक परियोजना के निर्माण कार्य को अधिक तीव्र करने पर किया गया। चूंकि यह योजनायें अधिक तीव्र चलें इसलिए ज्यादा सामान खरीद लिया गया। कभी-कभी ऐसा होता है कि 20 ट्रकों और 2 बुल डोजरों का आर्डर साल भर पहले दिया गया चूंकि इम्पोर्ट करना है। यह किसी को पता नहीं है कि बाम्बे में कब जहाज उतरेगा। यदि माल मार्ग में मिल गया तो एकाउन्ट में हमारे डेबिट कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे एकाउन्टेन्ट जनरल और न वित्त विभाग को पता रहता है कि जितने सामान का आर्डर दिया था वह मार्च 31 को हमारे लेखे में चढ़ गया है। इसीलिये व्ययाधिक्य हो जाता है। तो यह सस्पेन्स एकाउन्ट ऐसा है कि यह हमेशा मुसीबत बना रहता है। क्योंकि अगर सस्पेन्स एकाउन्ट को रखें ही नहीं यह असम्भव है क्योंकि सामान खरीदना होगा, इतने प्रोजेक्ट चल रहे ह, इतना निर्माण कार्य चल रहा ह सामान के लिए आर्डर देना होगा। आर्डर की अनिश्चित तारीख होती है कि इतने महीन म आ सकता है। कोई निश्चित तारीख नहीं होती। निश्चित तारीख को ही आ जायगा ऐसा सम्भव नहीं होता। यह ठीक है कि सस्पेन्स एकाउन्ट के बारे में समिति ने जो कहा है कि विद्युत् विभाग और सिंचाई विभाग मिल कर परामर्श करें, जैसा कि रिपोर्ट में है, नीति अपनायें परन्तु क्या नीति अपनायें इसमें हमारा विचार चल रहा है।

श्रीमन्, एक हमारी कठिनाई यह है कि एकाउन्टेन्ट जनरल का दफ्तर इलाहाबाद में है। हमारे एकाउन्ट्स वह रखते हैं और इलाहाबाद में हैं जैसा अब तक का दृष्टिकोण चल रहा है और हमारा ट्रेजरी कन्ट्रोल, फाइनेन्स, डिपार्टमेन्ट यहां है। एकाउन्ट तथा आडिट अभी हम अलग नहीं कर पाए हैं। भारत सरकार ने अभी एकाउन्ट और आडिट को अलग करने के लिए हाल में नियम बनाए हैं। तो हमने भारत सरकार से यह आग्रह किया है कि हम आडिट और एकाउन्ट को अलग करें। जो एकाउन्टेन्ट जनरल हमारे रहते हैं उनकी दो हैसियत हैं। एक तरफ तो कन्ट्रोलर एन्ड आडिटर जनरल आफ इंडिया के रिप्रिजेन्टेटिव के बतौर वह हमारे आडिटर हैं दूसरे वह हमारी सरकार के आडिटर जनरल हैं। जो हमारे एकाउन्ट्स को रखते हैं। इसलिए अब देखना यह ह कि हम एकाउन्ट्स अपना स्वत: रख सकते हैं। अब प्रश्न है बिना स्टाफ बढ़ाए हम यह कर सकते हैं। स्टाफ बढ़ा नहीं सकते क्योंकि अतिरिक्त व्यय होगा। क्या उसकी आवश्यकता है।

भारत सरकार से हम कह रहें हैं कि जैसा आपने एकाउन्ट और आडिट को अलग कर दिया है, सेन्ट्रल के एकाउन्ट का प्रस्ताव है, क्या हमें करना चाहिए? क्या उसके लिए कोई अतिरिक्त सहायता मिलेगी। यह सम्भव नहीं है। थोड़ी एकाउन्ट बनने में देर हो जाय् लेकिन हम ट्यूब-वेल बनाने के बजाय, नहर बनाने के बजाय, बिजली गरीब के घर पहुंचान् के बजाय एक दस करोड़ रुपया स्टाफ आदि के लिए खर्च करें इतनी लगजरी एफोर्ड नहीं कर सकत हैं। मैं समझता हूं कि इतना खर्चा नहीं हो सकता है चाहे एकाउन्ट पन्द्रह दिन बाद तैयार हो। सिद्धान्तत: बहुत ठीक है कि एकाउन्ट अलग हो आडिट अलग हो यह अन्य प्रश्न है।

हम भारत सरकार से चर्चा कर रहे हैं और शायद उनका निर्णय आ जाय तब इस दिशा में कार्यवाही कर सकें। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई जानबूझ करके नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। यह बात सही है कि बहुत सी आडिट पर आपने आपत्ति की है। मैं समझता हूं कि जितना आडिट एकाउन्टेन्ट जनरल करते हैं उतना आडिट इतिहास में हुआ ही नहीं अभी तक जितना आजकल हो रहा है। आडिट का तरीका बदल गया है। विभागों का भी आडिट हो रहा है। सेल्स टैक्स का आडिट हो रहा है। माननीय सदस्य देखेंगे कि एकाउन्टेन्ट जनरल की दस साल, पन्द्रह साल की रिपोर्ट में और आज की रिपोर्ट

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

में कई नए प्रभागों का आडिट किया है। हमारे आग्रह पर, हमने कहा कि हमारी मदद कीजिए। पिछले वर्षों में मैंने वित्त मन्त्री के नाते उनसे आग्रह किया कि हमारी मदद होगी यदि आप हमारे रिसीट को भी आडिट करें। आमदनी का भी आडिट करें।

दस साल, पन्द्रह साल पहले जो बात थी उससे बहुत फर्क हो गया है लेकिन समिति की सिफारिशें मानने की कोशिश की गयी है। अब इतने बड़े प्रदेश के इतने बड़े बजट में कहीं न कहीं कमियां होती ही हैं और कहीं न कहीं गलतियां होती ही हैं मै नहीं कहता कि गलती न हुई हों। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं तो आपको अपनी तरफ से मानता हूं जब कभी ऐसा अवसर आएगा तो आप स्वयं ही महसूस करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1970-71 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1970-71 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1976

31 मार्च, 1971 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उनके निमित्त और उस वर्ष के लिए स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती हुई व्यय धनराशियों की पूर्ति के लिए राज्य की संहत निधि में से धन के विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के निमित्त

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1970-71 की बढ़ती व्यय का विनियमन) अधिनियम, 1976 कहलाएगा।

1970-71 की कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से 15,60,01,362 रुपए का दिया जाना

2—उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से अनुसूची के स्तम्भ 3 में उल्लिखित धनराशियों के, जिनका कुल योग 15,60,01,362 (पन्द्रह करोड़, साठ लाख, एक हजार, तीन सौ बासठ रुपए) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिए जो 31 मार्च, 1971 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं से संबंधित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिए स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिए और काम में लाए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

विनियोग

3—इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों के दिए और काम में लाए जाने का प्राधिकार दिया गया समझा गया है, उन धनराशियों का विनियोग 31 मार्च, 1971 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जाय और किया गया समझा जायगा।

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिए)

1	2	3		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	बढ़ती		
		स्वीकृत मांग	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
8	राज्य विधान मन्डल	..	314	314
11	आयुक्त और जिला प्रशासन	39,48,753	..	39,48,753
13	न्याय प्रशासन ..	..	2,43,946	2,43,946
31	राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य ..	24,33,855	..	24,33,855
39	अधिवर्ष भत्ते और पेन्शनें	7,56,238	..	7,56,238
41	लेखन-सामग्री और मुद्रण	2,62,404	..	2,62,404
49	बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ..	6,73,75,140	..	6,73,75,140
50	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	8,09,80,375	..	8,09,80,375
51	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	..	337	337
	योग ..	15,57,56,765	2,44,597	15,60,01,362

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1970-71 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1976 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1970-71 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 1971–72 के अतिरिक्त अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 6—स्टाम्प

वित्त राज्य मन्त्री (श्री अजीजुर्रहमान)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 6—स्टाम्प के अन्तर्गत 98, 175 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1971-72 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6—स्टाम्प के अन्तर्गत 98, 175 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1971-72 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 15—पुलिस

गृह राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्पाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 15—पुलिस के अन्तर्गत 1,04,77,094 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1971-72 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15—पुलिस के अन्तर्गत रुपए 1,04,77,094 की मांग वित्तीय वर्ष 1971-72 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या—16 खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन

सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री (श्री यशपाल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 16—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत 4,32,077 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1971-72 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 16—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत 4,32,077 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1971-72 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 31—राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री मुमताज मोहम्मद खां)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31—राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत 1,04,65,519 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1971-72 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत 1,04,65,519 रुपए की मांग, वित्तीय वर्ष 1971-72 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 36—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान

सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री (श्री यशपाल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान के अन्तर्गत 43,63,412 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1971–72 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान के अन्तर्गत 43,63,412 रुपए की मांग, वित्तीय वर्ष 1971–72 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 37—परिवहन

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37—परिवहन के अन्तर्गत 30,63,303 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1971–72 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37—परिवहन के अन्तर्गत 30,63,303 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1971–72 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 39—अधिवर्ष भत्ते और पेन्शनें

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39—अधिवर्ष भत्ते और पेन्शनें के अन्तर्गत 11,62,586 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1971-72 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39—अधिवर्ष भत्ते और पेन्शनें के अन्तर्गत 11,62,586 रुपए की मांग, वित्तीय वर्ष 1971-72 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 48—बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री मुमताज मोहम्मद खां)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 48—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 9,60,63,271 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1971-72 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48—बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 9,60,63,271 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1971-72 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 49—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री मुमताज मोहम्मद खां)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 15,45,00,105 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1971-72 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 15,45,00,105 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1971-72 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री (श्री यशपाल सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 1,75,73,059 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1971-72 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 1,75,73,059 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1971-72 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 53—राज्य व्यापार की योजनाएं

सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री (श्री यशपाल सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 53—राज्य व्यापार की योजनाएं के अन्तर्गत 3,68,16,260 रुपए की मांग, वित्तीय वर्ष 1971-72 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53—राज्य व्यापार की योजनायें के अन्तर्गत 3,68,16,260 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1971-72 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 54—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 54—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 71,63,413 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1971-72 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 71,63,413 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1971-72 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1971-72 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1976

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (1971-72 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1971-72 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(विधेयक की प्रतियां वितरित की गईं।)

श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1971-72 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ रुक कर)

श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1971-72 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1971-72 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1971-72 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1976

31 मार्च, 1972 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उनके निमित्त और उस वर्ष के लिए स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती व्यय हुई धनराशियों की पूर्ति के लिए राज्य संहृत निधि में से धन के विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के निमित्त

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1971-72 की बढ़ती व्यय का विनियमन) अधिनियम, 1976 कहलाएगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम

2—उत्तर प्रदेश की संहृति निधि में से अनुसूची के स्तम्भ 3 में उल्लिखित धनराशियों के, जिनका कुल योग 34,24,12,630 (चौतीस करोड़, चौबीस लाख, बारह हजार, छः सौ तीस रुपए) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिए जो 31 मार्च, 1972 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिए स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ दिये और काम में लाए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया समझा जायगा। — 1971-72 कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की संहृत निधि में से 34,24,12,630 रुपए का दिया जाना

विनियोग

3--इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों के दिए और काम में लाए जाने का प्राधिकार दिया गया समझा गया है, उन धनराशियों का विनियोग 31 मार्च, 1972 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा और किया गया समझा जायगा।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिए)

1	2	3		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	बढ़ती		
		स्वीकृत मांग	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
6	स्टाम्प	98,175	3,210	1,01,385
13	न्याय प्रशासन	..	2,26,127	2,26,127
15	पुलिस	1,04,77,094	..	1,,0477,094
16	खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन	..	..	4,32,077
31	राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य	1,04,65,519	..	1,04,65,519
36	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान	43,63,412	..	43,63,412
37	परिवहन	30,63,303	..	30,63,303
39	अधिवर्ष भत्ते और पेन्शनें	11,62,586	..	11,62,586
48	बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	9,60,63,271	..	9,60,63,271
49	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय	15,45,00,105	5,019	15,45,05,124
50	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	1,75,73,059	..	1,75,73,059
53	राज्य व्यापार की योजनायें	3,68,16,260	..	3,68,16,260
54	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम	71,63,413	..	71,63,413
	योग ..	34,21,78,274	2,34,356	34,24,12,630

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खन्ड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1971-72 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1971-72 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 1976-77 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा

*श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट ऐसे समय में आ रहा है जब कि पार्लियामेन्ट में यह बात तय हो चुकी है कि हमारे देश का विधान समाजवादी होगा। इसकी जो रूपरेखा होगी वह समाजवादी होगी। लेकिन यहां जो हालत मैं देखता हूं वह उसके उल्टी दिखाई पड़ती है। मुझे अफसोस होता है कि हमारे माननीय मुख्य मन्त्री समाजवादी विचारधारा वाली पार्टी के नेता रहने के बावजूद भी हमें यहां परेशानियां इस वक्त दिखाई देती हैं। समाजवाद का मोटा मतलब है तमाम मीन्स आफ प्रोडक्शन के जो साधन हैं वह स्टेट के हाथ में होंगे। मगर इस बात को वह भूल गए हैं। मैं मुख्य मन्त्री जी को पढ़ कर सुना देना चाहता हूं कि नेहरू जी ने क्या कहा है:—

"Pt. Nehru in one of his letters to Indira Gandhi writes that, "Socialism, I have told you, is of many kinds. There is general agreement, however, that it aims at the control by the State of the means of production—that is, land, mines and factories and the like—and the means of production, like railways, etc., and also banks and similar institutions. The idea is that individuals should not be allowed to exploit in all these methods or institutions, or the labour or others, to their own personal advantage."

आगे और भी ऐसा ही कहा है। इसका मतलब यह है कि समाजवाद में मीन्स आफ प्रोडक्शन और मीन्स आफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट के पास होना चाहिए। इसका एक तरीका तो इन्क्लाब के जरिए है, किन्तु वह तरीका हमारे देश और हमारी सरकार का नहीं है। हमारे देश का तरीका यह है कि हम पीसफुल तरीके से पूंजीवाद को धीरे-धीरे खत्म करेंगे और पब्लिक सेक्टर को स्ट्रेन्थेन करते जायेंगे। यह तरीका, यह नीति हमारे देश की है और यह पार्लियामेन्ट में भी बार-बार तय हो चुका है। लेकिन यहां हालत उल्टी है। मैं इससे बहुत परेशान हूं। जे0 के0 ग्रुप्स में काटन मिल्स को 2 करोड़ रुपया बिजली-घर को देना बाकी है। तो यह कहां का समाजवाद है? यह रुपया उनसे क्यों नहीं वसूला जाता है? जे0 के0 मन्युफैक्चर्स ने सरकार में अप्लीकेशन दी कि उनकी मिल बन्द करने की इजाजत दी जाय। किन्तु उन्हें सरकार ने वह इजाजत नहीं दी।

सरकार ने यह भी फैसला ले लिया कि तन्ख्वाह मजदूरों को बंट जानी चाहिए और सरकार यह तय कर रही है कि सन् 1974-75 का बोनस भी इस मिल को अपने मजदूरों को दे देनी चाहिए। परन्तु सरकार के फैसले के विपरीत मालिकों ने मिल बन्द कर दिया और साथ ही मजदूरों को बोनस और तनख्वाह भी नहीं दिया और यह सरकार मजबूर होकर सब देख रही है और कुछ कर नहीं रही है। बीस सूत्री कार्य क्रम में यह है कि बीस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सन्त सिंह यूसफ]

सूत्री कार्य क्रम के खिलाफ यदि कोई मजदूर, कोई साधारण आदमी कोई बात कहे, तो वह गिरफ्तार हो जाएगा, मीसा में बन्द हो जाएगा। लेकिन इन मिल मालिकों पर वह भी लागू नहीं होता है। जे0 के0 जूट मिल में पहले बोनस 8.33 परसेन्ट बंट रहा था और बाद में आर्डिनेन्स आ जाने के कारण वह 4 परसेन्ट कर दिया गया। बेचारे मजदूरों ने इसे समझा नहीं, उन्होंने उसका विरोध कर दिया, जिससे उन सबको पकड़ कर बन्द कर दिया गया बेचारे मजदूरों को। मुझे उनकी जमानत करनी पड़ी। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि हम यह बोनस नहीं लेंगे। स्वदेशी काटन मिल में भी मजदूरों का 5 पन्द्रहियां का रुपया बाकी है, बोनस भी बाकी है, उसे भी उन्हें नहीं दिया गया। तीन पन्द्रहियां का फिर उनका रुपया मालिकों पर बकाया हो गया। यह सब मजदूरों के साथ हो रहा है, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आपकी हमदर्दी तो मजदूरों के साथ होनी चाहिये थी और पूंजीपतियों के विरोध म होनी चाहिए थी। लकिन मैं आपसे यह भी आशा नहीं करता हूं कि आप पूंजीपतियों की खिलाफत करें, लेकिन मैं आपसे यह आशा जरूर करता था कि जो मजदूरों के साथ होता ह, वैसा ही मिल मालिकों के साथ भी होता। वही व्यवहार इन मिल मालिकों के साथ आपको करना चाहिए था जो मजदूरों के साथ हुआ है। अगर मैं इमरजेन्सी के कायदे को तोड़ता हूं तो मीसा में बन्द हो जाऊं, मालिक तोड़ता है, तो उसके खिलाफ कुछ नहीं। जे0 के0 वालों के खिलाफ क्यों नहीं मीसा इस्तेमाल होता ह ?

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं होता ? स्वदेशी काटन मिल तनख्वाह नहीं देती। उसके खिलाफ क्यों नहीं होता ? एक दिन मजदूर प्रदर्शन करता है, तो 12 आदमी मिल के बन्द हो जाते हैं, बाद में मिल से निकाल दिए जाते हैं। मैं सिर्फ जे0 के0 की बात नहीं कहता, हर जगह यही हालत है। एल्गिन मिल के डिपार्टमेंट बन्द पड़े हैं। मजदूर मारा-मारा बाहर घूम रहा है। सरकारी दो कारखानों में भी झगड़ा शुरू हो गया। मजदूर सात घंटे काम करता था। साढ़े सात घंटे का आर्डर दे दिया। आप यूनियन से बात कीजिए, लेबर डिपार्टमेंट से बात कीजिए। आर्डर नहीं माना, सस्पेन्ड कर दिया। यह दशा पूरे कानपुर में और कानपुर के बाहर है। देहरादून में टेक्सटाइल फैक्टरी है। अगस्त से बन्द पड़ी है। कोई पूछने वाला नहीं। बीस सूत्री कार्यक्रम में यह है कि मालिक कारखाना बन्द नहीं करेगा। मजदूर हड़ताल करता है तो जेल में जाता ह, मालिक कारखाना बन्द करता है तो मूछों पर ताव दे कर टहलता है, मिनिस्टरों के पास घूमता है।

अमौसी में एक कारखाना है। यहां भी यही। अलीगढ़ में कारखाना है तेल का। उसका मामला, अपेक्स बाडी में भी पेश हुआ। डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी मौजूद थीं। उनकी मदद से वहां फैसला हुआ कि यह कारखाना चालू हो। न मजदूर की तनख्वाह दी गयी, न मालिक के खिलाफ कुछ हुआ। यह हालत अलीगढ़ की है। बिडला के यहां के मजदूर बेचारे जेलों में पड़े हैं। सीमेन्ट फैक्ट्री के कुछ नौजवान और देहात के कुछ किसान गए, वह भी उठा कर बन्द कर दिए गए। वह तो चल रहा है। वहां कोई पूछने वाला नहीं है। मेरा अपना विचार है। मुझे माननीय मुख्य मन्त्री जी क्षमा करेंगे। बिडला के मामले में काफी मजबूत कदम होना चाहिए। हमारे मुख्य मन्त्री जी के पास मामला जाता है, मेरे ऊपर ऐसा असर पड़ रहा है कि जरा सोच समझकर ढीला ढाला मामला है। मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूं। पुराने साथियों में से हैं।

कल मैंने मुख्य मन्त्री जी से कहा, जितना मामला मजबूत करेंगे, मजदूर को पकड़ रखा है, मीसा में मालिक को भी बन्द करेंगे तो मालिक हाथ जोड़ते घूमेंगे, मूछों पर ताव दे कर नहीं घूमेंगे और मजदूर में भी भावना आएगी कि सरकार हमको बन्द करती है। तो मालिक के खिलाफ भी करती है। आपकी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन वह सोच विचार करते हैं। मैं यह कहता हूं कि तुम्हारे यहां पर जो गड़बड़ी करे उसको सजा दो। लोग कहते हैं इनका नाम रख दिया

है एन0 डी0 तिवारी या नई दिल्ली तिवारी। (हंसी) यह सभी का तर्क है। आप मालिक के खिलाफ नहीं करेंगे, तुम्हार यहां जो गड़बड़ी करें तो उनके खिलाफ नहीं करोगे तो कैसे मामला चलेगा? हिम्मत करो। अगर हिम्मत करोगे तो इज्जत बढ़ेगी। सभी बेईमान नहीं हैं, थोड़े से बेईमान हैं।

जनसंघ के लिए, आर0 एस0 एस0 के लिए, बी0 एल0 डी0 के लिए और कुछ राजनारायण के साथी ले लिए तो खिचड़ी है। इसका कार्य कैसे ठीक से चलेगा, यह हमारी समझ म नहीं आता ह। तो मेरी प्रार्थना है कि भइया संभलों। हमें बता दो कि हम नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, म आपको बहुत मानता हूं। 52–53 वर्ष हो गए इतनी घुटन और इतनी परेशानी कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। यह 20 सूत्री कार्य-क्रम का झगड़ा ही न होता अगर सभी चीजें ठीक से और ईमानदारी से की गयी होतीं। मजदूर मिल मालिकों से 24 घंटे का पैसा ले लेता। हम वहां जाते और मजदूरों से कहते कि हल्ला बोलो और पुलिस लाठी चलाती और जेल भेज देती।

अभी सुनने में आया है कि जेल जाने में बड़ा मजा है। एक सज्जन मुझे कल मिले थे उनका कहना है कि अध्यक्ष महोदय, जेल जाने से हजार रुपया से कुछ कटता नहीं है। सब मिलता रहता है और भोजन वहां से मिलता रहता है और बीच में अगर पैरोल पर छूट कर आए तो 2 जोड़ी कपड़ा मिलेगा। अगर मुझे यह मालूम होता तो मैं जेल जरूर जाता।

(हंसी)

मजदूर से अगर कोई बात कही जाती है, उसको समझाने की कोशिश की जाती है।

श्री ऊदल (जिला वारणसी)—

तो कहता है कि मिल गए।

श्री सन्त सिंह यूसुफ—

हां कहते हैं कि मिल गए। मुझे भी गाली देते हैं और उनको भी गाली देते हैं। जहां तक डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी का सम्बन्ध है वास्तव में बड़ी ईमादारी के साथ वे मजदूरों की बड़ी हमदर्द हैं, लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ये भी उनके प्रति कुछ कर नहीं पाती हैं। दिल में महसूस करती हैं कि मिल मालिकों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए लेकिन उसमें होम डिपार्टमेंट पड़ जाता है। कल मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना की कि वे दोनों मिल कर कोई काम करें। आज हमारा 20 सूत्री मामला खटाई में पड़ा हुआ है। मेरी यह भी आपसे प्रार्थना है कि आप सिंघानिया जी को बन्द करें या न करें कम से कम यह तो उन्हें बुलाकर कह दें कि हम तुम्हे मीसा में बन्द कर देंगे, तब वह कुछ ढीला पड़ेगा। अगर आप कुछ भी करने को तैयार नहीं हैं तो यह मामला अधिक दिन तक चलने वाला नहीं है। हमारी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें?

हड़ताल हम नहीं कर सकते हैं, जुलूस निकाल नहीं सकते हैं। पुलिस की खुशामद करने पर भी हमें मीटिंग करने की इजाजत नहीं मिलती। अगर हमें यह पहले से मालूम होता तो हम बड़ी आसानी से जेल में चले जाते। मुझे तो कल ही मालूम हुआ है कि वहां पर सरकार 1,000 रुपया तनख्वाह देती है और छूटने पर या पैरोल पर आने पर कपड़ा भी मिलता है। इस प्रकार से हम विरोधी दल में भी रहते और कम्युनिस्ट पार्टी में भी बने रहते। अगर हमें सरकार बन्द कर देती तो हमें बहुत आराम मिलता। अन्दर जो ठाट रहते हैं, वह बाहर नहीं है। मेरें कहने से कहीं कांग्रेस भाई चक्कर में न आ जाएं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से पुनः प्रार्थना करता हूं कि इन मिलों की ओर देखें। आपने बड़ा अच्छा किया है कि लक्ष्मी रतन काटन मिल को अपने हाथ मे ले लिया है, लेकिन उसमें भी कई गड़बड़ियां चल रही हैं, उसमें पैसे का कुछ झगडा है।

इस इमरजेन्सी के समय में आपको सख्ती से कदम उठाना चाहिए। जहां पर झगड़ा हो, वहां पर सरकार के आदमी बैठें, मालिक और मजदूरों के प्रतिनिधि बैठें और फिर जो

[श्री सन्त सिंह यूसुफ]

निर्णय हो उसके बारे में कहें कि यह दोनों पार्टियों को मानना पड़ेगा। यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो यह मामला ठीक ढंग से चलेगा अन्यथा धीरे-धीरे यह जनता आपके खिलाफ होती जाएगी। आज हम भी गाली खा रहे हैं, हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम आपके साथ जीयेंगे और मरेंगे भी (कांग्रेसी सदस्यों की ओर इशारा करते हुए) आप तो मजा कर रहे हैं तो हम ही काहे को गाली खायें ?

आज देहातों में और शहरों में एक नई बीमारी परिवार नियोजन की चल गई है। यह तो ठीक है कि आप लोगों को समझाएं कि पापुलेशन कन्ट्रोल होना चाहिए। लेकिन एक 20 साल की लड़की को यह कहना कि तुमको स्कूल में भर्ती तब किया जायगा या अध्यापिका के पद पर परमानेन्ट तब किया जायगा जब तुम केस ले कर आओगी, तो वह कहां से केस ले कर आएगी। मेरा अनुभव है कि 20-22 साल की लड़की जब उसके मां बाप उसकी शादी की बात करते हैं तो वह शर्म के मारे उठ कर चली जाती है और अपनी छोटी बहिन को कह जाती है कि सुनना, पापा मम्मी क्या बात कर रहे हैं ? तो वह किस के पास जाएगी कि हमको केस दे दो। और वह बेचारी परमानेन्ट नहीं हो रही है।

श्री ऊदल—

यह तो प्रभुनारायण जी कर रहे हैं।

श्री सन्त सिंह यूसुफ—

प्रभुनारायण जी हमारे बहुत गहरे दोस्त थे, लेकिन अब वह मंत्री हो गए हैं, इसलिए उनका दिमाग जरा गड़बड़ में है। इसलिए मैं उनसे कहना नहीं चाहता। बजट चाहे कितना पास कराइए, हमें कोई एतराज नहीं है, उसको खर्च ठीक से करिए, लेकिन इन चीजों को थोड़ा कन्ट्रोल में करिए। 20 सूत्री में कहा कि हम किसान को जमीन देंगे, मकान बना कर देंगे, वह सब ठंडा पड़ गया। परचेज क्या है ? देहात से फ्यूडलिज्म खत्म हो, किसान की परचेजिंग पावर बढ़े, फैक्टरियों में जो माल पड़ा है वह बिके और इन्डस्ट्री की हालत सुधरे। लेकिन यह सब वहीं का वहीं रह गया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बार फिर आपसे अपील करूंगा कि इसमें थोड़ी सी सख्ती से काम लीजिए। हमारे खिलाफ तो आप सख्ती कर ही रहे हैं, मेरा मतलब मजदूर से है, लेकिन दूसरी तरफ भी जरा निगाह रखिए। इतना कह कर मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जहां तक परिवार नियोजन का मामला है .....

श्री दीपनारायण पांडेय (जिला गोंडा)—

अभी यह सारा अनुदान पेश भी नहीं हुआ और आप इजाजत भी देते जा रहे हैं। परिवार नियोजन पर कल है ही।

*श्री हरीशकुमार गंगवार—

मेरा अपना मत यह है कि देश की आवश्यकता को देखते हुए आज हमारा सब से पहला कर्त्तव्य है कि हम इस अभियान को अधिक से अधिक मदद करें। इसमें कोई बहुत लम्बा भाषण देने की आवश्यकता नहीं, सभी एक स्वर से इसको महसूस कर रहे हैं और 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भी यह एक भाग है। कहीं-कहीं यह चर्चा होती है कि ज्यादतियां हो रही हैं, लोगों को जबरदस्ती नसबन्दी करायी जा रही है ? मेरी समझ में यह बात नहीं आयी। इतना बड़ा अभियान परिवार नियोजन के सम्बन्ध में जो चलाया गया तो उसमें कहीं पर कोई गलती हो सकती है। इसका यह मतलब नहीं है कि कोई जानबूझ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर गलती कर रहा है। यह सदन इस बात से सहमत होगा कि जब इतना समझाने के बावजूद इतने प्रचार के बाद भी लोग खुशी से अधिक संख्या में नसबन्दी कराने को तैयार नहीं हुए, जो भी तैयार हुए उनकी संख्या नगण्य ही रही, तब यह अभियान सरकार को चलाना पड़ा। कितना ही प्रचार नाटक द्वारा, सिनेमा द्वारा, भाषणों द्वारा और तरह-तरह से किया मगर जनता का सहयोग परिवार नियोजन को सफल बनाने में नहीं मिला।

मान्यवर, जिस प्रकार से एक फोड़ा यदि हो जाता है, पहले उसका इलाज दवा आदि लगा कर किया जाता है, मगर अन्त में सही इलाज उसका आपरेशन ही होता है, उसी प्रकार परिवार नियोजन को सफल बनाने के लिए जो अब किया जा रहा है वही उसका एक मात्र इलाज है। जिस प्रकार फोड़े के आपरेशन में शुरू में कुछ दिन तकलीफ होती है, बाद को फिर बिलकुल ठीक हो जाता है, उसी प्रकार इस परिवार नियोजन के अभियान में शुरू में कुछ दिक्कतें व तकलीफ होगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं यह मानता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी के नेतृत्व में जो प्रगति इस अभियान ने की है वह सराहनीय है। हमारा विश्वास है कि इस सम्बन्ध में जो हमारा लक्ष्य है, अवश्य पूरा होगा जहां कुछ शिकायतें पायी गयी हैं उनको भी ठीक कर लिया जाएगा। उसके आधार पर यहां सदन में कोई बवन्डर खड़ा करना उचित नहीं है।

अब मैं प्रदेश में नलकूपों की स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कल ही दो गांवों में--हैदराबाद और चिटौली में अपने यहां जाकर देखा कि वहां ट्यूबवेल की नालियां वर्षों से खराब और टूटी हुई पड़ी हैं। पानी इधर उधर भरा है, उसके कारण इतनी कीचड़ वहां हो गया कि चलना मुश्किल हो गया है। नाली ठीक न होने से पानी किसान के खेत तक नहीं पहुंच रहा है और इस तरह से बरबाद हो रहा है और परेशानी हो रही है। विभाग के कर्मचारियों का कई बार मैंने ध्यान आकर्षित किया पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस इमरजेन्सी का अगर कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ा है तो वह यही नलकूप विभाग है।

इसके अलावा कई गांव ऐसे भी हैं जहां 7-7 दिन से ट्यूबवेल आपरेटर हैं ही नहीं। मैंने अगरास गांव में जाकर देखा वहां पर कोई नलकूप आपरेटर नहीं था। इसी प्रकार खरुआ और हैदराबाद में 7 दिन से आपरेटर नहीं है। मैं माननीय सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे इस ओर तुरन्त ध्यान दें। आज इसी कारण से आपके नलकूप सारे प्रदेश में उपेक्षित पड़े हैं। ट्यूबवेल आपरेटर 10-15 दिनों तक गांव में नहीं जाते हैं। जो नालियां खराब हो जाती हैं, उनको बरसों तक ठीक नहीं कराया जाता। किसान के खेत तक पानी पहुंचता ही नहीं। मैं समझता हूं मन्त्री जी कड़ाई के साथ इसके लिए अपने कर्मचारियों को आदेश देंगे।

आजकल यह भी देखने में आ रहा है कि कई बेगुनाह लोगों की नसबन्दी के खिलाफ प्रचार करने का गलत आरोप लगाकर डी0 आई0 आर0 में बन्द कर दिया जाता है। अगर किसी से पुलिस को बदला लेना होता है, गांव के किसी भले आदमी को परेशान करना होता है तो तुरन्त उसके खिलाफ वह यह चार्ज लगा देती है कि वह नसबन्दी के खिलाफ प्रचार कर रहा था और उसे डी0 आई0 आर0 में बन्द कर देती है। कई बेगुनाह लोगों को और पार्टीबन्दी के आधार पर बन्द किया गया है। लाखों लोग इसमें फंस रहे हैं। गांव का पार्टीबन्द, सम्भ्रान्त बड़ा आदमी भी अपना बदला निकाल लेता है और छोटा आदमी उसमें पिस जाता है। अभी 6-7 दिन पहले एक डी0 आई0 आर0 का मुकदमा नसबंदी को लेकर एक जीप का घेराव किया गया। मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी को दरख्वास्त दिया।

मैं मान्यवर, वहां के जो कर्मचारी हैं उनके उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। श्रीमन्, मुख्य मन्त्री जी ने आदेश दिया कि टेलीफोन करके कार्यवाही रोक दिया जाय लेकिन उनके पी0ए0 और बाबू जो हैं, उन्होंने 6 दिन बाद भी टेलीफोन नहीं किया। तो जब मुख्य मन्त्री जी के पी0 ए0 और उनके बाबू मुख्य मन्त्री जी का हुकम बजा मानने में असफल हैं, तो क्या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर पेश करेंगे? मैं यह पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

जी उन पर क्या कार्यवाही करेंगे जो उनके पी0 ए0 और बाबू ने टेलीफोन अभी तक नहीं किया। यह आदरणीय सदन की मान्यताओं और परम्पराओं का अपमान है। मैं फिर माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि इस मामले का इलजाम नं0 167 है। यह मामला थाना फतेहपुर पूर्वी का है। इसकी जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करायें।

श्रीमन्, मैंने इससे पहले भी यह कहा था कि प्रदेश की जिन तहसीलों में चकबन्दी पहले-पहल हो गयी थी, उनकी हालत बहुत खराब है। वहां पर चकरोड नहीं हैं, गूलें नहीं हैं, पानी पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं है, एक-एक आदमी के 7-7-, 8-8, 9-9 चक बन गए हैं। एक चक एक आड़ में है, तो दूसरा चक दूसरे आड़ में है। खाली गाड़ी भी कोई नहीं ले जा सकता है। अगर आपस में जरा से समन्वय हो जाय तो वह अपने खेत को जोत भी नहीं सकते। मैंने कई बार मांग की है कि जहां पर पहली बार और गलत तरीके से चकबन्दी हो गयी है, क्योंकि उस समय चकबन्दी का उतना ज्ञान भी नहीं था, उन स्थानों को फिर से चकबन्दी के लिए ले लिया जाय वरना वे लोग पहले से घाटे में हैं और अब भी वे बड़े घाटे में रहेंगे। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि बरेली जिले की बरेली तहसील की तरफ जहां पर 17 साल पहले चकबन्दी हुई थी, वहां पर अब नियमत: दुबारा चकबन्दी होना चाहिए। जो मान्यवर, मुख्य-मुख्य बातें थीं, उनकी तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया। इन शब्दों के साथ मैं जो अनुपूरक अनुदान पेश किया गया है, उसका डटकर समर्थन करता हूं।

*श्री दीपनारायण पाण्डेय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो सप्लीमेन्टरी बजट रखा गया है। इसके विषय में मैं आपकी इजाजत से ज्यादा न कह कर माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने इस बजट को देखा, ठीक है इसका मैं स्वागत करता हूं, कोई मेरा विरोध नहीं है। लेकिन इस शासन को, माननीय मुख्य मन्त्री जी को मेरा सुझाव है कि इस बजट को देखकर मुझे क्षोभ इतना हुआ कि जो पिछड़े हुए जिले हैं, उसके उठने के लिए, उसको उठाने के लिए कोई विशेष बात इसमें नहीं रखी गयी है। इसका मुझे दुख है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस समय जब कि पूरे समाज में, पूरे प्रदेश में तब्दीली हो रही है उस समय जो खर्चा इस बजट में रखा गया है, अच्छी बात है, उसे पूरा होना चाहिए लेकिन साथ ही साथ यह भी देखना चाहिए कि जैसा अभी हमारे वयोवृद्ध नेता माननीय यूसुफ साहब ने इस सदन में कहा कि जो भी खर्चा हो वह ठीक से हो। कुछ सदस्यों ने तो अपनी राय यहां तक जाहिर की कि जो खर्चा हो उसको ठीक से आडिट भी होनी चाहिये ताकि हमारा जो धन है, जो टैक्स आप जनता से ले रहे हैं उसका दुरुपयोग न हो सके। शासन को भी सख्ती के साथ इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और अगर ऐसी चीजें शासन की नजर में आती हैं, तो अपने अधिकारियों से उनका पालन कड़ाई के साथ कराना चाहिए। क्योंकि मैंने कई बार इस बात को कहा कि जो किसान है उनकी परचेजिंग पावर समाप्त होती जा रही है, उनसे बहुत पैसे भी लेने जा रहे हैं, राष्ट्र और प्रदेश के विकास के नाम पर तो उस विकास के लिए आपको बहुत संजीदगी के साथ ध्यान रखना पड़ेगा।

आज मैंने इस बजट में देखा कि हम लोग जो पूर्वी जिले के हैं, उनके विकास के लिए भी इसमें कुछ रखना चाहिए था। मैंने मुख्य मन्त्री जी से कई बार निवेदन किया और आज भी आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे पूर्वी जिले हैं वे बहुत ही पिछड़े जिले हैं। जैसे गोन्डा, बहराइच, बस्ती आदि जिलों में उद्योग कायम करने की ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि वहां की बढ़ती हुई आबादी को रोजगार मिल सके। वहां कोई रोजगार है ही नहीं, वहां कोई फैक्टरी है नहीं, उसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस साल के बजट में इसका प्राविधान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अवश्य होना चाहिए ताकि पिछड़े हुए जिलों का भी विकास हो सके। मैंने इस सदन में बार-बार चर्चा की है, बार-बार अनुरोध किया है कि उस जनता के लिए जो काफी पिछड़ी हुई है—आज हम लोगों के जिलों की स्थिति यह है कि वहां कोई सड़क नहीं है, कोई नहर नहीं है, कोई ट्यूबवेल नहीं है, इसलिए वहां ट्यूबवेल्स भी होने चाहिये। जहां पर ट्यूबवेल्स सैंक्शन भी हुए हैं, उसके लिए कुछ इन्जीनियर्स ने यह बतलाया कि खुदाई के लिए हमारे पास मशीनें नहीं हैं। फिर ट्यूबवेल्स कैसे बनें? पैसे भी बजट में हैं लेकिन जब मशीनरी ही नहीं है तो ट्यूबवेल्स कैसे लगेंगे? मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से और माननीय सिंचाई मन्त्री जी से भी कहना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों में ट्यूबवेल्स बनवावें क्योंकि आप किसानों से पैसा भी लेने जा रहे हैं।

एक बात मैं और आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि अभी 4-6 महीने पहले ही फैजाबाद में कैबिनेट की एक मीटिंग हुई थी। उस समय माननीय मुख्य मन्त्री जी से मैंने आग्रह किया था कि जो पिछड़े हुए जिले हैं, वहां पर उद्योग लगाने की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे इस बात की खुशी भी है कि हमारे मुख्य मन्त्री जी ने गोंडा जिले के लिए कुछ चीजों का डिसीजन कैबिनेट में लिया है और उसके लिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को मुबारकबाद देता हूं। धन्यवाद भी देता हूं, उस मीटिंग में पिछड़े जिलों के सम्बन्ध में चर्चा हुई और कुछ चीजें कैबिनेट में पेश की गयीं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह मांग करता हूं कि फैजाबाद में कैबिनेट ने जिन चीजों को पास किया, जिन उद्योगों को लगाने का प्रस्ताव पारित किया उसके लिए किसी काम की अभी तक शुरुआत तक नहीं हुई है। इसलिए उनसे मेरा निवेदन है कि वे तत्काल उन कार्यों को शुरू करावें। क्योंकि आज भी जनता और किसानों के उन कामों में नाना प्रकार के व्यवधान प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कई योजनायें हैं लेकिन वे योजनायें शुरू ही नहीं हो रही हैं। कहीं कोई फाइल किसी दफ्तर में दबी पड़ी है तो कहीं कोई और व्यवधान है। यह, ब्यूरोक्रेसी है जिसकी वजह से लाल फीताशाही चल रही है। मुख्य मन्त्री जी ने तो कहा है कि वे लाल फीताशाही को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन यह ब्यूरोक्रेसी ही है जो कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्तावों को भी कार्यान्वित करने में लाल फीता के जरिए व्यवधान डाल रही है। माननीय मन्त्री जी से मेरी मांग है कि ये चीजें समाप्त हों। क्योंकि जनता कुछ कार्य चाहती है, जनता कुछ आशायें लगाए बैठी है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम के मांग करता हूं कि अगर इस बजट में नहीं रखा गया है तो आगे आने वाले बजट में गोन्डा, बस्ती, बहराइच, इन जिलों में बड़े उद्योग खोलने की तरफ ध्यान दिया जाय। वहां की आबादी को देखते हुए, वहां के पिछड़ेपन को देखते हुए और उसको दूर करने के लिए, भुखमरी को समाप्त करने के लिए, पूर्वी जिले के मजदूरों को रोजी रोटी देने के लिए वहां पर बड़े उद्योग लगाए जायं और इन जिलों की ओर विशेष ध्यान दिया जाय यह मांग मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बजट लाना, बजट बढ़ाना, मैं समझता हूं कि कोई अभिशाप नहीं है। प्रदेश की सरकार को चलाने के लिए जितना काफी धन हो, जितना प्रयत्न हमारी सरकार करे वह कम ही माना जायगा। क्योंकि बड़ा प्रदेश है, एक तरफ बुन्देलखंड का इलाका है दूसरी तरफ गाजीपुर बलिया यानी कि पूर्वांचल के जिले हैं। इसके अतिरिक्त मध्य का इलाका है और पहाड़ी इलाका हमारे प्रदेश में है। इन सबकी अलग-अलग समस्यायें हैं। इनकी अलग-अलग समस्याओं को देखते हुए हमको बजट के बंटवारे को देखना चाहिए। इन कार्यों के लिए चाहे वह पुलिस के कार्य हों, चाहे वह निर्माण के कार्य हों चाहे वह दूसरे कार्य हों, बजट को देखना चाहिए। लेकिन मान्यवर, यह हमारी सरकार उस पर ध्यान नहीं देती। पुलिस बजट को आप ले लें। अभी इस सम्बन्ध में हमारे बहुत ही पुराने कम्युनिस्ट पार्टी के दोस्त ने कहा कि खर्च कहां हो रहा है। उन्होंने गांवों में जो जनता रहती है, कस्बों में रहती है, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत

[श्री भगवती प्रसाद]

उन्होंने तफसील से बताया कि जैसे कानपुर में बड़े-बड़े मिल मालिकों की सुरक्षा हो रही है मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। आप पहले पुलिस बजट को ले लें, शुरू से अब तक, मेरी जानकारी नहीं है, मैं इस माननीय सदन में पहले पहल आया हूं। पुलिस बजट दुनियां भर में होता है। साम्यवादी देशों में होता है और समाजवादी मुल्कों में भी लाया जाता है। लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि पुलिस बजट कहां लगता है? मेरे यहां इकडला गांव म एक हरगुन हरिजन को पिटाई वहां के एक ब्राह्मण ने कर दी, बंजर जमीन को लेकर। वह थाने पर गया तो वहां पर साधारण रिपोर्ट लिखी जाती है। उसको स्वास्थ्य केन्द्र पर भेजा गया, जब स्वास्थ्य केन्द्र पर जाता है, जिस स्वास्थ्य केन्द्र पर जाता है उसकी तमाम कहानियां हम स्वास्थ्य मन्त्री जी से कह चुके हैं, नसबंदी के सिलसिले में। वहां के डाक्टर जवाब देते हैं कि हमारे पड़ौसी का मामला है इसलिए हम डाक्टरी नहीं कर सकते। जिस स्वास्थ्य केन्द्र पर वह गया उसको वहां ऐसा ही जवाब मिला। आज इस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है। इनकी सुरक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं है। सारा प्लान चाहे वह युवक कांग्रेस के हों, चाहे एजेंट कांग्रेस के हों, सारा प्लान उनकी सुरक्षा की तरफ 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत है। उसी के आधार पर हमारे गृह मन्त्री, मुख्य मन्त्री महोदय बजट को ला रहे हैं। पुलिस पर तमाम पैसा खर्च इसलिए नहीं होना चाहिए कि वह निर्बल वर्ग की पिटाई करे। बजट इसलिए लाना चाहिए था कि आज प्रदेश में जो तमाम ऐसे तत्व हैं जो हमारी सरकार को नहीं चलने दे रहे हैं, जो हर रास्ते में बाधक बने हुए ह, उनको समाप्त करते लेकिन उसके लिए पुलिस नहीं है। इसलिए पुलिस को बढ़ावा देना और उस पर खर्च करना क्यों हो रहा है? जिस समाजवाद पर हमारी सरकार चलने का वादा करती है उसको पूरा करने के लिये खर्च करते। क्या पुलिस बजट इसलिए बढ़ा रहे हैं कि देश का सर्वसाधारण नागरिक जो है उसकी पिटाई हो और हम आंख मूंद करके अपनी जबान बन्द करके इस सदन में बजट लायें।

मान्यवर, मन्त्री जी चाहे निर्माण की बात को ले लें और चाहे जितना बजट लायें लेकिन आप निर्माण कार्य पूरा नहीं कर पाते हैं। मैं समझता हूं कि जब हमने आजादी हासिल किया है उसमें चाहे जिस क्षेत्र में हम जायं वह सब रो रहे हैं। चाहे रामबचन जी हों या और कोई वह सब रो रहे हैं। पिछले बजट में हमने कहा था कि जब मन्त्री महोदय कार पर चलते हैं तो निर्माण की स्थिति वहां के मगरमच्छ अधिकारी और लूटने वाले अधिकारी दिखाते हैं, लेकिन मन्त्री जी का ध्यान उनकी तरफ कभी नहीं जाता है। जब शिकायत होती है तो उसका निदान सरकार के पास नहीं होता है। राज्य राजस्व मन्त्री जी हमारे इलाके में गए थे। मैं जबरदस्ती पिछली गाड़ी में बिठा दिया गया था तो सड़क में एक-एक हाथ के गड्ढे थे। परिवहन की गाड़ी 2 महीने में ही बेकार हो जाती है। हर सदस्य इस बजट की प्रशंसा करेंगे लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा जैसा कि अभी मौलाना जी ने कहा है कि आपकी ऐसी नकाब खुल रही है कि हम लोग भी देश की प्रतिक्रियावादी शक्तियों के मुताबिक जैसा सी0पी0आई0 के लोग कह रहे हैं कि इन लोगों की बुरी पिटाई हो रही है और हमारी भी पिटाई बाकी नहीं है। जो आपके साथ जाएगा, वह बीच धार में डूब जाएगा।

मान्यवर, मन्त्री जी खाद्य एवं रसद पर भी बजट ला रहे हैं। इसका मतलब देश का उत्पादन जो है उसकी सुरक्षा और गारन्टी से सम्बन्ध है। लेकिन आपका लाखों टन गेहूं गोदामों में सड़ रहा है। मुझे पूर्ण सूचना नहीं मिली है। लेकिन आपके पास इस खरीफ की फसल का रेकार्ड होगा। आप कहते हैं कि पिछले साल उत्पादन बढ़ा है, जिसका मतलब होता है कि किसान उसका 50 या 75 फीसदी दे। स्टाकिस्ट जब स्टाक पहले करता था तो चार्ज लगता था कि वह दूसरी जगह अनाज को भेज देता है और आपके देश में खाद्य की कमी नहीं है। इसी सीजन में खरीदने वालों को छोड़ दें लेकिन उन लोगों को जिन्होंने उत्पादन किया है उनकी कमर तोड़ दिया है। लेकिन जब समाजवादी सरकारें दूसरे

देशों में जब बजट लाती हैं तो वह आइना की तरह दिखा देते हैं कि इस तरह का बजट होगा। बजट लाने के बाद आप उसका फायदा देखते हैं। समाजवादी सरकार है। इस में कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई माननीय सदस्य ऐसा नहीं है जो दुनियां के हिस्ट्री से वाकिफ न हों लेकिन हमारे देश और प्रदेश के लोग और जो हम नुमाइन्दे चुन कर आते हैं जनता के प्रतिनिधि हो कर आते हैं हम भी इस ब्यूरोक्रेसी, इस मगरमच्छ के निर्माण के सब से बड़े अधिष्ठाता हैं। इस प्रदेश के खाद्य, रसद, कृषि के अधिष्ठाता जो हैं वे केवल उन से सांठ-गांठ ही किया करते हैं। हमारी कोई नीयत पर शक नहीं है किसी मन्त्री को। हमारे कृषि मन्त्री की नीयत खराब नहीं है मैं इसको मानता हूं, लेकिन आज समाजवाद के नाम पर सब भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। मैं प्रशंसा नहीं करता, लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी से उम्मीद करता हूं कि आज जो नौकरशाही चल रही है वह न बढ़े। कोई हरिजन अपनी जमीन के हक के लिए आवाज उठाता है तो वह हमारे बहुत ही कुशल गृह मन्त्री और खाद्य मन्त्री के वक्तव्य और दलीलों को कभी भी पसन्द नहीं करेगा।

एक मिसाल हमारे यहां के नन्द लाल हरिजन की है, जो अध्यापक हैं, खाने पीने के लिए नहीं होता उसके पास। तो वहां पर एक एस0 डी0 आई0 हैं, नाम बताना अच्छा नहीं लगता, जगदीश दूबे, उन्हीं थानेदार के साथ बैठकर चार केस चलवाए। वह तबाह हो गया। वह मुश्किल से अपना खर्चा चला पाता है।

इसी तरह नसबन्दी को ले लें। हमारा जो बंसूराम अध्यापक था। गरीब था उसकी नसबन्दी सब से पहले हुई। दो केस दिए। लेकिन इसके बावजूद हमारे यह एस0 डी0 आई0 ठाकुर हैं। हमारे बिरादरी के हैं, हमारे ही मन्त्री जी के बिरादरी के हैं। महोदय, कुछ लोगों के कहने पर उसका ट्रान्सफर कर दिया गया वहां से 25 किलो मीटर दूर। उसके मां बाप रोते हैं, उनका काम नहीं चलता है।

तो इसलिए यह बजट लाया जा रहा है और इसको प्राथमिकता दी जा रही है। हम लोग इस समय कहने के लिए विरोध में हैं लेकिन विरोध तो अब चला गया। तथा-कथित विरोध रह गया है। एक्चुअल विरोध चला गया है लेकिन आप जान लें कि इस तरह से आपकी सरकार की कड़ी गांवों से टूट जायगी। मैं समझता हूं कि मैं आपके हक में बोल रहा हूं। 85 फीसदी लोग जिनको कोई लालच आपके यहां सर्विसेज या तस्करी या अन्य चीजों में नहीं हैं वह आपके साथ नहीं हैं ईमानदारी के साथ हैं। आप देखें हमारे ही क्षेत्र में एक कोकीन का केस पकड़ा गया। उस केस में एक साधारण व्यक्ति को पकड़ लिया गया। यह विभाग के कारनामे हैं। गृह मन्त्री और हमारे राजस्व राज्य मन्त्री जी नहीं हैं। वह जो बड़ा तस्कर था उसको पुलिस ने क्षमा कर दिया।

इसी तरह से एक केस पहले भी पकड़ा गया था उस में भी दस हजार ले कर तस्कर को छोड़ दिया गया। आपका बजट हर तरफ से देश की प्रदेश की जनता को क्रश करने के लिए है। पुलिस को प्राथमिकता आप देते हैं मैं समझता हूं कि आप अन्याय कर रहे हैं। आपको स्वास्थ्य पर, कृषि पर, बेकारी पर, निर्माण पर बजट लाना चाहिए परन्तु आज हमारी यह सरकार बराबर पुलिस के ऊपर बजट ला रही है। पुलिस बढ़ायी जा रही है परन्तु किसके लिए क्या, गांव वालों को, मजदूरों को क्रश करने के लिए।

मान्यवर, म माननीय मन्त्री जी का ध्यान उधर ले जाना चाहता हूं जहां आपके चेहरे साफ हो रहे हैं। आप पिटाई करवा दें, बन्द करवा दें, चाहे अच्छी-अच्छी भाषा का इस्तेमाल कर लें अच्छी पुस्तकें छपवा लें परन्तु जनता आपसे दूर भाग रही है। मैं नसबन्दी के ऊपर नहीं जाना चाहता अगर वह कल आएगा तो मैं पूरे प्रदेश का नक्शा बता दूंगा। मैं इस बजट का विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन यह जरूर कह रहा हूं कि यह रुपया कृषि और स्वास्थ्य पर खर्च किया जाना चाहिए। गांव के लोग डिस्पेन्सरियों में मर जाते हैं अभी मैं अपनी कहानी नहीं कहूंगा मैंने स्वास्थ्य मन्त्री जी को जबानी और लिखित कह दिया है। अगर मैं खुद अपनी कहानी कहूंगा तो लोग कहेंगे कि खुद रोता है दवाइयों के लिए। स्वास्थ्य, कृषि एवं

[श्री भगवती प्रसाद]

निर्माण कार्य हमारी बुनियादी चीजें हैं न कि पुलिस। मैं इन शब्दों के साथ मान्यवर, इस सदन को विश्वास दिलाता हूं इस बात का कि अगर आपने वादा खिलाफी की और तमाम दौलत का अम्बार जमा करने के बाद आपने उसका दुरुपयोग किया तो जनता आपको नहीं छोड़ेगी। आज हम विधायकों की कोई कीमत नहीं है आज विधान सभा में हम लोग बिल्कुल बेकार बैठते हैं। इससे अच्छा है कि विधान सभा को भंग कर देना चाहिए।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

वैसे तो हम नहीं बोलना चाहते हैं.....

श्री अध्यक्ष—

तो न बोलें।

*श्री शिव कुमार पांडेय—

लेकिन जब माननीय राजस्व मन्त्री जी वक्तव्य दे रहे थे, तो माननीय जयराम जी ने एक सवाल किया जिसके बारे में सुनकर दुख हुआ कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि सुल्तानपुर में बाढ़ ही नहीं आयी। तो उससे ऐसा मालूम होता है कि अधिकारी लोग खुद सारा का सारा मैटर मन्त्रियों को नहीं दे पाते हैं नहीं तो मन्त्री जी ऐसा नहीं कहते तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान सुल्तानपुर की तरफ खींचना चाहता हूं। जहां कि हरदम सूखा और बाढ़ आते हैं। सूखे की स्थिति तो शायद अब शारदा योजना के कारण हल हो जाने की आशा है। लेकिन बाढ़ मान्यवर, हर साल सुल्तानपुर में तबाही मचाती है। छोटी-छोटी नदियां हैं नहरों की खुदाइयां हुई हैं। कुछ नदियों के जो सहायक नाले थे, लेकिन जिस नदी में नाले मिलते थे उसकी क्षमता उतनी ही बनी रही। मझुई नदी है उसमें मिलने वाले तमाम नालों को चौड़ा करा दिया लेकिन मझुई नदी को चौड़ा नहीं कराया। जिससे हर साल यह नदी नालों का पानी खींच नहीं पाती है और वहां बाढ़ आ जाती है। अगर नालों के साथ मझुई नदी को भी चौड़ा करा दिया जाता तो यह स्थिति न आ पाए। बाढ़ आने से रेलवे लाइनें, नहरें तथा सड़कें कट जाती हैं। इस सम्बन्ध में सर्वे करा कर पुल व साइफन बनाकर पानी के निकास की व्यवस्था कर दी जाय तो करोड़ों रुपया जो बाढ़ पर खर्च करना पड़ता है वह नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह बड़े-बड़े तालाबों में बरसात में पानी इकट्ठा हो जाता है। उन तालाबों से नालियां निकाल कर पानी निकालने की व्यवस्था की जाय तो बाढ़ नहीं आएगी और तालाब के ऊपरी हिस्से पर खेती होने लगेगी। इसके अलावा नहरों का पानी नदियों में जाता है। उनको उसके हिसाब से चौड़ा करा दिया जाय तो पानी निकल जायगा। मझुई नदी फैजाबाद व सुल्तानपुर में सरहद बनाती है। एक तरफ उत्तर वाली साइड को तो बाढ़ पीड़ित मान लिया गया लेकिन दक्षिण वाली साइड बाढ़ पीडित नहीं मानी गयी जो कि मेरा क्षेत्र है। राजस्व मन्त्री जी से प्रार्थना है कि इसको फिर से देख लें और जो सहायता मुमकिन हो सके करने की कोशिश करें।

*श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं मुख्य मन्त्री जी को बधाई दूंगा। उन्होंने एलान किया कि गाजियाबाद 14 तारीख से जिला बन रहा है। अनेक बाधाओं के होने के बावजूद उन्होंने गाजियाबाद को जिला घोषित किया। 14 तारीख को मुख्य मन्त्री जी वहां आ रहे हैं। सभी विधायक तथा मन्त्रिगण को भी मैं निमन्त्रण देता हूं कि वे वहां आयें। मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। गाजियाबाद यू0पी0 में स्टेट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन है। जमीन एक्वायर करके मिल बनाने के लिये इसने प्लाट दिए हैं। लेकिन सड़क अगर टूट जाती है तो उसका कोई इन्तजाम नहीं होता। स्ट्रीट लाइट का तथा सुरक्षा का कोई प्रबन्ध वहां नहीं है। पानी की निकासी तथा पीने के पानी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इन्डस्ट्रीज को भगवान सहारे छोड़ दिया जाता है। इसके लिए कोई व्यवस्था की जाय।

एक बात मैं यह बतला दूं कि लोनी में सिले सिलाए कपड़ों का एक काम्पलेक्स खुल रहा है। जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन बिजली दे दी गयी लेकिन दूसरे दिन काट दी गयी और अभी तक बिजली उसे नहीं मिली तो वह काम्पलेक्स क्या करेगा? वहां मशीन लग गयी हैं वे मशीन बिना बिजली के कैसे चलेगी। इसके अलावा 10 हजार मकानों के डिमालीशन का आदेश दे दिया गया है। जब हरिजनों को जमीने एक्वायर करके दी जा रही है। देहातों में तो जिन हरिजनों ने शहरों में पेट पर पट्टी बांध कर, जमीन खरीद कर मकान बना लिए हैं उनको नियमित करार दे दिया जाय। एक निवेदन यह भी है कि गाजियाबाद में टैक्स बढ़ते जा रहे हैं? नगर पालिका की ओर से, लेकिन सड़कों पर स्ट्रीट लाइट नहीं है। इसके अलावा नौकरशाही पर अंकुश लगाना आवश्यक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत बड़ा अहित इस प्रदेश का होगा।

(इस समय 1 बजकर 55 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

मैं दो मिसाल देकर अपनी बात खत्म करता हूं। गाजियाबाद में एक सीमेन्ट का केस पकड़ा गया। जिसमें कि मिट्टी मिलाकर बेचा जाता था उसमें डेढ़ हजार रुपया शहर कोतवाल को मिलता था। वहां के सब-इन्सपेक्टर ने कहा कि इस रकम को दुगुना करो। जब दुगना नहीं किया तो उसकी शिकायत करके पकड़ा दिया। तो मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम वह सब-इन्सपेक्टर जो दूसरों को मीसा में बन्द करवाते हैं उनको भी बन्द किया जाय। जिन्होंने दो साल तक मिलावट करा कर सीमेन्ट को बिकवाया।

इसके साथ नलकूप डिवीजन (पश्चिम क्षेत्र) के अधिशासी अभियन्ता श्री जयशंकर अग्रवाल के यहां छापा पड़ा और उनके घर से दो-तीन लाख का सामान पकड़ा गया और अभी लाकर सील पड़े हैं, उनमें लाखों रुपए और निकलेंगे। लेकिन वह इन्जीनियर जो हैं, अभी तक काम कर रहे हैं। डेढ़ महीना करीब छापा मारे हुए हो गए। अभी तक वह वहीं पर काम कर रहे हैं। चूंकि शिकायत गाजियाबाद से हुई थी इसलिए गाजियाबाद और लोनी में पांच छः ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं। इनमें 11, 2, 4, 25 और 9 नम्बर के ट्यूबवेल हैं। वह कहते हैं कि गाजियाबाद से शिकायत हुई इसलिए। मैं देखता हूं कि वहां ट्यूबवेल कैसे चलते हैं। तो उनको तुरन्त सस्पेन्ड किया जाय अगर सस्पेन्ड नहीं किया जाता है तो कहीं ऐसी जगह पर भेजा जाय, जहां कोई महत्वपूर्ण काम न हो।

इसके साथ-साथ एक बात और कहना चाहता हूं। गाजियाबाद में ई0 एस0 आई0 के अस्पताल को मंजूर हुए तीन साल हो गए हैं। उसके लिए सुधार मन्डल ने जमीन भी दे दी है। पैसा भी उसके लिए दे दिया गया है। लेकिन पी0 डब्ल्यू0 डी0 के इन्जीनियर ने एक ईंट भी वहां पर नहीं रखी है। नींव तक नहीं खोदी गई है। मैं निवेदन करूंगा कि ई0 एस0 आई0, अस्पताल तुरन्त बनना शुरू कर दिया जाय।

इसके साथ एक निवेदन मैं श्रम मन्त्री जी से करूंगा कि गाजियाबाद सबसे बड़ा इन्डस्ट्रियल जिला बनने जा रहा है। इसलिए गाजियाबाद में एक असिस्टेन्ट लेबर कमिश्नर का दफ्तर खुलना चाहिए। इसके साथ रीजनल प्रोवीडेन्ट फन्ड आफिस भी खुलना चाहिए। प्रोवीडेन्ट फन्ड के कई सालों तक मामले पड़े रहते हैं। लिखा पढ़ी होती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। बहुत से लोग मर जाते हैं, उसके बाद फन्ड का पैसा मिलता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पश्चिमी जिलों के लिए मेरठ या गाजियाबाद में जो भी इन्डस्ट्रियल टाउन हों। रीजनल प्रोवीडेन्ट आफिस खोलने पर विचार किया जाय।

श्रम मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—
खोल दिया है।

श्री प्यारे लाल—

खोल दिया है तो उसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही एक निवेदन और है कि गाजियाबाद दिल्ली राजधानी एरिया में आ रहा है। तो वहां पर दिल्ली राजधानी की ओर से सड़कों का निर्माण होना चाहिए जिससे वहां पर सड़कों पर जो दबाव पड़ रहा है वह ठीक हो सके। इन शब्दों के साथ मैं अनुपूरक बजट का समर्थन करता हूं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस अनुपूरक बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें कोई शक नहीं कि प्रदेश ने प्रधान मन्त्री के 20 सूत्री कार्य क्रम को कार्यान्वित करने में गति के साथ प्रगति की है और यदि यह कहा जाय तो उपयुक्त होगा कि जितनी उपलब्धियां हो रही हैं। उन पर कांग्रेस पार्टी को गर्व करना चाहिए। हम जो इधर बैठे हैं। वह अपने प्रदेश के सबल नेता माननीय मुख्य मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हम श्री नारायण दत्त तिवारी जी को 'न्यू डैस' तिवारी कहें तो मुनासिब ही होगा और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम और आप इस बात को देखें तो आर्थिक क्षेत्र में प्रगति के कार्य में मुख्य मन्त्री जी ने प्रदेश को आगे बढ़ाया है। उनके नेतृत्व में जब इस प्रदेश के मन्त्रि-मन्डल का गठन हुआ तो तुरन्त डिविजनल स्तर पर केबिनेट सब-कमेटी की मीटिंग होने लगी। जो जिले उन डिवीजन के अन्तर्गत आते थे, उनके विकास के कार्यों की स्वीकृति ही नहीं हुई, वरन् उनमें गति आई। यह एक ऐसा एक्सपेरिमेन्ट है, जिससे प्रदेश के विकास में गति आने वाली है। कुछ बातें अवश्य ऐसी हैं, जिनको करना बाकी है। लेकिन यह कोई नहीं कह सकता कि एक साथ सारे कार्य किए जा सकते हैं। यह भी कोई नहीं कह सकता कि हमारे प्रदेश के नेतृत्व के इरादे में कोई कमी है। उत्हास के साथ प्रदेश के विकास को आगे ले जाने की कामना के साथ यह मन्त्रि-मन्डल कार्य कर रहा है।

एक और निवेदन है, बाढ़ के सम्बन्ध में यहां एक बयान दिया गया। मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं, जिसको मान्यवर, आपने स्वयं बाढ़ के बाद देखा है अर्थात् जनपद फर्रुखाबाद का राजेपुर ब्लाक, जो बाढ़ की तबाही से सदा परेशान रहता है। यह प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विभीषिका का शिकार होता है। कभी उससे राम गंगा नाराज होती है तो बर्बादी होती है और कभी गंगा नदी नाराज होती है तो बर्बादी होती है और इस बार जब दोनों ही नाराज हुईं, तो वहां पर भयंकर तबाही हुई। इस सम्बन्ध में एक विशेष बात कहना चाहता हूं कि इस ब्लाक के सम्बन्ध में, खरीफ की सारी फसल तो हर साल बाढ़ से बर्बाद होती है, किन्तु रबी की फसल इसलिए अच्छी नहीं होती कि दुर्भाग्य से यह एक ऐसा विकास खण्ड सम्पूर्ण जनपद में है। जहां कोई भी सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं है। इस विकास खण्ड की जो स्थिति ह, उसमें यह आवश्यक है कि उसे न केवल तकावी और अनुदान दिया जाए, लगान वसूली नियमों में परिवर्तन करके खरीफ के लगान की माफी दी जाय। वहां सारी फसल का नुकसान हो गया है, उनकी यह क्षमता नहीं है कि बाद में दो साल का एक साथ लगान वह दे सकें। इसलिए मैं उनकी तरफ से मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं।

मान्यवर, एक मांग मैं और बड़े समय से कर रहा हूं, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर कई गांव खतरे में हैं और कई-कई गांव गंगा और राम गंगा की गोद में प्रति वर्ष सदा-सदा के लिए सो जाते हैं। अत: बलीपट्टी गांव के पास ठोकर बनवा दी जाए गंगा नदी किनारे। इसका सिंचाई मन्त्री जी ने सर्वेक्षण भी कराया था। यह केवल 2 लाख 29 हजार की स्कीम है। यह दो लाख 29 हजार रुपया स्वीकृत हो जाए और उससे गंगा के किनारे ठोकर बन जाए तो उससे न केवल तमाम गांव डूबने से बच जायेंगे बल्कि आगे जो घटिया-घाट को जोड़ने वाली राजकीय सड़क है, वह भी कटने से बच जाएगी।

हमारा क्षेत्र कपड़े की छपाई के उद्योग लिए देश विदेश में विख्यात है। इससे कई करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। हमारे मुख्य मन्त्री जी जब पहले वित्त मन्त्री की हैसियत से वहां गए थे, तो उन्होंने वहां की छपाई उद्योग की दशा को देखकर यह घोषणा की थी कि इस उद्योग के समुचित विकास के लिए पौने तीन करोड़ रुपए की लागत से एक छपाई निगम की यहां स्थापना की जाएगी और उसका मुख्यालय भी फर्रुखाबाद में रहेगा। वहां की जनता इसके लिए अपने मुख्य मन्त्री जी की बहुत अनुग्रहीत है और मैं उनकी तरफ से आभार प्रकट करना चाहता हूं। उस निगम ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है, लेकिन मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता कि यह उनकी देन है, किन्तु आज तक उस निगम ने कोई कारगर काम उस उद्योग को बढ़ाने के लिए नहीं किया है। केवल बोर्ड लग गया है, दफ्तर खुल गया है और जनरल मैनेजर पहुंच गए हैं।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि उनके गतिशील नेतृत्व से जहां-जहां प्रदेश को लाभ हो रहा है। वहां उनके गतिशील हाथ इस निगम की ओर भी लगें कि वह अपनी मंशा पूरी कर सके। माननीय श्रम मन्त्री अप्रैल में फर्रुखाबाद गयी थीं। वहां के कपड़ा छपाई श्रमिकों ने माननीय श्रम मन्त्री का अभिनन्दन किया और वह स्वयं आश्चर्य में पड़ गयीं जबकि वहां के श्रमिकों ने बताया कि उनको जो मजदूरी 1947-48 में मिल रही थी, उससे अब कम है। माननीय श्रममन्त्री उनके प्रतिनिधियों को सुन कर इस बात पर सहमत हो गयी थीं कि एक पैनल बना दिया जायगा जिसमें श्रमिकों के प्रतिनिधि, उद्योग के प्रतिनिधि होंगे और वे उन श्रमिकों और उद्योग की सारी समस्याओं का अध्ययन करके सरकार के सामने आख्या प्रस्तुत करेंगे। ताकि श्रमिकों का शोषण न हो सके। मुझे पूरी आशा है कि माननीय श्रम मन्त्री जी इस पैनल को शीघ्र बनाने का कष्ट करेंगी ताकि वहां के श्रमिकों का उन पर जो विश्वास है कि माननीय श्रम मन्त्री के माध्यम से उनकी समस्याओं का हल होगा, वह पूरा हो सके।

आज बेसिक शिक्षा के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। बेसिक शिक्षा के अध्यापकों की और पाठशालायों की बड़ी दुर्गति है। अधिकतर बेशिक शिक्षा के स्कूल ऐसे हैं जो चू रहे ह या उनकी ठीक से मरम्मत नहीं हुई है, या भवन निर्मित हुए है। तो उनमें आधा रुपया खाया गया है। इसके साथ-साथ एक बड़ी कठिनाई है पांच-पांच, सात-सात साल के अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को अवकाश ग्रहण किए हुए हो गये हैं, न उनको भविष्य निधि मिलती है, न ग्रेच्युटी मिलती है और न पेन्शन स्वीकृत होती है। वह कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं। जहां पर अनेक समयबद्ध कार्यक्रम प्रदेश के उत्थान के लिए कार्यान्वित हो रहे हैं। वहां अल्प-वेतन भोगी अध्यापकों की ओर से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी व्यवस्था कायम हो कि उनके पेन्शन के मामले, उनके भविष्य निधि के और ग्रेच्युटी के भुगतान, वेतन के अवशेष का भुगतान टाइम बाउन्ड कर दें ताकि निश्चित समय में उनको प्राप्त हो सके। उनको परेशान न होना पड़े।

आज मान्यवर, जिला परिषद् विकास केन्द्र बनाए जा रहे हैं और इसलिए आवश्यक है कि जिला परिषद् का दखल हो। शिक्षा के मामले में क्योंकि बेसिक शिक्षा की अपनी अहमियत है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह आवश्यक हो गया कि आज 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति के लिए हर दिशा में सजग रह कर कार्य किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुपूरक आय-व्ययक का समर्थन करता हूं।

*श्री देवकुमार यादव (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान खास तौर से इस वक्त बुन्देलखंड में जो सूखे की भयंकर स्थिति है और वहां के जन-जीवन में जो भय और आशंका व्याप्त है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, इस वर्ष उस भू-खंड में अवर्षण के कारण और एक बात खासतौर से कहना चाहता हूं कि वहां के नहर के इन्जीनियर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देव कुमार यादव]

अधीक्षण अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता के जघन्य और अपराधी लापरवाही के कारण जो स्थिति हमारे जिले में पैदा हो गयी है। उसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इसकी जांच करायें और उन अधिकारियों को दन्डित करें जिन्होंने बन्धे में पानी रहते हुए पानी नहीं दिया। जिससे खरीफ की फसल-ज्वार और बाजरा वर्षा न होने के कारण सूख गये। धान की फसल भी सूख गयी—मैंने मौके पर धान की फसल को देखा है।

मान्यवर, पानी न मिलने से इतनी अच्छी धान की फसल सूख गयी जिसका कुछ कहना नहीं। एक तिहाई चावल अतर्रा मन्डी और बांदा जिला सप्लाई करता है। चावल की पूर्ति जो क्षेत्र करता है वह अकाल की स्थिति में है। इस समय जो अधिशासी अभियन्ता सिचाई विभाग के हैं वह माननीय लोकपति त्रिपाठी जी वह यहां पर हैं नहीं चले गए, के जिले में थे, उनको सजा के तौर पर बांदा जिले भेजा गया था और वह अब बांदा जिले के किसानों को सजा दे रहे हैं। मैंने उनके बारे में अपने पत्रों को लगाकर माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास भेजा। सभी किसान पानी के कारण परेशान हैं। जब किसान उनके दफ्तर पानी की शिकायत लेकर गए तो उनको दफ्तर के बाहर निकलवा दिया और कहा कि पानी हम नहीं देते हैं।

तो मान्यवर, जिन अधिकारियों का अभी भी अंग्रेजी अफसरों का सा अटीट्यूड है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। बन्धे में पानी था। मातहत कर्मचारी ने रिपोर्ट किया कि पानी है लेकिन फिर भी किसानों को पानी नहीं दिया गया। पानी न मिलने से किसानों की फसल सूख गयी। जब किसान पानी के लिए परेशान होने लगा तो उसने नहरें काटी जिससे लोगों पर 4 गुना तैवान लगाने की साजिश की जा रही है। मातहत कर्मचारी ने रिपोर्ट किया लेकिन अधिकारियों ने पानी नहीं दिया और इस कारण फसल सूख गयी।

मान्यवर, किसानों की बड़ी दुर्दशा है, इसकी जांच होनी चाहिए। अभी मुझे पता लगा है कि वह अपनी इन करतूतों को छिपाने के लिए कुछ दौरे करना शुरू कर दिए हैं। और अपने मातहत कर्मचारियों को जैसे अमीन और जिलेदारों को मुअत्तल करना शुरू कर दिया है जिससे वहां के लोगों में बड़ी परेशानी उत्पन्न हो गयी है और सारा प्रशासन परालाइज हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि फसल सूख जाने के कारण गरीबों के घरों में इस वक्त फाकाकशी शुरू हो गयी है। अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है तो हमें अकाल का सामना करना पड़ेगा। माननीय मुख्य मन्त्री जी जब हमीरपुर गए थे और वहां पर कैबिनेट की मीटिंग हुई थी तो हमने उनसे मांग की थी जिस तरह से अन्य विकास बोर्ड बने हैं, उसी तरह से ही बुन्देलखंड विकास बोर्ड बनाया जाए जिससे यहां की सारी समस्यायें दूर हो जायं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस पर करीब-करीब अपनी सहमति भी दे दिया था और मुझे आशा है कि शायद इस अधिवेशन में उसकी वह घोषणा कर देंगे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया जिससे किसानों में बड़ी निराशा उत्पन्न हो गयी है।

मान्यवर, बुन्देलखंड में शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है। बांदा जिले में 50-60 हजार ऐसे लोग हैं जो बी0 ए0 और एम0 ए0 की डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, उनको कोई काम नहीं मिला है। इस पर भी माननीय मन्त्री जी विचार करें और जिले में कोई औद्योगिक इकाई लगाने के लिए प्रयास करें। बांदा जिले में मानिकपुर है जहां पर बाकसाइट निकलता है। और वह सारा का सारा हिन्डालको या मद्रास भेज दिया जाता है। यहां सीमेन्ट बनाने का पत्थर मिलता है और सिल का कांच मिलता है जिससे कांच की चूड़ियां बनायी जाती हैं। लेकिन पता नहीं हमारी सरकार इधर क्यों ध्यान नहीं दे रही है? आज तक भी बुन्देलखंड में और खासतौर पर बांदा जनपद में कोई भी हैवी इन्डस्ट्री नहीं लगाई गई। जिसके कारण वहां पर बेरोजगारी फैल रही है और जनता में बड़ा ही निराशा

का वातावरण फैला हुआ है। मेरी मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना है कि बुन्देलखंड के विकास के लिए आयोग स्थापित करने की जो मांग थी उसे स्वीकार करने की कृपा करें और वहां के विकास की कोई योजना भी तत्काल बनायें।

हमारे बुन्देलखंड में बहुत ही अच्छी जमीन है लेकिन वहां पर किसानों को पानी नहीं मिलता है। अकेले हमारे जिले में अतर्रा की एक ऐसी मन्डी है जहां से पूरे प्रदेश की एक तिहाई चावल सप्लाई होता है? जिस स्थान पर झांसी की रानी ने और बांदा के नवाब ने आजादी की जंग में बहुत बड़ी मशाल जलाई, आज वह इलाका पानी के लिए तरस रहा है। बांदा जिले में पीने के पानी की इतनी किल्लत हो जाती है कि एक-एक बाल्टी या एक-एक घड़ा 2-2 रुपये में बिकता है।

नहर का मामला आज भी मध्य प्रदेश और हमारे प्रदेश की सरकार में अनिर्णीत पड़ा हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि हमारे मुख्य मन्त्री जी उस विवाद को शीघ्र हल करायें। पहले लोगों का यह भी अन्दाज था कि बुन्देलखंड में ट्यूबवेल नहीं लग सकते हैं। लेकिन अब ये लगने लगे हैं। इस समय हमारे जिले बांदा में केवल 39-40 ट्यूबवेल ही लगे हैं। जबकि अन्य पश्चिमी जिलों में हजारों की संख्या में लगाये गये हैं।

अब मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान बबेरू, कमासिन जस्पुरा के इलाकों की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां पर एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। न वहां पर कोई सड़क का निर्माण हुआ है और न कोई ट्यूबवेल ही बनाया गया है। मेरी प्रार्थना है कि इस इलाके के लिए मुख्य मन्त्री जी कोई योजना बनवायें और सिंचाई की कोई व्यवस्था करें।

अब मैं वहां पर सड़कों की दशा की ओर माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। हमारे इलाके में आवागमन के बहुत ही कम साधन हैं जिनके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती है। हमारे इलाके में एक सड़क ओरन से कमासिन के बीच में अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई थी लेकिन तब से आज तक भी उसकी मरम्मत नहीं हुई है। उस सड़क के बाहर चलना तो आसान है लेकिन उस पर चलना पड़ा ही मुश्किल है। अगर यह सड़क बन जाय तो बांदा से दादों तक बस रूट बन सकता है।

बांदा में यह भी देखने में आया है कि तहसील स्तर पर कोई भी महिला अस्पताल नहीं है। डिलीवरी के टाइम पर कभी-कभी बड़े कौम्पलीकेटेड केसेज हो जाते हैं और वहां की जनता को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। इसलिए मेरी प्राथना है कि कम से कम हर तहसील में एक-एक महिला अस्पताल खोला जाय। बबेरू तहसील में और दादों में न कोई दवा का प्रबन्ध है और न अस्पताल ही है। मैं चाहूंगा कि सरकार इसकी ओर तुरन्त ध्यान दे।

हमारे इलाके में एक भी लड़कियों के लिए डिग्री कालेज नहीं है जिसके कारण बहुत सी लड़कियां इन्टरमीडिएट पास करके घर बैठ जाती हैं। यदि वहां पर लड़कियों के लिए एक डिग्री कालेज की व्यवस्था हो जाय तो यह उनके हित में होगा।

अब मैं इश्हाक शम्भली, एम0 पी0 का एक पत्र आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जो उन्होंने माननीय नारायण दत्त तिवारी जी को लिखा है, उर्दू के सम्बन्ध में है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह पत्र आप किसका पढ़ रहे हैं?

श्री देवकुमार यादव—

श्रीमन्, यह श्री इश्हाक शम्भली का है जो एम0 पी0 हैं। इसमें लिखा है :—

"आदरणीय तिवारी जी,

उर्दू के लिए आपके ऐलानों और आपकी हमदर्दियों के लिए मैं जाती तौर से आभारी हूं और सभी उर्दू पढ़ने वाले और हमदर्द आपके एहसान मन्द हैं। लेकिन जब आप उर्दू

[श्री देव कुमार यादव]

के लिए इतना कर रहे हैं तो सम्भल, जिला मुरादाबाद राजकीय गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल साहबा ने इस साल नवीं क्लास में उर्दू खत्म कर दी है जो कि पिछले वर्ष पढ़ाई जा रही थी। अब तक वह लड़कियों से यह कहती रहीं कि इलाहाबाद से हमने आज्ञा मांगी है (हैरत है कि जब पिछले वर्ष 9वें दर्जे में उर्दू पढ़ाई जाती थी तो अब इजाजत का क्या सवाल और अगर इजाजत लेनी थी तो पहले से क्यों नहीं इलाहाबाद लिखा गया) और अब उन्होंने लड़कियों से कह दिया कि इलाहाबाद वालों ने अभी तक इजाजत नहीं दी। इसलिए अब तुम नागरिक शास्त्र में बैठों नहीं तो तुम को हानि होगी, तुम्हारे सब्जेक्ट न बढ़ सकेंगे और तुम आगे न पहुंच पाओगी।

श्रीमन्, इस पर लड़कियों में बहुत रोष है और मुझे डर है कि पूरे स्कूल में स्ट्राइक न हो जाय। इसलिए कृपा कर के वहां तुरन्त दखल दीजिए और वहां उर्दू कराने का कष्ट किया जाय। इसकी सूचना मैं उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी को भी दे रहा हूं। मैं आभारी हूंगा। धन्यवाद।"

इसी तरह से मुझे बताया गया कि कि उर्दू सब्जेक्ट तो बढ़ा दिया गया लेकिन उसमें पास या फेल होने में कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि उसके नम्बर नहीं जुड़ते। एक मुहिम चलाया गया था उर्दू के विकास के लिए लेकिन ऐसा रुख अपनाइए जिससे वाकई उसका विकास हो सके।

हमारे जिले में औगासी पम्प कैनाल योजना चल रही है। लेकिन लगता है कि उसमें अभी कई वर्ष काम और चलेगा हालांकि उसके टार्गेट का समय खत्म हो गया इसलिए उसको जल्दी पूरा करवाने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से खतान और कठार गांवों में काश्तकारों ने लिफ्ट कैनाल की मांग की है। वह पूरी की जानी चाहिए।

इस देश और प्रदेश की जनता ने आजादी की लड़ाई में अपनी बलि देने के कारण रानी झांसी के नाम पर काफी कुछ किया है। उसकी हमको खुशी है लेकिन बांदा के नवाब, जिन्होंने झांसी की रानी का पूरा साथ दिया था, उनके नाम पर कोई स्मारक नहीं बनाया गया और न जनता उन्हें जानती है। इसलिए वहां की जनता ने एक समिति बनायी है और माननीय मुख्य मन्त्री जी से आग्रह किया है कि वह उसके चीफ पैट्रन के रूप में उसको सहयोग दें। इसलिए हमारा आग्रह है कि इतने बड़े आजादी के सिपहसालार का कोई न कोई स्मारक बनना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि सरकार बुन्देलखंड के जन-जीवन में जो तमाम समस्यायें हैं, उनकी ओर ध्यान देगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं गाजीपुर जनपद की तरफ माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उनको बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने बहुत कुछ किया भी है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप समय का ख्याल रखें, कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, आप 5-7 मिनट ही लें।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

यह विवाद कितने समय तक चलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

करीब साढ़े 3 बजे तक चलेगा।

श्री रघुवीर—

मान्यवर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया आदि जिले के लोगों की कमर बाढ़ की विभीषिका के कारण टूट चुकी है। उस संकट के समय में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उन बाढ़ ग्रस्त जिलों का दौरा भी किया था और राहत भी दिलवायी थी। उसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने गंगा पर पुल बनवा कर तथा देवकली पम्प-कैनाल बनवा कर हम लोगों की बड़ी सहायता की थी। इस सब के होते हुए भी मैं यह कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल के जिले बहुत ही पिछड़े हुए हैं। कारण यह है कि वहां पर आज तक एक भी उद्योग नहीं लगाए गए। वहां पर काफी बड़ी संख्या मजदूरों की है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि पूर्वांचल के जिलों में छोटे-छोटे उद्योग लगाए जायें जिससे यह पिछड़े हुए जिले तरक्की कर सकें और यहां के गरीब लोगों को रोजी रोटी मिल सके।

मान्यवर, गाजीपुर जिले में 9 नदियां हैं। वहां गंगा नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियों में बाढ़ थी और आती रहती है और इसके कारण वहां के लोग तबाह व बरबाद हो जाते हैं। रबी की फसल पर वे लोग आस लगाए रहते हैं। अगर यह फसल अच्छी हो गयी और वह कट कर उनके खलियानों में आ गयी तब वे समझते हैं कि उनका कुछ भला हो जाएगा। वरना उनकी हालत बड़ी खराब होती है। उनके पास पशुओं तक के खिलाने को चारा नहीं होता। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे फ्लड एरिया के जिलों की ओर विशेष ध्यान दें ताकि ऐसे संकट के समय लोग उसका मुकाबला कर सकें और खुद को तथा अपने जानवरों को जीवित रख सकें। वहां अधिक से अधिक शीघ्र टेस्ट वर्क खुलवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे यहां तमसा नदी है। इस तमसा नदी में कटाव नहीं था, 1971-72 के बाढ़ से इस नदी में काफी कटाव शुरू हो गया है। मैं कस्बा बहादुरगंज टाउन एरिया का निवासी हूं जहां से यह नदी उत्तरांचल को सट कर बहती है। यह 11 हजार आबादी का कस्बा है, यह कभी भी नदी में जा सकता है। इसका सर्वे हो चुका है और सर्वे के बाद अब तक वहां पर ठोकर की व्यवस्था नहीं हो सकी। इसलिए सिंचाई मन्त्री जी से खासतौर के यह मेरा अनुरोध है कि इस पर वह ध्यान दें और जो सर्वे की रिपोर्ट आपके समक्ष है तत्काल उसको देखें और तमसा नदी के कटाव को रोकने का जहांतक हो, उसको रोकने की व्यवस्था करें।

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी इस वक्त है नहीं, लेकिन मैं निवेदन कर दूं, अच्छा माननीय मन्त्री जी हैं। मान्यवर, वहां पर बक्सर गाजीपुर उत्तर प्रदेश की सीमा और वहां गंगा नदी पर पुल तैयार हो चुका है यानी यह सड़क दो प्रदेशों को जोड़ रही है—उत्तर प्रदेश और बिहार। लेकिन उस सड़क की 6 मील तक दयनीय दशा है। बार-बार लिखने पर और मन्त्री जी से मलने पर फिर भी उस सड़क पर ध्यान नहीं दिया गया, जब कि कासिमाबाद के बहादुरपुर तक 1971-72 तक उस सड़क की कोई मरम्मत तक नहीं हुई है और कंकड़ तक उसमें नहीं पड़ी है। वह सड़क दो फुट पट्टी से नीचे चली गयी है। उस सड़क की बड़ी दयनीय दशा है। मैं पी0 डब्ल्यू0 डी0 के मन्त्री जी से कई बार मिला लेकिन उनका ध्यान इस पर नहीं गया। इसलिए मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी इस पर विशेष ध्यान देकर उस 6 मील रास्ते को तत्काल देखें गौर उसको बनवानें का प्रयत्न करें। मान्यवर, गाजीपुर में मैं चाहूंगा और खासतौर से वहां की स्थिति को देखते हुए कि उस सिटी में एक काटन मिल उद्योग की आवश्यकता है जिससे उस जिले का स्तर ऊंचे उठ सके। मान्यवर, उस जिले के स्तर को उठाने के लिए आप तत्काल इसकी व्यवस्था करें ताकि वहां का मजदूर उठ सके, जिसकी कमर टूट चुकी है, वह अपनी रोजी-रोटी पा सके।

मान्यवर, मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि बहादुरगंज टाउन एरिया के अन्दर आयुर्वेदिक अस्पताल बहुत पुराना बना हुआ है और उसके लिए जमीन भी हम लोग प्राप्त किए हैं लकिन अब तक उसकी बिल्डिंग नहीं बनी और किराए के मकान में

[श्री रघुवीर]
अस्पताल चलता है। इसलिए माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से अनुरोध है कि इस अस्पताल की बिल्डिंग को तत्काल बनवाने का प्रयत्न करें।

मान्यवर, एक छोटा सा सुझाव देकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। राजस्व विभाग की तरफ से गांवों में ग्रामीणों को, हरिजनों को, भूमिहीनों को जमीन आवास के लिए दी जा रही है और दी गयी, काफी संख्या में दी गयी। लेकिन लोकल बाडी में जो गरीब बसते हैं, टाउन एरिया में, नोटीफाइड एरिया में और म्युनिसिपल बोर्ड में बसते हैं इन गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। ये लोग अपना एक नारकीय जीवन उन गन्दी बस्तियों में रह कर व्यतीत करते हैं, जहां पर एक-एक, दो-दो चारपाई बिछा कर अपनी पूरी फेमिली बसर कर रहे हैं।

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस पर विशेष ध्यान दें और लोकल बाडी में इन गरीबों के लिए वह जमीन उपलब्ध करावें जैसे कि देहातों में उनके आवासों के लिए दी गयी है।

वहां के लोकल बाड़ीज् में हरिजनों और पिछड़ी जातियों के लिए आवास की कमी है। इनके लिए भी आवास की व्यवस्था की जाय ताकि वे अपने मकान बना सकें और अपनी गुजर बसर कर सकें। अन्त में मैं इस बजट का समर्थन करते हुए आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी को दोबारा धन्यवाद देता हूं। जिस कर्मठता के साथ आपने पूर्वांचल के लिए ध्यान दिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि वहां की गरीबी और पिछड़ापन बहुत तेजी के साथ समाप्त किया जा सकेगा, इस आशा के साथ अपनी बातों को रखते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष 1976-77 के अनुपूरक अनुदानों के लिए जो मांग पेश की गयी है, उसका समर्थन करते हुए आपके जरिए मैं कुछ समस्याओं के ऊपर माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। हमारे लखनऊ शहर की बात निराली है। लखनऊ सदा निराला रहा है, आज भी है। लखनऊ का नाम सुनते हुए लोगों के मन में एक काव्य की अनुभूति सी महसूस होती है और ऐसा मालूम होता है कि लखनऊ बहुत सुन्दर होगा। लखनऊ शहर के सौन्दर्यीकरण के लिए हमारे मुख्य मन्त्री जी ने फैसला किया है। उसके लिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को और इस विभाग की मन्त्री श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी को धन्यवाद देती हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में हमारा लखनऊ उतना ही सुन्दर हो जाएगा जितना कि वह नवाबों के जमाने में था। बहुत खुशी होती है देख कर कि बहुत सुन्दर-सुन्दर बाग लगाये जा रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि भविष्य हमारे लखनऊ का उज्ज्वल है। इतना ही नहीं, भैंसाकुन्ड जहां पर कि एक दिन हमारी काठ की सवारी जाएगी। अन्त में, उसके विकास के लिए भी हमारे मुख्य मन्त्री जी ने आदेश दे दिया है, जिसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं।

लेकिन मान्यवर, बड़ी-बड़ी सड़कों को सुन्दर करने से हमारे लखनऊ की समस्याओं का हल नहीं हो जाता। आप जरा लखनऊ की गरीब बस्तियों और गलियों में जाकर जरा गौर फरमावें तो आप देखेंगे कि वहां ऐसी—ऐसी बस्तियां हैं जहां पर मैं कहना तो नहीं चाहती थी लेकिन कहे बिना रहा भी नहीं जाता—जहां पर कुत्ते भी जाना पसन्द नहीं कर सकते। एक दिन मैं एक ऐसी गली में गयी जहां पर खाना बन रहा था, एक नाली के किनारे, एक लड़की की शादी थी। नाली के किनारे वहां इस कदर गन्दगी थी जहां खाना बन रहा था कि चारों तरफ ढूंढ़ने पर भी कहीं मुझे कोई कुत्ते बिल्ली नजर नहीं आये। मुझे यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महसूस हुआ कि इन्सान भी कितना नीचा, कितना दीन और दयनीय हो सकता है। जब से आपने मुझे इस क्षेत्र का नुमाइन्दा चुना है, तब से हम और हमारे कार्यकर्ता बराबर यह कोशिश करते हैं कि इन मलिन, अन्धेरी और गन्दगी बस्तियों का सुधार हो सके। लेकिन बार-बार कोशिश करने के बावजूद भी हम इसमें असफल हुए। यह मेरा ही कसूर है या मेरे भाग्य का दोष है या उन लोगों के भाग्य का दोष है। जिनको भगवान ने ऐसी बस्तियों में पैदा किया है जहां जानवर भी रहना पसन्द नहीं करते। आपके यहां मछली मोहाल एक जगह है जिसके ऊपर ध्यान दिलाती हूं। यह एक गरीब बस्ती है जहां सीवर लाइन की हालत बहुत खराब है। अगर आप जायं तो देखेंगे कि सड़कों पर बराबर गन्दा पानी 24 घंटे बहता रहता है और जो मेन होल्स हैं उनके अन्दर से गन्दा पानी इस तरह से प्रवाहित होता है जैसे कि झरना। तो मान्यवर, बार-बार कहने पर भी हम लोग सफल नहीं हुए हैं कि इस बस्ती का सुधार करा सके। मैं यह अनुरोध करती हूं कि हमारे यहां ऐसी ही तमाम बस्तियां हैं जहां पर सीवर लाइन या ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब हैं। इस पर तुरन्त कार्यवाही की जाय ताकि इन मलिन बस्तियों का सुधार हो सके। इसके अलावा मैं कुछ प्राइवेट हातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूं। (कुछ सदस्यों के खड़े होकर बातें करने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य बैठने की कृपा करें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मेरे क्षेत्र में एक सरजू प्रसाद का हाता है और एक मातादीन का हाता है। इसके एक्वायर करने की बात बहुत दिनों से चल रही है। यह प्राइवेट हाते हैं, नगर महापालिका भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। न वहां पर पानी की व्यवस्था है, न सीवर की व्यवस्था है, न ड्रेनेज की व्यवस्था है और न लैट्रिन्स की व्यवस्था है। इन हातों में बहुत ही गन्दगी है। मैं अनुरोध करूंगी कि इन प्राइवेट हातों को जल्दी एक्वायर करके यहां पर कोई बस्ती बसायें और हायर परचेज पर जो वहां के रहने वाले लोग हैं, उनको दिया जाय।

मान्यवर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मान्यवर, लखनऊ का जो विकास हो रहा है तो उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, बस्तियां बनायी जा रही हैं तो ऐसा होता है कि जो लोग पहले के बसे हुए हैं उनको हटाना पड़ता है। जैसे हैदर कैनाल के पास कोई 15 हजार लोग बसे हुए हैं। तो सड़कें चौड़ी करते समय और अन्य कार्य करते समय जो लोगों को हटाया जाता है। उस सम्बन्ध में मेरा नम्र निवेदन है कि जब आप ऐसे विकास कार्यों के लिए लोगों को हटाने का आदेश दें। तो पहले उनके लिए कोई आल्टरनेटिव प्रोवीजन होना चाहिए। उनको पहले कोई जगह दे दें तभी उनको हटाना चाहिए। उनको ऐसी जगह देनी चाहिये जहां ट्रान्सपोर्ट का इन्तजाम हो, बस्ती का इन्तजाम हो, लैट्रिन्स का इन्तजाम होना चाहिए तभी उनको हटाया जाय। इन गरीबों के कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। विकास कार्य होने चाहिए बहुत ही सुन्दर है लेकिन विकास गरीबों की हड्डियों के ऊपर नहीं होना चाहिए। उनके आंसुओं से निर्माण नहीं होना चाहिए। नहीं तो पुरानी कथा रिपीट होगी जब बड़े-बड़े महल बनते थे गरीबों की हड्डियों पर।

मेरी माननीया प्रधान मन्त्री इन्दिरा जी से बातें हुयीं हैं थीं, तो उन्होंने कहा कि मेरे यह आदेश हैं सब प्रान्तों में अगर किसी बस्ती को हटाया जाय तो वहां के रहने वालों के लिए कोई आल्टरनेटिव जगह दी जाय तब उनको हटाया जाय। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से और कहना चाहती हूं कि बेसिक शिक्षा के जो भवन हैं वह बहुत ही खराब-खस्ता हालत में है। मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहती हूं, बरफखाने में हम लोग गए तो मैंने देखा पद यात्रा के दौरान, हम लोग पद यात्रा करते हैं, दौरा करते हैं तो सिवाय इसके कि गरीबों से मिलकर आंसू बहायें या उसके आसुओं के मोती बनाकर आंचल में रखें, इसके सिवा हमें और ख्याल नजर नहीं आता, तो मैंने जाकर देखा कि वहां की बिल्डिंग बहुत खराब है। वहां पहली शिफ्ट में 300 बच्चे पढ़ते हैं और दूसरी शिफ्ट में भी 300-400 बच्चे पढ़ते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समाप्त करने की कृपा करें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

तो मान्यवर, बेसिक शिक्षा की जो बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाय।

मान्यवर, एक और अनुरोध करूंगी कि ग्राम्य क्षेत्र में कसमन्डी की सड़क है वह अधूरी बन गयी है जिसको पूरा करने की जल्दी कोशिश की जाय। अन्त में हमारे क्षेत्र में जो गरीब हरिजन हैं जिनके पास साधन नहीं हैं, बस्तियों के सौन्दर्यीकरण के समय में, उनकी ओर नजर डालें और उनकी मजबूरी को अपनी मजबूरी समझें और उनके दिलों में एक दीपक जलाने का यत्न किया जाय।

श्री अम्बिका प्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुपूरक बजट के सिलसिले में मैं कुछ अपने जनपद सुल्तानपुर की चर्चा कर देना चाहता हूं। अभी जब बाढ़ और सूखे पर चर्चा चल रही थी तो अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि बजट के सिलसिले में उस पर चर्चा कर दें। मान्यवर, एक कठिनाई हमारे जनपद को यह है कि ज्यादातर बाढ़ वहां मानी जाती है जो शहर डूब जायं जैसे जौनपुर, आजमगढ़ शहर डूब जाता है तो वहां बाढ़ मानी जाती है। लेकिन हमारा शहर सुल्तानपुर इतना ऊंचा बसा है कि वह डूबेगा नहीं इसलिए वहां बाढ़ नहीं मानी जाती है वहां गांव डूबते हैं अभी जैसा माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा कि 4 दिन घनघोर वर्षा हुई जिससे घर गिर गए और बरसाती नालों, झीलों, तालाबों ने तबाही मचा दी। मझुई नदी की बाढ़ से फैजाबाद बाढ़ पीड़ित घोषित हुआ जो सुल्तानपुर फैजाबाद को सरहद बनाती है लेकिन हमारे वहां का उत्तरी क्षेत्र जिसमें रसौली, जयसिंहपुर, कादीपुर पड़ता है उसको नहीं माना गया। इसका क्या कारण है? अधिकारियों ने उसके सिलसिले में कुछ लिखा है कि नहीं यह मुझको नहीं पता है। उस समय मेरे पैर में फ्रेक्चर था इसलिए हमने मुख्य मन्त्री जी को पत्र लिखा था जिसका जवाब गया कि मैं जांच करवा रहा हूं। मैं मानता हूं कि अधिकारी नहीं गए होंगे चूंकि सारा रास्ता बाढ़ से कट गया था जीप न गई होगी। इसलिए यदि रिपोर्ट अधिकारियों ने न दिया हो तो फिर से उसकी जांच करवा लें।

मान्यवर, मेरा जिला पिछड़ा होने के कारण राज्य सरकार ने सोचा कि किसानों के हित में एक चीनी मिल शुरू की जाय। जमीन ली गयी और कुछ इमारतों का निर्माण भी हुआ। और 1974 में 1,16,30,000 रुपए एक कम्पनी त्रिवेणी इन्जीनियरिंग को एडवान्स कर दिया किन्तु उसने आज तक काम नहीं शुरू किया है। बिना ब्याज के इतना रुपया किसी को मिल जाय तो क्या कहना है। वह चीनी मिल 1977 तक चलनी थी लेकिन अब वह चलेगी नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इसको जल्दी बनवा दे।

मान्यवर, नान-टेक्निकल जितने इम्प्लायीज हों, सुल्तानपुर के रखे जावें उनकी भूमि ले ली गई है उनको रोजी की सुविधा होनी चाहिये जैसा कि फैजाबाद मिल में किया गया है। टेक्निकल स्टाफ चाहे दूसरी जगह से ले लें।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली विभाग की अजीब हालत है कादीपुर में सहकारी कोल्ड स्टोरेज बन गया लेकिन उसको बिजली नहीं मिल रही है। उसने 55 हजार रुपया जमा किया है लेकिन बिजली विभाग कहता है कि अभी डेढ़ लाख रुपया और जमा करो तब बिजली मिलेगी। कोल्ड स्टोरेज के न चलने से किसान तबाह हो जायेंगे इसलिए इस पर आप ध्यान दें।

मान्यवर, एक और समस्या हमारे जिले की है वह है बेरोजगारी की समस्या। हां के लोग इन्डस्ट्रियल माइन्ड के तो हैं नहीं इसलिए लोग बेरोजगार हैं। जब कुछ लोग बतैयार होते हैं तो फाइनेन्स के लिये बैंकों के पास जाते हैं। एक साल हो गया है कई बेकार लोग भैंस

के लिए बैंक आफ बड़ौदा से ऋण चाहे। लेकिन वह इतना दौड़े कि निराश हो गए। सुलतानपुर का 6 करोड़ रुपया इनके यहां डिपाजिट है किन्तु 20 प्रतिशत भी सुलतानपुर पर लगाए नहीं हैं। इन पर कोई अंकुश लगाया जाय और इन बेकार लोगों को जरूर मदद दिलाई जाय। बेचारे निराश कर दिए गए हैं।

मान्यवर, अगर निर्माण कार्य होगा, डेवलेपमेन्ट का कार्य होगा तो कर का बोझ बढ़ जाता है यह आवश्यक भी है। लेकिन मैं सरकार से कहूंगा कि इस बात का जायजा जरूर रखें कि लोगों पर बोझ उतना ही लादें जितना वे सहन कर सकें नहीं तो उस कमजोर गधे की तरह मर जायेंगे। परिस्थिति कुछ इस तरह की बन रही है। मैं जनता की तरफ से आया हूं उनकी असली सूरत बता देना और आप को सचेत कर देना मेरा कर्तव्य है। करों और लगानों की बढ़ोत्तरी किसानों पर अधिक हो रही है। इस समय 40 रुपए प्रति क्विन्टल धान बिक रहा है किसानों का। एफ0सी0आई0 ने कहीं दुकान नहीं खोली। 74 रुपए ऐलान हुआ। सेठ लोगों ने 40 रुपए में खरीद लिया और 74 रुपए में सरकार को दे देंगे। किसान बेसहारा रह गया। किसान की हालत यदि हम कमजोर बना देंगे तो ये तबाह होने से बच नहीं सकते राष्ट्र का अहित होगा। गरीबों के लिए कन्ट्रोल्ड कपड़ा दिया गया। पिछले साल कन्ट्रोल्ड कपड़ा ग्यारह रुपया पचास पैसे पर मोटी धोती मिल रही थी, अब 16 रुपया 60 पैसा हो गयी। मान्यवर, इस तरह से बढ़ोत्तरी होती रहेगी तो उनको मदद क्या मिलेगी? पूंजीपति जब चाहता है कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ा कर अपना पेट भर लेता है। अब समय नहीं लूंगा इसलिए कि आप की लाल बत्ती दिखाई पड़ी है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा बेसिक स्कूल के सम्बन्ध में कि मेरे जिले में 70 फीसदी स्कूल पेड़ों के नीचे लगते हैं। सरकार को इस पर कुछ सोचना चाहिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी और डी0 आई0 ओ0 एस0 रोज लड़ते हैं। कोई व्यवस्था नहीं हैं। माननीय शिक्षा मन्त्री इस पर गौर करेंगे। कोई उचित बेसिक शिक्षा अधिकारी भेजें। उन्हें लखनऊ बुला लें।

मान्यवर, एक बात और मैं कहना चाहता हूं क्योंकि सिंचाई मन्त्री मौजूद हैं। बिजली न मिलने से बहुत लोगों ने डीजल के ट्यूबवेल लगाए हैं। बहुत से लोगों ने दस हजार रुपया लैन्ड डेवलेपमेंट से कर्ज लिया है। अब आपके सिंचाई विभाग के अधिकारी बिजली के ट्यूबवेल को ट्यूबवेल मानते हैं और डीजल के ट्यूबवेल को जो एक जगह फिक्स है उसको नहीं मानते। अगर ऐसा हो जायगा तो वे लोग बरबाद हो जायेंगे। इसमें थोड़ा ध्यान दिया जाय।

इसके साथ-साथ एक दुःखद घटना मैं सुना दूं। हमारे क्षेत्र में एक भवन यादव विगत अगस्त माह में नसबन्दी के कारण मर गया। मैंने चिट्ठी दी मुख्य मन्त्री को। उन्होंने कहा उसे सब सुविधा दी जायगी लेकिन जिले के अधिकारी एक भी नहीं गए उसके घर पर। मान्यवर, उसके लड़के की पढ़ाई, जो हाई स्कूल में था, छूट गयी और चकबन्दी का लेखपाल जो प्रेरक था बंजर देने की लालच दी तो बंजर दिलवा दी क्योंकि मरते वक्त उसने कहा था कि भले ही मैं मर जाऊं बच्चों को जमीन तो मिल जायगी। यह ऐसी दुःखद घटना है जो आज तक देखी नहीं गयी। सी0एम0ओ0 तथा जिला अधिकारी वहां नहीं गए उसके घर पर। कुछ तो सरकार सोचे कि उनको क्या आश्वासन दिए थे उनके साथ क्या व्यवहार किया जाय? इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं इस अनुपूरक बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुपूरक बजट पर बहस हो रही है और एक ऐसे समय पर बहस हो रही है। जब देश में निर्णायक फैसले लिए जा रहे हैं और श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में इस देश की 60 करोड़ जनता प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। इस समय आशा की जाती थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री के नेतृत्व में इस प्रदेश की दस करोड़ जनता उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। वह दिशा जो संविधान में संशोधित की जा रही है। उसके लिए शक्ति वह जुटायेंगे और जो चुनौतियां आज का इतिहास हमको दे रहा है उनके मुकबाले के

[श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग]

लिए नेतृत्व प्रदान करेंगी। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में जनता की ओर से जो नेतृत्व मुख्य मन्त्री जी ने देश के सामने रखा है उस पर देश आज चकित है। आज देश के सामने सवाल था कि हम राजनीति के उस मोड़ पर खड़े हैं कि वह लोग जो 64 फीसदी जनता के वोट लेकर आज संसदीय प्रणाली को तोड़ने पर आमादा है और आपको माननीय उपाध्यक्ष जी याद होगा कि जिस दिन इस सदन का गठन हुआ। उसी दिन विरोधी दल के नेता ने आपको चुनौती दी थी कि जिस सरकार को हम बैलेट से नहीं बदल सके उसको बुलेट से बदल देंगे और आज इमरजेन्सी के 15 महीने के बाद भी उनका रुख आपके सामने है कि वह चाहते हैं कि संसदीय प्रणाली तोड़ दी जाय। अगर आज आप चाहते हैं कि जनता को जनतांत्रिक तरीकों से समाजवाद की ओर ले जायं तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है।

आज आपके सामने यह सवाल था कि जिस मजदूर वर्ग ने आपका साथ दिया है। उसको आप अपने साथ लेकर समाजवाद के लिए आगे बढ़ें। मैं देखता हूं कि यह दिशाविहीन सरकार है। यह समाजवाद की दिशा को पकड़ने वाली सरकार नहीं है। यह सरकार जो यह जानती है कि सेन्टर से रुपया लिया जाय उसको बजट में लगाया जाय लेकिन उससे कौन राजनीति उत्पन्न होगी। इसके बारे में सोचना नहीं चाहती क्योंकि आज मुझको लगता है कि आपको समाजवाद का नाम लेते हुए भी डर लगता है। आज आपने उन मर्यादाओं को उन परम्पराओं की, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन् 1936 में रखी थी, तोड़ दिया। उन्होंने कांग्रेस को एक नया जीवन दिया था, नया जीवन देकर समाजवाद लाने का आवाहन किया था और कहा था कि उस समाजवाद की ओर जाना होगा तो मजदूरों का संगठन बनाना होगा, विद्यार्थियों का संगठन बनाना होगा। किसान का संगठन बनाना होगा। उसको ध्यान में रखकर आपको बजट को लाना था। आपने तो प्लानिंग को तोड़कर अब फेमिली प्लानिंग तक पहुंचा दिया है। आपने तो आज एक ऐसा चलन अख्तियार कर लिया है कि लोग अचम्भे में पड़ गए हैं। प्रधान मन्त्री कहती हैं कि हम समाजवाद लायेंगे। उसके लिए बिल लायेंगे और माननीय मुख्य मन्त्री जी आज देश को नेतृत्व प्रदान करते हैं कि इस संकट काल के समय में आज कांस्टीट्यूएन्ट्स एसेम्बली बनाइये। और उस नेतृत्व को मानकर हम यह आवाज देते हैं कि उत्तर प्रदेश में यह नारा निकला है कि आज कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली बनेगी और नए संविधान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं .....

सिंचाई मन्त्री (श्री लोकपति)—

किसी राजनीतिक दल का कंस्टीट्यूएन्ट असेम्बली से क्या सम्बन्ध है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

माननीय मन्त्री जी को इसमें कुछ समझ में नहीं आता इसमें खेद है, माननीय उपाध्यक्ष जी अगर कंस्टीट्एन्ट एसेम्बली बनती है तो देश टूटेगा।

श्री लोकपति—

मेरा एतराज है कि जिस चीज पर चर्चा हो रही है उसका कंस्टीट्एन्ट एसेम्बली से क्या सम्बन्ध है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

बजट एक राजनीतिक पार्टी लेकर आयी है। राजनैतिक पार्टी .....

श्री लोकपति—

बजट उत्तर प्रदेश शासन का लाया गया है, किसी राजनीतिक दल का नहीं आया है।

श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)—

माननीय सदस्य बजट पर भाषण करें बजट के अलावा किसी अन्य बात पर नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

जैसा मैं कह रहा था अगर सत्तारुढ़ दल ने इन बातों पर गौर नहीं किया तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। आज आपके सामने सवाल यह है, आपके सामने कसौटी यह है कि गरीब जनता को राहत मिलेगी या नहीं, लोक सभा के चुनाव वक्त पर होंगे या नहीं अथवा उनको टालने की जरूरत होगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य बजट सम्बन्धी नीति पर ही इस समय सदन में विचार प्रकट कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए यह बात कह रहा हूं कि इस बजट में मजदूर सम्बन्धी नीतियां क्या होंगी, कारखाने बन्द रहेंगे या चलेंगे, उत्पादन बढ़ेगा या गिरेगा और किसानों को बिजली मिलेगी या नहीं तथा मुसलमानों को उनके अधिकार मिलेंगे या उन पर हमला होगा.....

श्री निर्भय नारायण सिंह—

यह सब कार्यवाही से निकाल दिया जाय। अगर यह सब कहा जायगा तो अव्यवस्था होगी।

श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

यह जाति भावना पैदा करने वाली बात है।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

आपको इस बात से इन्कार नहीं होना चाहिए। फखरुद्दीन अली साहब ने लखनऊ में आ कर कहा कि लोगों को इस सदन में उर्दू में दरखास्त देने का अधिकार नहीं है। मुख्य मन्त्री ने इसका जवाब नहीं दिया, आप इसका जवाब दें ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

क्या राष्ट्रपति के ऊपर इस सदन में बहस हो सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष—

गर्ग साहब, बजट से जो बात सम्बन्ध रखती हो, उसी तक आप अपने को सीमित रखें।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

नीति निर्धारित करके बजट बनाया जाता है और उन नीतियों के लिए पैसा खर्च होता है। क्या आप कह सकते हैं कि इस बजट के जरिये आप समाजवाद ला सकते हैं ? सिंचाई पर ज्यादा पैसा खर्च होता है लेकिन किसान को पानी नहीं मिलता। बिजली के लिये पैसा आप देते हैं लेकिन किसान को बिजली नहीं मिलती। कारखानों को आप पैसा देते हैं लेकिन मजदूर को पैसा नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरह से आप अपनी मर्यादाओं तथा परम्पराओं को मिटा रहे हैं। इस बारे में अगर यहां पर चर्चा नहीं होगी तो आप यह भी समझ लें कि देश टूटेगा और देश के साथ जनतन्त्र भी खतरे में पड़ जायगा। आज जनतन्त्र से अगर कोई मतलब नहीं है। तो फिर यह बहस बिलकुल गलत है। मैं समझता हूं कि शासक दल में अब शायद कोई बात सुनने की आदत खत्म हो गई है क्योंकि विरोधी दल बाहर है। आप केवल वही बात सुनना चाहते हैं जो आपको अच्छी लगे, जिससे आपको खुशी हो। अगर यही सब होगा तो हम लोग भी कब तक यहां रहेंगे ? आपको न विधान सभा चाहिये और न संसद चाहिए। आप केवल सत्ता चाहते हैं और वह रूप जो तानाशाही का हो। आपकी पुरानी मर्यादा इससे मिट जाएगी जिस कांग्रेस ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद को यहां से हटाया और इस तरह से इस देश में केवल गुन्डा कांग्रेस का राज्य हो जाएगा।

श्री लोकपति—]

उपाध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है कि उन माननीय सदस्य को यह बता दिया जाय कि यह बजट पर बहस हो रही है। कोई प्लेट फार्म पर भाषण नहीं हो रहा है या यह अदालत की किसी याचिका पर बहस नहीं ह ।एक विषय सदन में उपस्थित है, अनुपूरक बजट, उसी पर सम्माननीय सदस्य बोलें। उसके सन्दर्भ में जो बोलना चाहे वह हम सुनने के लिए तैयार हैं।

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त)—

साम्प्रदायिकता फैलाने वाली बातें यह कह कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य शासन की नीति सम्बन्धी विषय पर बोल सकते हैं, लेकिन नीति के साथ राजनीति जुड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

मान्यवर, बजट की कोई राजनीति नहीं होती। बजट म कोई राजनैतिक झगड़ा नहीं होता। यह नई संसदीय प्रणाली आज तय हो रही है। यह खुशी की बात है हमको नया सबक सिखाया जा रहा है। शासक दल विरोधी दलों को अब बताएगा कि कब बोलना चाहिए और क्या बोलना चाहिये ? यह बहुत अच्छी बात ह। आपकी विद्वत्ता पर कोई सन्देह नहीं है लेकिन अब आप में बरदाश्त करने की ताकत कम हो गई ह। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जहां तक बजट का सवाल ह हरिद्वार में सबसे अच्छी म्युनिसिपल बोर्ड चल रही थी। लेकिन उसके स्थान पर वहां ऐडमिनिस्ट्रेटर रख दिया गया जो सबसे ज्यादा रिश्वत ले रहा है। वहां पर रेजिडेन्ट कमिश्नर ने कांग्रेस के दो दलों में झगड़ा दिखा कर रामलीला कमेटी के दफ्तर में ताला लगा दिया। वहां रिश्वत का अड्डा बन गया है। माननीय सिंचाई मन्त्री जी वहां गए बहादुराबाद से लक्सर तक आप चले जायं एक भी अस्पताल नहीं है, एक भी स्कूल नहीं है। आप वहां पर बचन दे कर आये थे बहादुराबाद में स्पोर्ट स्टेडियम बनेगा। उसका क्या हुआ ?

वहां गुरुकुल एक युनिवर्सिटी है। वह गुन्डों का अड्डा बनी हुई है। हमने और कांग्रेस वालों ने एक मेमोरन्डम मुख्य मन्त्री जी को दिया था कि यहां पर ये-ये सुविधायें जरूरी हैं। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी वहां गए थे और कहा था कि एक अस्पताल वहां खुलेगा लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ। आज बजट का निर्देशन निर्धारण वह शख्स करता है जो मुख्य मन्त्री नहीं है। आप उनके साथ में फोटो खिचाते हैं। आपकी जो मर्यादा थी वह खत्म हो गई। माननीय कमलापति त्रिपाठी यहां मुख्य मन्त्री रहे, पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त यहां मुख्य मन्त्री रहे तो कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा ? एक व्यक्ति के इशारे पर काम हो रहा ह जो देश का प्रधान मन्त्री नहीं, जो केन्द्र का मन्त्री नहीं, वह हर मामले में प्रेरणा दे रहा है और वह बजट का आधार बन रहा है। आगरा में टूरिस्ट कम्प्लेक्स बनेगा, वहां के कमिश्नर का तबादला हो गया। यह सब फैसला कौन लेगा ? वह व्यक्ति जो देश का प्रेसीडेन्ट नहीं, केन्द्र का कोई मन्त्री नहीं, जिसका संविधान से कोई ताल्लुक नहीं, जिसका कोई स्थान नहीं। वह देश और प्रदेश की बागडोर को चलाये। मैं समझता हूं कि जब आप मुझको कुछ सिखा रहे हैं तो कुछ अपनी मर्यादाओं को भी सीखें।

प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश को जो नेतृत्व दिया है और उनके प्रयासों से 86 देशों की जो एकता बनी है, उससे सबसे बड़े साम्राज्यवादी देश के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है, अत : यह श्रीमती गांधी के नेतृत्व को तोड़ देना चाहते हैं। विरोधी दल आज काम नहीं कर रहें हैं अत : वह अब आपके अन्दर ही घुसकर आपकी मर्यादा को तोड़ेंगे। आज ही आप देखें यूथ कांग्रेस के नेता ने कहा है कि यूथ कांग्रेस में वह लोग शामिल हो रहे हैं, जिनको बाहर का पैसा मिलेगा और जो चाहेंगे कि हमारी नीतियों को तोड़ दिया जाय। इस खतरे के समय यदि आप केवल स्वास्थ्य पर या सिंचाई पर बात करना चाहते

हैं और देश की वास्तविकता पर पर्दा डालना चाहते हैं। देश को उस खतरे से आगाह नहीं करना चाहते हैं, जो उस आधार को खत्म करना चाहता है, जो कि हमारे लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू और गांधी जी का दिया हुआ बरदान है, तो यह देश आगे नहीं बढ़ेगा।

मैं चाहता हूं कि एक शिक्षण केन्द्र होना चाहिए, जहां शासक दल के लोगों को अपनी परम्पराओं के बारे में शिक्षा मिले। (व्यवधान) आपकी तरफ से जनतन्त्र को मिटाने की कब चेष्टा होगी, इसका भी फैसला होगा। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस भयंकर खतरे के समय आप कोशिश करें कि आप प्रधान मन्त्री जी को आश्वासन दे सकें कि इस प्रदेश की 10 करोड़ जनता में से 80 प्रतिशत लोग कांग्रेस के समाजवाद में आस्था रखते हैं, हमने उनकी नीतियों पर अमल किया है, जिससे छोटे किसान और मजदूर सन्तुष्ट हैं, खेतिहर मजदूरों व भूमिहीनों को हमने अपने साथ खड़ा किया है और विरोधी दल के लोगों का असली चेहरा हमने आम जनता को पहचनवा दिया है। धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस अनुपूरक बजट पर बोलते हुए बहुत सी राजनीति की बातें भी आ गई, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी . . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

राजनीति की तो देश में ही आवश्यकता नहीं है।

*श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

श्रीमन्, जैसा कि हमने एक बार निवेदन किया था हमारे बीच म कुछ लोग ऐसे आ गए हैं, जिनको कायदे से पार्लियामेन्ट में होना चाहिये था, राष्ट्रीय प्रश्नों पर जिनको ज्यादा चिन्ता है। यह ठीक भी है, लेकिन यह सदन उसके लिए फोरम नहीं हो सकता ह। मैं इस सिलसिले में 2-1 बातें निवेदन करना चाहूंगा—जैसा गर्ग साहब ने कहा, समाजवाद की दिशा में कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है, इसमें दो राय नहीं है और हम सब पूरा शासन, विधान मन्डल दल, कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस मिलकर इस चेष्टा में लगे हुए हैं। गरीबों के हित में, पिछड़े हुओं के हित में जो वातावरण बना हुआ है, उसको और आगे बढ़ायें। इसी सब के लिए यह बीस सूत्री कार्यक्रम आदि सब कार्यक्रम निर्धारित किये गए हैं। दिक्कत यह पैदा हो जाती है कि कुछ लोग ऐसे हैं, जो उन कार्यक्रमों को लागू नहीं होने देना चाहते हैं। लोग विरोधी दल में भी हैं और कांग्रेस में भी ऐसे छद्मवेषी लोग घुसने की चेष्टा कर रहे हैं, करते रहे हैं। जिस दल को गर्ग साहब बिलांग करते हैं, और जिससे उनकी पार्टी रिजेम्बल करती है, वहां भी ऐसे लोग प्रवेश कर जाते हैं। रूस में भी यह किस्सा हुआ था। ख्रुश्चेव का किस्सा आया था कि कैसे उनके यहां सोवियत यूनियन का प्लान रद्द करने के लिए गोल आए थे। तो सम्भावना यह भी हो सकती है और बनी रहती है, किन्तु सारा प्रशासन सतर्क होकर उसको बीड-आउट करने की कोशिश कर रहा है। शासन म बैठे हुए, मन्त्री हों या अन्य लोग हों, ये इन्सान हैं, उनको अपनी कमजोरियां कभी परिलक्षित होती हैं, उनको मैग्नीफ ई करने की बहुत जरूरत नहीं है। फेमली प्लानिंग की बात ऐसी थी, जिसका गर्ग साहब ने हवाला दिया कि प्लानिंग घटते-घटते फेमली प्लानिंग पर पहुंचा दी गई है। चूंकि वह समाजवादी हैं और अपने को कहते हैं और मैं उनको मानता भी हूं। ऐसा व्यक्ति इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में हल्के ढंग से कह दे यह मुझे खटका। पिछले वर्षों में हम लोगों ने चेष्टा की है फेमिली प्लानिंग के लिए, दो लाख भी नसबन्दी नहीं हो सकीं।

आज सारे देश के अर्थशास्त्री मानते हैं, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, लेटिन अमेरिका में, अफ्रीका में जहां आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है वहां विकास का काम नहीं हो सकता है। हम प्रगति करते हैं तीन परसेंट आबादी ढाई परसेन्ट की रफ्तार से बढ़ती जा रही है। स्वाभाविक है, कोई भी विकास का परिणाम सरकार के सामने नहीं आता। उसी को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव]

ध्यान में रखते हुए फेमिली प्लानिंग का कार्य इतने जोरों से लागू किया गया। खुशी है कि पांच लाख से ज्यादा का लक्ष्य प्रदेश की सरकार ने प्राप्त किया। इस पर सारे प्रदेश के नेतृत्व वर्ग को, चाहे विरोधी हों या कांग्रेस के हों, उनको गर्व करना चाहिए। लागू करने वाले अधिकारी ही हैं। कहीं-कहीं उनसे गलतियां भी हुई हैं। लेकिन पूरे कार्यक्रम को इस तरह से हास्यास्पद बनाने की चेष्टा करना मैं माननीय गर्ग जी से और दूसरी पार्टी के भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि आप उस कार्यक्रम को अपना समर्थन देते हुए जहां पर भी नजर आये उसकी ओर ध्यान दिलाने की चेष्टा करें।

मैं खास तौर एक बात माननीय मन्त्रियों से कहना चाहता हूं। माननीय ब्रह्मानन्द रेड्डी, केन्द्रीय गृह मन्त्री ने बयान दिया जिसका सीधा ताल्लुक हम लोगों से भी है। उन्होंने कहा कि मुनाफाखोर लोग, चोरबाजारी, होर्डर्स फिर से उभर रहे हैं। मैं शासन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि हमारे यहां भी जैसी इमरजेन्सी के दिनों में सख्ती दिखायी देती थी, चाहे समय बीतने की वजह से हो, आज वह परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि माननीय खाद्य मन्त्री मौजूद हैं, कड़ुवा तेल का संकट भी पैदा हुआ। हम लोगों के यहां बाढ़ आयी। जिस समय बाढ़ आयी, बाढ़ के आने से पहले कड़ुवा तेल साढ़े पांच-छः रुपए किलो बिक रहा था। जिस रोज मालूम हुआ कि पानी बढ़ रहा है, बाढ़ आने की सम्भावना है, कड़ुआ तेल का दाम 8, साढ़े आठ, दस रुपए किलो हो गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने रसीद दिखलायी, दस रुपए किलो की रसीद काट कर कड़ुआ तेल उनको दिया गया। मैं माननीय मुख्य मन्त्री और शासन से सम्बन्धित मन्त्रियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो ब्लैक मार्केटियर्स, मुनाफाखोर, और होर्डर्स हैं, जहां पर भी मौका मिलता है, फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जिस वक्त इमरजेंसी लागू हुई गवर्नमेंट की इन्स्ट्रक्शन्स गयी कि बड़े-बड़े डकैतों, ऐन्टीसोशल एलिमेंट्स के खिलाफ मीसा का इस्तेमाल किया जाय।

जिस दिन मैं असेम्बली में भाग लेने के लिए आया अखबारों में पढ़ा कि लखनऊ की राजधानी में तीन-तीन डकैतियां हुईं। बीस-बीस आदमियों ने दरवाजा तोड़ डाला। मैं आज कल तालकटोरा में रहता हूं। जहां पर मैं रहता हूं थोड़ी दूर पर, पता लगा, 15 आदमियों ने आकर कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ा, आपने अखबारों में समाचार पढ़ा होगा, इसी तरह से विष्णुपुरी में घटना हुई। इमरजेन्सी में बहुत सी पावर सरकार को दी गयी हैं। इससे ज्यादा पावर्स कभी मिल सकती है? मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। इन पावर्स का इस्तेमाल इस तरह से जरूर करें कि जो ऐन्टीसोशल एलिमेन्ट्स हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल कर जनहित की सुरक्षा करें। अगर राजधानी में नहीं कर सकते तो जौनपुर के देहातों में आप क्या कर सकेंगे? तो श्रीमन्, मैं इसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय तिवारी जी का जब मैं भाषण सुनता हूं वह मेरे मित्र हैं और पुराने नेता भी हैं, वह न्यू डैस तिवारी हैं।

एक सदस्य—

हिन्दी में क्या हुआ?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

हिन्दी क्या होगी? ऐसा लगता है कि उनकी दृष्टि कुछ जिलों पर कतई नहीं जाती है और उन जिलों में से मेरा भी, जिला है। मैं सुनता रहता हूं कि बुन्देलखंड में फलां काम हो रहा है, मथुरा में अमुक चीज तैयार की जा रही है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरी जगह पर हैं।

मान्यवर, आप बेकारी की कल्पना करें तो उसमें भी सबसे आगे हैं। हमारा जिला जौनपुर। यहां पर 14-14 डिग्री कालेज हैं वहां बच्चे पढ़ लिखकर कहां जायेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि ईरान से लेकर साऊदी अरब तक चले जायं तो वहां पर भी हमारे जिला जौनपुर के लोग मिलेंगे। हजारों रुपया खर्च करके पास पोर्ट बनवाते हैं और वहां पर

जाते हैं और वहा पर मिट्टी खोदने का भी काम करते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर और जो काम वह कर रहें हैं। वह बड़े गौरव की बात है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन इलाकों में कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है। उन इलाकों को भी वह ध्यान रखें जिससे समान रूप से प्रदेश का विकास हो।

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। जिन्होंने इन अनुपूरक अनुदानों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए। अनुपूरक अनुदान हमारी बजटीय प्रणाली की एक सर्वमान्य परिपाटी का एक भाग है। जो मुख्य बजट के प्रस्तुतीकरण के बाद जो व्यय करना अनिवार्य हो जाता है, जो नया व्यय करना पड़ता है। उसके प्राविधान के लिए यह अनुपूरक बजट आवश्यक हो जाता है। श्रीमन्, मैं इस सदन की अनुमति से और वित्त मन्त्री होने के नाते मेरा यह प्रयास रहा है कि अनुपूरक अनुदान की जो बजटीय आवश्यकता है, प्रदेश के विकास की आवश्यकता है, उसके अनुरूप एक नीति निरूपण का और विकास की योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए हो। आप देखेंगे कि यह इसी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है और एक महत्वपूर्ण कड़ी है। श्रीमन्, आप देखेंगे कि इस अनुपूरक अनुदान में इस प्रदेश के विकास के लिए जो पिछले 9 महीनों में निर्णय लिए गए हैं उनको लागू करने का प्रयास प्रतिबिम्बित होता है। माननीय सदस्यों ने कृपा पूर्वक इस बजट की खामियों को और कमियां को बताया और अपने क्षेत्र तथा जिलों की कठिनाइयों को सदन के समक्ष रखा। वह यदि इसके विवरण को देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि जो दिशा अपेक्षित है वह दिशा इसमें विद्यमान है। अनुपूरक मूल बजट नहीं होता है। अनुपूरक अनुदान में जो वित्तीय विवेचना होती है। वह केवल नयी मदों से सम्बन्धित होती हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें नयी मदें रखी गयी हैं और वह इसमें परिलक्षित होती हैं।

(इस समय 3 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

आप देखेंगे कि आज प्रदेश की जो मुख्य आवश्यकतायें हैं और जो हमने मुख्य-मुख्य निर्णय लिए हैं, वे सब इस बजट में प्रतिबिम्बित होते हैं।

इस सम्मानित सदन में सदस्यों की यह मान्यता रही है कि प्रदेश में ट्यूबवेल्स बड़ी संख्या में बनाए जाएं, उनके लिए हमने इस बजट में प्राविधान किया है। हमारे प्रदेश के इतिहास में पहली बार नलकूप निगम की स्थापना हुई है और इस अनुपूरक बजट के माध्यम से हमने उसके लिए एक करोड़ शेयर कैपिटल का प्राविधान किया है और यह अपेक्षा की है कि यह नलकूप निगम बैंक्स से, एग्रीकल्चर डेवलपमेन्ट बैंक से, एल0 आई0 सी0 आदि से बजट के अतिरिक्त इस शेयर कैपिटल के आधार पर 10 गुना अर्थात् 10 करोड़ की पूंजी प्राप्त कर सके।

अब हमने डिवीजनल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन की स्थापना की है। पहले हमारे प्रदेश में पूर्वांचल विकास और कुछ और विकास निगम थे लगभग 3-4 थे और वे बहुत बड़े क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। अब हमने प्रत्येक डिवीजन पर विकास निगम की स्थापना की है और इस कार्य के लिए हमने इस अनुपूरक बजट में दो करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। अब मंडलीय विकास निगम जो उन जिलों में लीड बैंक्स हैं उनसे सहायता ले सकता है। वैसे तो कहीं-कहीं पर क्षमता के ऊपर कुछ संचालन करता है लेकिन अगर हम अनगारन्टीड डिबेन्चर्स जारी करते हैं तो उसका बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारी जो पांचवीं पंच-वर्षीय योजना है उससे बाहर जाकर हमें पैसा मिला जायगा। हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि हाउसिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट भी अनगारन्टीड डिबेन्चर्स फ्लोट करे। हमारे प्रदेश नें नियोडा जो सबसे बड़ा औद्योगिक नगर बनने जा रहा है, ओखला के सामने, उसके लिये भी हमने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

इसमें 5 1/2 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है ताकि वह भी अनगारन्टीड डिबेन्चर्स फ्लोट कर सकें और हमारे बजट पर उसका कोई भार न पड़े, अपनी पूंजी बैंकों से नियोडा एकत्र करे और विकास कार्य में अग्रसर हो। तो इस बजट में उसकी भी परिकल्पना है।

पुलों के निर्माण के लिए हमने सेतु निगम को 5 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि वह नए-नए पुल बना सके और बैंक से भी ऋण ले सके और अपनी पूंजी भी बढ़ा सके।

इसी प्रकार से हमने देखा कि मुख्यालयों पर जिलों के हेड क्वार्टर पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए भी हमने 56 लाख रुपए का प्राविधान किया है ताकि हर जिला हेडक्वार्टर पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हो सके। इसी प्रकार से हमने 20सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हैंडलूम सैक्टर में कपड़े की बिक्री पर सब्सीडी देने के लिए इस बजट में 46 लाख रुपए का प्राविधान किया है। इसके अलावा प्रदेश से बर्तन जिसमें नक्काशी का काम होता है, चमड़े आदि की वस्तुओं की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 25 लाख रुपए सब्सीडी के रूप में देने का इस बजट में प्राविधान किया है।

माइनर इर्रीगेशन के लिए भी हमनें इसमे 75 लाख रुपए का प्राविधान किया।

जल निगम के लिए, हमारी जो योजनायें प्रदेश में चल रही हैं। गांवों में पेय जल की व्यवस्था के लिए, 4 करोड 40 लाख का प्राविधान इस अनुपूरक बजट में किया है। हमने नगर विकास की योजनाओं के लिए इस बजट में 1 करोड़ 40 लाख रुपए का प्राविधान किया है। हमारे जो बड़े-बड़े शहर हैं, जैसे आगरा है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, कानपुर है और वाराणसी है, अगर आप अभी आगरा जायं तो देखेंगे कि इतना अधिक गत 6 मास में काम हुआ है कि आज देखकर दंग रह जायेंगे। हमने प्रदेश में ट्रांसपोर्ट नगर भी बनाए हैं ताकि बड़े-बड़े शहरों में यातायात की दशा सुधरे। इन नगरों के विकास के लिए, स्लम क्लियरेन्स के लिए आप देखेंगे कि इसमें व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश में इस समय 11 चीनी मिलों पर काम हो रहा है। एक साथ जो प्रदेश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। उनके लिये इसमें साढ़े 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्राविधान किया गया है ताकि हमारा एग्रो इन्डस्ट्रियल ढांचा बने। फर्टिलाइजर्स के खरीदने के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है।

श्री सन्त सिंह यूसुफ--

हिम्मत कर के आप सभी चीनी मिलें ले लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

यह तो नयी बनाने का सवाल है। जैसे आपने कह दिया इतना आसान नहीं है सभी चीनी मिलों को ले लेना। इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा। इसी तरह हैन्डलूम कारपोरेशन को और शक्तिशाली बनाने के लिए, मगहर, जिला बस्ती और नगीना, जिला बिजनौर में सूती मिलें बनाने के लिए 50 लाख रुपए का इसमें प्राविधान किया गया है। इसी तरह कुम्भ मेले में सब इन्तजाम करने के लिए 4 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। दैवी आपदाओं से सहायता के लिए 2 करोड़ रुपया अतिरिक्त का प्राविधान किया गया है जो बजट में है उसके अलावा। साथ ही साथ टूरिस्म को बढ़ावा देने के लिए 25 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है। सहकारिता के लिए, जिसके लिए हमारी योजना है कि प्रत्येक किसान परिवार उसका मेम्बर हो, लगभग 4 करोड़ रुपए का इसमें प्राविधान है। हमारे प्रदेश में कृषि क्रान्ति लाने के लिए सहकारिता का संगठन सबसे महत्वपूर्ण है। यह जो हमारा लक्ष्य है कि सहकारिता के आधार से हम ज्यादा पूंजी का विनियमन करें इसके लिए सहकारी संगठन के पुनरुद्धार के लिए इसमें करोड़ों रुपए का प्राविधान किया गया है। परिवार नियोजन के लिए, जो अतिरिक्त काम हुआ है, उत्तर प्रदेश के इतिहास में, इसके बारे में कल थोड़ी चर्चा

भी होगी, लेकिन मोटिवेशन के लिए इन्सेन्टिव दिया गया है, गलती हो सकती है और मुझे उसका दुःख भी है, कहीं जबरदस्ती भी हुई होगी, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि इस सदन के माननीय सदस्यों, जनता और नौजवानों के सहयोग से, ट्रेड यूनियनों, यूथ कांग्रेस, युवा संगठनों, महिला संगठनों और कांग्रेस कमेटियों के सहयोग से साढ़े 5 लाख आपरेशन्स 5 महीने के अन्दर हुए हैं और इसके लिए 7 करोड़ रुपया अतिरिक्त इसमें मोटिवेशन्स के लिए रखा जा रहा है। ट्यूबवेल्स के लिए रिग्स की कमी है। हमारे पास केवल 72 रिग्स हैं। हम चाहते हैं कि 50 रिग्स और हों और रिग्स खरीदने के लिए आर्डर दिया गया है। एक रिग खरीदने में 10 लाख रुपया लगता है। इसमें 4 करोड़ रुपया नलकूपों के रिग्स खरीदने के लिए रखा गया है। एक पूल बनाया जा रहा है जिसमें ट्यूबवेल्स के तमाम उपकरण होंगे। इसी तरह एक किसान सहायता निधि की स्थापना की गयी है जिससे कि जो किसान एक फसली से दो फसली में रुपया लगायेंगे उनको सब्सीडाइज्ड खाद देंगे। जहां धान नहीं लगता, वहां अगर कोई धान बोता है तो उसको सब्सीडाइज्ड रेट पर खाद देंगे। उसके लिए हमने इस फन्ड में जो किसान सहायता निधि के नाम से खोला है, 16 करोड़ 29 लाख रुपया रखा है। इसको बांटने के बजाय हमने इसको इस फन्ड में रख दिया है और इससे जो हमें इन्टरेस्ट मिलेगा जो 1 करोड़ के लभगभ होगा। उससे हम सब्सीडाइज्ड रेट पर खाद उनको देंगे जो दो फसलें करेंगे। जो ज्यादा उत्पादन करेंगे। उनके लिए यह एक परमानन्ट फन्ड बना दिया गया है। कन्सालिडेटेड फन्ड से इसमें रुपया रखा जा रहा है।

आप जानते ही हैं कि लखनऊ या प्रदेश के अन्य शहरों में मकानों की बड़ी कमी है। इसके लिए भी हमने 3 करोड़ 50 लाख रुपया शेयर कैपिटल के लिए रखा है क्योंकि जितना हमारा शेयर कैपिटल होगा उसका 10 गुना तक हम बैंकों से रुपया ले सकेंगे। इसका प्राविधान भी बजट में रखा गया है।

श्री सन्त सिंह यूसुफ----

मकान हायर परचेज पर बनाइए, इसे लोग ज्यादा पसंद करेंगे।

श्री नारायण दत्ततिवारी--

बहुत अच्छा।

इसमें पत्रकारों की सुविधाओं के लिए भी कुछ प्राविजन किया गया है, उनकी यातायात की सुविधायें बढ़ाई गयी हैं। उनको कुछ सुविधा हम देने जा रहे हैं जिसके लिए इसमें प्राविधान किया गया है।

न्यायालयों की संख्या आदि बढ़ाने के लिए भी प्राविधान किया गया है। आज लाखों केसेज कोर्ट्स में पड़े हुए हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मीटिंग करके हम कुछ नयी कोर्ट्स भी खोलने जा रहे हैं। छोटे-छोटे मामलों के लिए स्पेशल न्यायालय बनाने का भी इरादा है जिसके लिए इसमें प्राविजन किया गया है।

आप जानते हैं कि पुलिस, सी0 आई0 डी0 और विजिलेन्स का काम कितना महत्वपूर्ण है। विजिलेन्स वालों ने 200 मामले घूस लते हुए पकड़े हैं। सिविल पुलिस से इस विभाग में अच्छे लोग जाना पसन्द नहीं करत। अतः इन लोगो को कुछ स्पेशल अलाउन्स आदि भी देने की व्यवस्था इसमें की जा रही है। इससे अच्छे लोग इधर आने के लिये आकर्षित हो सकेंगे।

लोगों की यह शिकायत थी कि मन्डलीय कमेटियों की जो बैठकें होती हैं; उनका कार्यान्वियन परिलक्षित नहीं होता। इसी बजट के पृष्ठ 152, 153, 154 आदि पर आप देखेंगे कि करोड़ 20 करोड़ रुपया नयी सड़कों आदि के लिए रखा गया है जो मूल बजट में नहीं था। मन्डलीय कमेटियों के सुझाव पर ही यह रखा गया है। मन्डलीय कमेटियों ने ही उसे स्वीकार किया है।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति की यह सिफारिशें भी थीं कि बिना प्राक्कलन तैयार किए मूल बजट में प्राविजन कर दिया जाता है, इसका भी ध्यान रखा गया है। जो भी नयी योजना मंडलीय कमेटी ने स्वीकार की है उसका प्राक्कलन तैयार करवाया गया है। आपको यह सुन कर प्रसन्नता होगी कि मन्डलीय कमेटियों को काम करते हुए अभी मुश्किल से 6–7 माह ही हुए होंगे और इस पीरियड में ही हमने इन सारे प्राक्कलन आदि को तैयार करके इसमें उनको रखा है और उनको स्वीकार किया है। कुछ जिलों के अभी आ रहे हैं, काम पूरा नहीं हुआ है। बहुत जगह ट्रान्सफर भी होते हैं। अब जितने ट्रान्सफर्स होते हैं, वे काम रोकते हैं। नए आदमी के आने में काम रुकता है। जिस स्थान पर ट्रान्सफर होकर आते हैं, उनके लिए उस स्थान पर काम नया होता है। इसलिए मैंने आदेश दिया है कि जब तक मेरी स्वीकृति न हो जाय, ट्रान्सफर न होंगे। हर जगह आदेश दिए गए हैं कि ट्रान्सफर होगा ही नहीं ट्रान्सफर जून में होगा। उससे पहले उनसे पूछ लिया जायगा कि तुम कहां जाना चाहते हो, तब उनका ट्रान्सफर जून में होगा। जब तक कोई भ्रष्टाचार वगैरह न हो साल के बीच में ट्रान्सफर नहीं होंगे। उससे काम रुक जाता है। तो श्रीमन्, जो हमारे वरिष्ठ सदस्य ने कानपुर सूती मिलों के कर्मचारियों के बारे में कहा, मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं। जिस तरह से उन्होंने आवाज उठाई अगर वह कुछ नाराज भी हैं, तो वह चूंकि अपने क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं।....

एक सदस्य—

हम लोग भी तो सेवा कर रहे हैं। केवल ये ही सेवा कर रहे हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

उनके क्षेत्र में सूती मिलें पड़ती हैं, इसलिए उन्होंने ज्यादा उल्लेख किया। उन्होंने बधाई दी सरकार को कि लक्ष्मीरतन कॉटन मिल और एथार्टन मिल ले ली गयी है। नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन ने 103 मिलें पहले ले लीं। दूसरे प्रदेशों में भी क्राइसेस विद्यमान हैं। चूंकि टैक्सटाइल मिल को लेना अकेले हमारे हाथ की बात नहीं है, वह नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन ले रहा है। चूंकि कानपुर में अब तक जो टैक्सटाइल मिल ली गयी हैं, उसको टैक्सटाइल कारपोरेशन ने ही चलाया है। इसलिए हम भारत सरकार पर काफी बोझ नहीं डालना चाहते हैं। मैं तो श्रीमन्, भारत सरकार को, प्रधान मन्त्री जी को और चट्टोपाध्याय जी को बधाई देता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

कानपुर के वर्कर्स की एक मीटिंग बुलाकर माननीय मुख्य मन्त्री जी क्यों नहीं बात कर लेते हैं ? आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में जो मिल बन्द थी, वहां की सरकार ने उसके मालिक को मीसा में बन्द कर दिया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन् मीटिंगें कई हो चुकी हैं। हाल में अभी माननीया श्रम मन्त्री जी ने मीटिंग बुलाई और जैसा स्वयं हमारे वरिष्ठ विद्वान सदस्य ने कल कहा कल और आज में एक ही दिन का तो फर्क है।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

मैं लिख कर भी देता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

हां, आप दे दीजिए। उनका कहना है कि टैक्सटाइल की रूई की कीमत ज्यादा हो गयी है और कपड़े की कीमत बढ़ती नहीं है। यह केवल हमारे हाथ की बात नहीं है। टैक्सटाइल मिल के लोग कहते हैं कि कपड़े का दाम कम, रूई का दाम ज्यादा। इसमें हमारी सेन्टर से बात चीत चल रही है।

तो मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि जितना दर्द श्रमिकों का उनको है कम से कम उतना नहीं तो कुछ का दावा हम कर सकते हैं।

श्री सन्त सिंह यूसुफ––

मैंने आपको पहले बधाई दी है और अब भी बधाई देता हूं कि आपने उन दोनों मिलों को टेक ओवर किया, लेकिन आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि ये मिलें जो बन्द होती हैं वे दो भाइयों के आपसी झगड़े की वजह से बन्द होती हैं। स्वदेशी काटन मिल भाई-भाई के झगड़े से बन्द हुई। राजाराम जयपुरिया-सीताराम जयपुरिया वालों में भी झगड़ा है। जे0 के0 वालों में भी भाई-भाई में झगड़ा है। बड़ा भाई तो मिल को चलाने के लिये तैयार था, इसलिए इसमें कोई एकोनामिक क्राइसेस नहीं है बल्कि आपसी झगड़े हैं। जब आपने उन मिलों को टेक ओवर किया तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी, टेलिग्राम से भी और चिट्ठी से भी बहुत धन्यवाद दिया है क्योंकि उस पार्टी के 120-125 आदमियों ने दस्तखत करके भेजा था.....

श्री नारायण दत्त तिवारी––

इसके लिए धमकाया भी गया, आप भी आसानी के साथ धमका सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री को कानूनी तरीके से धमकाना पड़ता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग––

हिन्डालको का जहां तक सम्बन्ध है उसके लिए आपने क्या किया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी––

हिन्डालको से लेकर हरिद्वार तक का ध्यान हमको रखना पड़ता है।

श्री सन्त सिंह यूसुफ––

अगर आप हमें इमरजेन्सी में छुट्टी दे दें कि हमें पकड़ेंगे नहीं तो मैं उनको ठीक कर दूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी––

अगर आप अपने को आफर करें, तो भी आपको नहीं पकड़ा जाएगा।

बुन्देलखंड के विकास के लिए, मध्य प्रदेश की सरकार के साथ निरन्तर चार-चार बार, मुख्य मन्त्री स्तर पर, फिर हमारी माननीया उपनेता सदन तथा विद्युत् मंत्री, सिंचाई मन्त्री और राजस्व मन्त्री के स्तर पर कांफ्रेंसेज हुईं, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय श्यामाचरण शुक्ल का और उनकी सरकार को कि हमारा हर झगड़ा और विवाद जो मध्य प्रदेश की सरकार के साथ था, वह करीब-करीब समाप्त हो चुका है। मिर्जापुर के कनहर से लेकर बेतवा के राजघाट तक उर्मिल नहर, वान सागर, राजघाट बेतवा नहर पर कुछ न कुछ निर्णय हो चुका है। पंचनद का मसला अभी विचाराधीन है। तो बुन्देलखंड के विकास के लिए मध्य प्रदेश से सब मामले तय होने थे क्योंकि पानी के स्रोत वहीं पर हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग––

हमारे यहां बहादुरपुर जो स्वतन्त्रता सेनानियों की जगह है और उसका इतिहास भी लिखा गया है, वहां तक कोई सड़क नहीं गयी है। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप स्वयं वहां पधारें और हरिद्वार में कैबिनेट की मीटिंग करके वहां जो भी सुविधायें दे सकते हों, देने का प्रयास करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी––

माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे थोड़ा समय निकाल कर इसका अध्ययन करें तो उनको मालूम होगा कि आज की परिस्थिति में जबकि हमारे पास बहुत कम साधन हैं और जितने साधन इस सदन ने दिए हैं उनका समुचित उपयोग हर क्षेत्र में जितना सम्भव हो सकता है, उसको करने का प्रयास किया है। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आप इसका अध्ययन करेंगे और उस दर्पण में विकास का चेहरा देखेंगे तो पायेंगे कि वह उसमें विद्यमान।

वित्तीय वर्ष 1976–77 के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—
अनुदान संख्या 1—राज्य विधान मन्डल

चिकित्सा राज्य मन्त्री (श्री रामायण राय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 1—राज्य विधान मन्डल के अन्तर्गत 80,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 1—राज्य विधान मन्डल के अन्तर्गत 80,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 3—मन्त्रि-परिषद्

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3—मन्त्रि-परिषद् के अन्तर्गत 4,21,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3—मंत्रि-परिषद् के अन्तर्गत 4,21,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 4—न्याय प्रशासन

न्याय मन्त्री (श्री प्रभुनारायण)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत 58,89,400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत 58,89,400 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 7—भू-राजस्व

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 7—भू-राजस्व के अन्तर्गत 10,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7—भू-राजस्व के अन्तर्गत 10,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 11—बिक्री-कर

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11—बिक्री-कर के अन्तर्गत 600 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11—बिक्री-कर के अन्तर्गत 600 रुपए का अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 14—अल्प बचतों की प्रोन्नति

वित्त राज्य मन्त्री (श्री अजीजुर्रहमान)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14—अल्प बचतों की प्रोन्नति के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14—अल्प बचतों की प्रोन्नति के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 18—सचिवालय

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18—सचिवालय के अन्तर्गत 17, 15, 500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18—सचिवालय के अन्तर्गत 17,15,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 19—जिला प्रशासन

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19—जिला प्रशासन के अन्तर्गत 26,16,800 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19—जिला प्रशासन के अन्तर्गत 26,16,800 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 20—कोषागार तथा लेखा प्रशासन

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20—कोषागार तथा लेखा प्रशासन के अन्तर्गत 71,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20– कोषागार तथा लेखा प्रशासन के अन्तर्गत 71,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 21—पुलिस

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21—पुलिस के अन्तर्गत 99,71,200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21—पुलिस के अन्तर्गत 99,71,200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 24—सार्वजिनक निर्माण कार्य

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत 63,200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत 63,200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवायें

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत 28,23,200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत 28,23,200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 27—प्रकीर्ण सामान्य सेवायें

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27—प्रकीर्ण सामान्य सेवायें के अन्तर्गत 51,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27—प्रकीर्ण सामान्य सेवायें के अन्तर्गत 51,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 28—शिक्षा

चिकित्सा राज्य मन्त्री (श्री रामायण राय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28—शिक्षा के अन्तर्गत 2,200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28—शिक्षा के अन्तर्गत 2,200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 29—कला एवं संस्कृति

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री विजय कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29—कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत 12,65,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29—कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत 12,65,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 30—वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 30—वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध के अन्तर्गत 1,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 30—वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध के अन्तर्गत 1,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 31—चिकित्सा

चिकित्सा राज्य मन्त्री (श्री रामायण राय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31—चिकित्सा के अन्तर्गत 45,12,800 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31—चिकित्सा के अन्तर्गत 45,12,800 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 32—परिवार नियोजन

चिकित्सा राज्य मन्त्री (श्री रामायण राय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32—परिवार नियोजन के अन्तर्गत 7,83,40,200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32—परिवार नियोजन के अन्तर्गत 7,83,40,200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य

चिकित्सा राज्य मन्त्री (श्री रामायण राय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत 2,47,90,600 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत 2,47,90,600 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 34—आवास भवन

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34—आवास भवन के अन्तर्गत 9,00,000 रुपए की की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34—आवास भवन के अन्तर्गत 9,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 36—सूचना तथा प्रचार

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36—सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत 19,90,800 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36—सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत 19,90,800 रूपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 37—श्रम एवं सेवायोजन

श्रम मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 37—श्रम एवं सेवायोजन के अन्तर्गत 1,12,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37—श्रम एवं सेवायोजन के अन्तर्गत 1,12,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 38—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री (डाक्टर चरण सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अन्तर्गत 83,67,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के अन्तर्गत 83,67,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 39—दैवी आपदाओं के कारण सहायता

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री वीरबहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39—दैवी आपदाओं के कारण सहायता के अन्तर्गत 2,00,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39—दैवी आपदाओं के कारण सहायता के अन्तर्गत 2,00,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या—40 अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40—अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें के अन्तर्गत 7,10,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40—अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं के अन्तर्गत 7,10,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 31—सहकारिता

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री विजय कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41—सहकारिता के अन्तर्गत 1,22,64,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41—सहकारिता के अन्तर्गत 1,22,64,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 42—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत 1,71,11,400 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत 1,71,11,400 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 43—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें के अन्तर्गत 7,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें के अन्तर्गत 7,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 44—कृषि

कृषि राज्य मन्त्री (श्री चेतराम गंगवार)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44—कृषि के अन्तर्गत 50,98,600 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44—कृषि के अन्तर्गत 50,98,600 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 45—सामुदायिक विकास

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 45—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत 26,60,200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 45—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत 26,60,200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 47—क्षेत्र विकास

कृषि राज्य मन्त्री (श्री चेतराम गंगवार)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 47—क्षेत्र विकास के अन्तर्गत 21,52,700 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47—क्षेत्र विकास के अन्तर्गत 21,52,700 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 48—खाद्य तथा पोषाहार

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 48—खाद्य तथा पोषाहार के अन्तर्गत 16,29,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48—खाद्य तथा पोषाहार के अन्तर्गत 16,29,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 49—पशुपालन

कृषि राज्य मन्त्री (श्री चेतराम गंगवार)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49—पशुपालन के अन्तर्गत 200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49—पशुपालन के अन्तर्गत 200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 50—दुग्ध शाला विकास

कृषि राज्य मन्त्री (श्री चेतराम गंगवार)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50—दुग्ध शाला विकास के अन्तर्गत 400 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50—दुग्ध शाला विकास के अन्तर्गत 400 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 51—मत्स्य उद्योग

कृषि राज्य मन्त्री (श्री चेतराम गंगवार)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51—मत्स्य उद्योग के अन्तर्गत 3,80,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51—मत्स्य उद्योग के अन्तर्गत 3,80,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 54—ग्राम एवं लघु उद्योग

वित्त राज्य मन्त्री (श्री अजीजुर्रहमान)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 54—ग्राम एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत 67,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54--ग्राम एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत 67,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 55--खानें तथा खनिज

वित्त राज्य मन्त्री (श्री अजीजुर्रहमान)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55--खानें तथा खनिज के अन्तर्गत 2,13,400 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55--खानें तथा खनिज के अन्तर्गत 2,13,400 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 57--राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री मुमताज मोहम्मद खां)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57-राजस्व के किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत 1,75,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57--राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत 1,75,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 58--सिंचाई अधिष्ठान

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री मुमताज मोहम्मद खां)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58--सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत 5,35,900 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58--सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत 5,35,900 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 59--सिविल विमानन

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 59--सिविल विमानन के अन्तर्गत 3,00,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59--सिविल विमानन के अन्तर्गत 3,00,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 60—संचार साधन

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60—संचार साधन के अन्तर्गत 1,21,88,300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60—संचार साधन के अन्तर्गत 1,21,88,300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 61—कार्यात्मक भवन

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61—कार्यात्मक भवन के अन्तर्गत 8,53,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61—कार्यात्मक भवन के अन्तर्गत 8,53,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 65—पर्यटन

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65—पर्यटन के अन्तर्गत 70,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65—पर्यटन के अन्तर्गत 70,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 66—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 66—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण के अन्तर्गत 2,11,00,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण के अन्तर्गत 2,11,00,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,47,12,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,47,12,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 68—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 25,50,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 25,50,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 70—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 2,52,04,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 2,52,04,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 71—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

श्रम मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 71—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 28,21,200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 28,21,200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 72—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री विजय कुमार)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,62,27,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,62,27,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 73—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 7,32,800 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 7,32,800 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 74—विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

वित्त राज्य मन्त्री (श्री अजीजुर्रहमान)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 74—विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 11,92,46,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74—विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 11,92,46,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 76—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

कृषि राज्य मन्त्री (श्री चेतराम गंगवार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,61,92,800 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,61,92,800 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 77—सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77—सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 4,79,95,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77—सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 4,79,95,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 81—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री मुमताज मोहम्मद खां)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 81—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 4,80,00,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 4,80,00,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 83—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 83—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 5,80,00,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 83—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 5,80,00,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 84—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 84—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 84—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 85—पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा व श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 85—पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 50,70,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 85—पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 50, 70,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 87—ऋण और अग्रिम-शिक्षा

शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री रामायण राय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा व श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 87—ऋण और अग्रिम-शिक्षा के अन्तर्गत 5,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 87—ऋण और अग्रिम-शिक्षा के अन्तर्गत 5,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 88—ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन

स्वायत्त शासन मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

मान्यवर, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 88—ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन के अन्तर्गत 10,66,66,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 88—ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन के अन्तर्गत 10,66,66,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 90—ऋण और अग्रिम-उद्योग

वित्त राज्य मन्त्री (श्री अजीजुर्रहमान)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 90—ऋण और अग्रिम—उद्योग के अन्तर्गत 20,24,77,900 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 90—ऋण और अग्रिम-उद्योग के अन्तर्गत 20,24,77,900 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 91—ऋण और अग्रिम—सहकारिता

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री विजय कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 91—ऋण और अग्रिम-सहकारिता के अन्तर्गत 1,22,26,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 91—ऋण और अग्रिम—सहकारिता के अन्तर्गत 1,22,26,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 92—ऋण और अग्रिम—कृषि

कृषि राज्य मन्त्री (श्री चेतराम गंगवार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 92—ऋण और अग्रिम—कृषि के अन्तर्गत 60,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 92—ऋण और अग्रिम—कृषि के अन्तर्गत 60,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1976-77 का अनुपूरक) विधेयक, 1976

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1976-77 का अनुपूरक) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की आज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1976-77 का अनुपूरक) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(उक्त विधेयक की प्रतियां सदन में वितरित की गयीं।)

श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1976-77 का अनुपूरक) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ रुक कर।)

श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1976-77 का अनुपूरक) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का आधा भाषण ही सुन सका क्योंकि मैं चला गया था। हमारे मुख्य मन्त्री जी वित्त मन्त्री भी हैं। बजट के बारे में उनकी जानकारी बहुत अच्छी है और उसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन उसका उपयोग हो नहीं रहा है। इन रुपयों को जो बजट में स्वीकार किया जाता है उसका सदुपयोग कैसे होगा? हमारे वित्त विभाग के जो आयुक्त हैं वह भी बहुत कुशल हैं और बहुत ही लगन और विद्वता से कार्य संचालन और विशेष रूप से वित्त विभाग के कामों का संचालन करते हैं। लेकिन सेल्स टैक्स विभाग की हालत बहुत ही खस्ता है। उस पर बहुत कड़ाई से ध्यान देने की जरूरत है। यह रुपया मैं कहता हूं कि 80 फीसदी अधिकारियों और कर्मचारियों पर तथा साज सज्जा पर खर्च हो जाता है। जो कर्जा लिया जाता है उसी से प्रदेश का विकास होता है। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं।

एक तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अभी कहा था कि माननीय सदस्य देखेंगे कि इसमें बहुमुखी विकास के लिए इसमें प्रयास किया गया है। एक स्टाफ कार खरीद ली गयी। 1974–75 बीत गया 1975–76 बीत गया उसमें इसका समावेश नहीं किया। माननीय मुख्य मन्त्री जी उसको देखें कि उसकी इस समय क्या आवश्यकता थी। कम से कम आज तो कड़ाई से काम करें। श्रीमन्, एक जगह और देखें एक राष्ट्रीय बचत निदेशालय है। इसको कार देना है। अनुदान संख्या 18 में दिया हुआ है इसको मान्यवर, आप पढ़ें, एक तरफ तो बचत की बात की जाती है और दूसरी ओर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

दिल्ली में नियुक्त आयुक्त और डिप्टी आयुक्त के लिए तथा सूचना विभाग और पर्यटन कार्यालय तक के लिए नई दिल्ली में बारह खम्भा रोड पर एक भाग को किराए पर लेने की बात कही गयी है और इसको वातानुकूलित भी करने का प्राविधान है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इनको वातानुकूलित करने की बात कहां तक उचित है? कूलर से भी तो काम चलाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—

मांग तो आपने स्वीकार कर ली उसके बाद आप यह कह रहे हैं।

श्री ऊदल—

मांग पर मैं नहीं कह रहा हूं मैं उसके सदुपयोग पर कह रहा हूं। कलकत्ते में गर्मी नहीं होती है। आप देखें कि कलकत्ते में स्थित अधिकारियों के कक्ष को वातानुकूलित करने में पैसा खर्च किया जा रहा है। टेलीफोन कट गए उनको लगाने में आपने तमाम पैसा खर्च किया। कलकत्ते में न अधिक गर्मी होती है और न अधिक ठन्ड होती है तो वातानुकूलित क्यों किया जा रहा है। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसका जस्टीफिकेशन क्या है? ठीक है आप बहुमुखी विकास करना चाहते हैं और मैं उसकी बड़ी प्रशंसा करता हूं। भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं लेकिन बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जितने अन्य विभागाध्यक्ष हैं, वे वित्तीय नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं करते हैं। न वे इनकी ओर ध्यान देना चाहते हैं और न वे इन नियमों को पढ़ना ही चाहते हैं। वे बजट के कायदे कानून का भी पालन नहीं करना चाहते हैं। आज बड़े पैमाने पर रुपए का दुरुपयोग हो रहा है। मान्यवर, यह मामूली बजट नहीं है। यह 100 करोड़ रुपए का बजट है। इस सदन के इतिहास में इसके मुकाबले का अनुपूरक बजट कभी पहले नहीं पेश हुआ है। आज देश और प्रदेश में आपातकालीन स्थिति लागू है। हम लोगों ने उसका समर्थन किया है और आप भी स्वीकार करते हैं लेकिन एमरजेन्सी का भी दुरुपयोग हो रहा है। आज पुलिस एकदम छुट्टा काम कर रही है।

आपने अखबार में पढ़ा होगा कि लखनऊ के डी0 आई0 जी0 ने एक रिक्शा वाले मामले में जांच का आदेश दिया क्योंकि उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ था। जिन व्यक्तियों को पुलिस वाले अपना दुश्मन समझते हैं, उनको डी0 आई0 आर0 में बन्द कर देते हैं। एमरजेन्सी का मतलब है कि राष्ट्र मजबूत हो और देश की जनता में समृद्धि आए और सुसंगठित हो जाय, देश के प्रति सजग और सतर्क रहे। देश में जितने भी क्रिमिनल्स हैं, चोर हैं, डकैत हैं या तस्करी से व्यापार करने वाले लोग हैं और जो वे हमारी अखंडता और प्रभुसत्ता को कमजोर करना चाहते हैं। शासन को चाहिये कि वह ऐसे लोगों को डी0 आई0 आर0 में पकड़े या मीसा में बन्द करे और अगर ऐसा किया जाता तो हमारी पार्टी उसका समर्थन करती। इस असन्तोष को दूर करने के लिए शासन का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह समुचित उपाय करे। जनता टैक्स देती है, अभी हाल में आपने पशुओं के क्रय पर टैक्स लगाया है और अन्य कई प्रकार के टैक्स लगाए हैं। लिहाजा मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि जनता की गाढ़ी कमाई के एक-एक पैसे का सदुपयोग होना चाहिए और जो अधिकारी या कर्मचारी वित्तीय नियमों का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। वित्तीय नियमों के बावजूद दूसरे विभाग

[श्री ऊदल]

उनका पालन नहीं करते और नाजायज तरीके से खर्चा करते रहते हैं। इस ओर भी शासन को और खासकर मुख्य मन्त्री जी को जो, बजट के पंडित हैं, ध्यान देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। हमारा सदैव प्रयास रहा है कि वित्तीय नियमों का अनुपालन हो और इस दिशा में कभी-कभी वित्त विभाग की शिकायत होती है कि फाइल बहुत दिनों से वित्त विभाग में पड़ी है। इसीलिए तो वित्त विभाग प्रत्येक फाइल को उस कसौटी पर परख के ही निर्णय लेता है। लेकिन हमें इतनी देर भी नहीं करनी चाहिए कि जिससे फाइलें पड़ी रहें। तो हमें दोनों बातें ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। न डिले हो, समय से सैंक्शन जारी हो जाएं और उसके बाद तेजी से काम भी हो। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वित्तीय नियमों के सम्बन्ध में जितनी उन्हें अपेक्षा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि वह इतने जागरूक हैं, उसका हमें पूरा ध्यान है। उन्होंने दो-तीन मिसालें दीं कि न्यू दिल्ली और कलकत्ता में एयर कन्डीशनिंग कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आज कम्पिटीशन का युग है जो हमारे कार्यालय कलकत्ता और न्यू दिल्ली में हैं उनमें देश विदेश के इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स और तमाम लोग जाते हैं। बार-बार हमें यह सुनना पड़ता है कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बाम्बे, कहीं भी जाइए उनके बहुत अच्छे गेस्ट हाउससेज हैं। लेकिन दिल्ली में जाइए तो हमें यह सुनने को मिलता है कि यू0पी0 में तो गेस्ट हाउस और टूरिस्ट हाउस में रहा ही नहीं जा सकता।

श्री ऊदल—

अब मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष—

आप तो कह चुके।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसलिए यह जरूरी है कि कुछ जगहें ऐसी हैं, जैसे यह विधान भवन है, मैं समझता हूं कि यह वातानुकूलित होने के बाद माननीय सदस्यों के मस्तिष्क भी वातानुकूलित हो गए हैं। इस सदन के वातानुकूलित होने से लाभ हुआ है। सब से बड़ा प्रदेश हमारा है। हम इतने गरीब और इतने निकम्मे भी नहीं हैं कि हम अपने एक-आध कार्यालयों को, जहां जरूरत पड़े वातानुकूलित न कर सकें। मांग तो यह भी है कि सभी दफ्तरों को वातानुकूलित कर दिया जाय। लायब्रेरी में आग भी लग गयी। बड़ा जस्टिफिकेशन है आग लगने के बाद कि लाइब्रेरी को वातानुकूलित किया जाना चाहिए। लेकिन श्रीमन्., आप ही उसके लिए आग्रह कर रहे हैं, अब आपकी आज्ञा को मानना ही पड़ेगा। आज सन् 1976 है, बहुत सी नयी बातों को करना पड़ रहा है। कलकत्ता में केवल खर्च 25,523 रुपए का आएगा। नयी दिल्ली में 7 लाख का जो प्राविधान है वह सारे खर्च को मिलाकर है जिसमें दफ्तर आदि का खर्च भी है। दिल्ली में जिस मकान का हिस्सा हम ले रहे हैं वह मकान सारा ही एयर कन्डीशन्ड है, एयर कूल्ड है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि हम जो हिस्सा ले रहे हैं वह एयर कूल्ड नहीं होगा। अंत में आग्रह करूंगा कि यह सदन इसे पास करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1976-77 का अनुपूरक) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खण्ड 2, 3, अनुसूची खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1976-77 का अनुपूरक) विधेयक, 1976

31 मार्च, 1977 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्ष नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1976-77 का अनुपूरक) अधिनियम, 1976 कहलाएगा।

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष 1976-77 के लिए 1,09,00,88,900 रुपयों का दिया जाना

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए जो 31 मार्च, 1977 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से जिनका कुल योग 1,09,00,88,900 रुपए (केवल एक अरब नौ करोड़ अट्ठासी हजार नौ सौ रुपए) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उनका विनियोग 31 मार्च, 1977 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जावेगा जो अनुसूची में दिए हुए हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखिए)

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
1	राज्य विधान मडल	80,000	30,000	1,10,000
*2	राज्यपाल तथा उनका सचिवालय	..	31,600	31,600
3	मन्त्रि-परिषद् ..	4,21,000	..	4,21,000
4	न्याय प्रशासन ..	58,89,400	27,700	59,17,100
7	भू-राजस्व ..	10,500	..	10,500

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

1	2	3		
		रु0	रु0	रु0
9	भूमि और भवन कर	..	8,400	8,400
11	बिक्री-कर ..	600	..	600
14	अल्प बचतों की प्रोन्नति	100	..	100
18	सचिवालय ..	17,15,500	..	17,15,500
19	जिला प्रशासन ..	26,16,800	..	26,16,800
20	कोषागार एवं लेखा प्रशासन	71,500	..	71,500
21	पुलिस ..	99,71,200	..	99,71,200
24	सार्वजनिक निर्माण-कार्य	63,200	..	63,200
25	अन्य प्रशासनिक सेवायें	28,23,200	..	28,23,200
27	प्रकीर्ण सामान्य सेवायें	51,000	..	51,000
28	शिक्षा ..	2,200	1,200	3,400
29	कला एवं संस्कृति	12,65,100	..	12,65,100
30	वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध	1,00,000	..	1,00,000
31	चिकित्सा ..	45,12,800	..	45,12,800
32	परिवार नियोजन ..	7,83,40,200	..	7,83,40,200
33	सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,47,90,600	..	2,47,90,600
34	आवास भवन ..	9,00,000	2,31,500	11,31,500
36	सूचना तथा प्रचार ..	19,90,800	..	19,90,800
37	श्रम एवं सेवायोजन	1,12,500	..	1,12,500
38	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	83,67,500	9,900	83,77,400
39	दैवी आपदाओं के कारण सहायता	2,00,00,000	..	2,00,00,000
40	अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें	7,10,000	..	7,10,000
41	सहकारिता ..	1,22,64,100	..	1,22,64,100
42	विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र	1,71,11,400	..	1,71,11,400
43	सामान्य आर्थिक सेवायें	7,00,000	..	7,00,000
44	कृषि ..	50,98,600	200	50,98,800
45	सामुदायिक विकास	26,60,200	1,000	26,61,200
47	क्षेत्र विकास ..	21,52,700	..	21,52,700
48	खाद्य तथा पोषाहार	16,29,00,000	..	16,29,00,000
49	पशुपालन ..	200	1,000	1,200
50	दुग्धशाला विकास ..	400	..	400
51	मत्स्य उद्योग ..	3,80,000	..	3,80,000
54	ग्राम एवं लघु उद्योग	67,00,000	..	67,00,000

1	2		3	
		रु0	रु0	रु0
55	खानें तथा खनिज . .	2,13,400	. .	2,13,400
57	राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य	1,75,000	. .	1,75,000
58	सिंचाई अधिष्ठान . .	5,35,900	. .	5,35,900
59	सिविल विमानन . .	3,00,100	. .	3,00,100
60	संचार साधन . .	1,21,88,300	. .	1,21,88,300
61	कार्यात्मक भवन . .	8,53,000	. .	8,53,000
65	पर्यटन . .	70,500	. .	70,500
66	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण	2,11,00,100	. .	2,11,00,100
67	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	1,47,12,000	. .	1,47,12,000
68	कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय	25,50,000	6,18,500	31,68,500
70	आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय	2,52,04,100	. .	2,52,04,100
71	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	28,21,200	. .	28,21,200
72	सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,62,27,100	. .	1,62,27,100
73	विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	7,32,800	. .	7,32,800
74	विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	11,92,46,000	. .	11,92,46,000
76	कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,61,92,800	37,200	1,62,30,000
77	सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4,79,95,100	. .	4,79,95,100
81	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4,80,00,100	. .	4,80,00,100
82	बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	. .	1,99,400	1,99,400
83	संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय	5,80,00,500	. .	5,80,00,500

अध्यक्ष विधान सभा

1	2			3
		रु0	रु0	रु0
84	सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	100	..	100
85	पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	50,70,000	..	50,70,000
87	ऋण और अग्रिम– शिक्षा	5,00,000	..	5,00,000
88	ऋण और अग्रिम— स्वायत्त शासन	10,66,66,000	..	10,66,66,000
90	ऋण और अग्रिम— उद्योग	20,24,77,900	..	20,24,77,900
91	ऋण और अग्रिम— सहकारिता	1,22,26,000	..	1,22,26,000
92	ऋण और अग्रिम—कृषि	60,000	..	60,000
	योग ..	1,08,88,91,300	11,97,600	1,09,00,88,900

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी —

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1976-77 का अनुपूरक) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1976-77 का अनुपूरक) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1976, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, को सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 832–833 पर।)

खाद्य अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 †

न्याय मन्त्री (श्री प्रभुनारायण)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खाद्य अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय। मान्यवर, खाद्य, औषधि

† 8 नवम्बर, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1975 जब पारित किया गया था तो उसके द्वारा इन्डियन पैनेल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, प्रिवेन्शन आफ फूड एडल्ट्रेशन ऐक्ट तथा ड्रग्ज ऐन्ड कास्मेटिक्स ऐक्ट में अपेक्षित संशोधन किया गया था। लेकिन उसके उपरान्त केन्द्रीय सरकार ने कुछ अपने कानून बनाए। उसके बन जाने से स्थिति यह पैदा हुई कि पहले के जो कानून बने थे उनमें और इनमें विषमता पैदा हो गयी। उस विषमता को दूर करने के लिए इस संशोधन बिल को लाने की आवश्यकता हुई। अब इस संशोधन विधेयक के द्वारा हम इतना करना चाहते हैं कि चूंकि संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार राज्य सरकार के अधिनियम का अतिक्रमण हो गया, इसलिए उपर्युक्त पैरा 2 के (क), (ख) तथा (घ) में दिए गए संशोधनों को पूर्वगामी प्रभाव अर्थात् दिनांक 1 अप्रैल, 1976 से, जिस तिथि से केन्द्रीय अधिनियम लागू हुआ है, निकाल दिया जाय। ऐसा करने से वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए संशोधन तथा वर्ष 1976 में केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए संशोधनों की विषमता दूर हो जाएगी और उसी के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो ऐक्ट है, वह अपने स्थान पर संशोधित हो जायगा। इसी संशोधन के लिए यह विधेयक लाया गया है। मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें चूंकि संशोधन करना अनिवार्य है, इसलिए इसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं है।

*श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खाद्य अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक मास में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

मान्यवर, इस संशोधन के जरिए एडल्ट्रेशन के केस में दोषी पाए जाने वाले लोगों को आजीवन कारावास का प्राविधान किया जा रहा है। इस प्राविधान से निश्चित रूप से मान्यवर, एडल्ट्रेशन के केसेज में कमी आएगी, लेकिन मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान खाद्य अपमिश्रण की समस्या के सम्बन्ध में आकर्षित कराना चाहता हूं। मान्यवर, प्रदेश में इतनी भयंकर स्थिति है कि कोई भी चीज शुद्ध चाहें, चाहे उसकी कितनी ही कोई कीमत अदा करे, शुद्ध चीज पाना मुश्किल है। यहां तक कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने अपनी जिन्दगी से ऊबकर आत्म हत्या करने को तय किया और उसने जहर खरीदा और उसे यह निश्चय था कि इतना जहर खाने के बाद सबेरे वह मरा हुआ निकलेगा। उसको मालूम यह हुआ मान्यवर, कि उसको शुद्ध जहर भी नहीं मिला, इसलिए वह मरा भी नहीं। तो मान्यवर, यह भयंकर स्थिति है।

श्री अध्यक्ष—

जहर खाने से वह नहीं मरा और खाना खाने से मर गया।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, केवल कानून बना देने और सजा बढ़ा देने से यह समस्या हल होने वाली नहीं है जब तक कि युद्ध स्तर से कोई कार्यवाही नहीं होगी। मैं किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहता हूं। मान्यवर, जो आपके विभाग के लोग हैं एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए जिम्मेदार हैं, उनका दूकानदारों से मंथली कुछ बंधा रहता है और वे जिससे नाराज होते हैं, उनका तो चालान कर देते हैं। तो मान्यवर, यही स्थिति है कि कोई चीज शुद्ध नहीं मिलती है। मान्यवर, एक कठिनाई की ओर और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, कचेहरी में काम करते हुए मैंने देखा है जैसे फैक्ट्री में कत्था या तेल बनता है, वहां से छोटे दूकानदारों को कत्था मिलता है तो मान्यवर, आपको फैक्टरी को भी चेक करना चाहिए। छोटे दूकानदारों को तो आप आजीवन कारावास देने जा रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

सबके लिए है। जान किसी की चली जाय, उसके लिए है। संक्षेप में आप कहें। अभी बहुत काम बाकी है।

श्री देव कुमार यादव—

अभी कानपुर का काण्ड किसी से छिपा नहीं है, ग्लूकोश काण्ड किसी से छिपा नहीं है। इसलिए मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें कोई प्रशासनिक प्रणाली दुरुस्त करें जिससे शुद्ध चीजें मिल सकें और स्वास्थ्य जनता का बढ़ सके।

चिकित्सा राज्य मन्त्री (श्री रामायण राय)—

मान्यवर, मैं कोई भाषण करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। एक आग्रह मैं करना चाहता हूं माननीय सदस्य से।

सदन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक आज का विजनेस समाप्त न हो जाय, तब तक के लिए इस आदरणीय सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जब तक आज का विजनेस समाप्त न हो जाय, तब तक के लिए इस आदरणीय सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खाद्य अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 (क्रमागत)

चिकित्सा राज्य मन्त्री (श्री रामायण राय)—

मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि मिलावट को रोकने के लिए हमारी सरकार न एक कानून बनाया। उस कानून के बनने के बाद केन्द्र की सरकार ने खाद्यान्नों में मिलावट को रोकने के लिए एक कानून बना दिया।

श्री अध्यक्ष—

आप जवाब क्यों दे रहे हैं? मुझे धोखा हो रहा है क्योंकि जो प्रस्ताव रखता है, वही अन्तिम जवाब देता है। इसको माननीय प्रभु नारायणसिंह जी ने रखा था।

श्री रामायण राय—

मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, इस सम्बन्ध में अपने कुछ विचार रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

इसका समय नहीं है, समय का अभाव है।

श्री रामायण राय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने विद्वान सदस्य, श्री यादव जी को बतलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा किसी कानून को बनाने के बाद जब केन्द्रीय सरकार किसी कानून को बनाती है तो निश्चित रूप से उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है और सेन्ट्रल का कानून ही प्रिवेल करता है राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून के ऊपर, इसलिए उसके लिए अपने कानून में संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। अपमिश्रण को रोकना है, इसीलिए यह संशोधन विधेयक आया है।

न्याय मन्त्री (श्री प्रभु नारायण)—

मान्यवर, जैसा की राज्य स्वास्थ्य मन्त्री जी ने कहा कि इस संशोधन विधेयक के लाने की अनिवार्यता थी। जब अपमिश्रण को रोकने के लिए केन्द्र ने अपना कानून बना दिया तो इसलिए केन्द्र के कानून के मुताबिक इस संशोधन को करना आवश्यक है। एक बात मैं माननीय सदस्य को बतला देना चाहता हूं कि केन्द्र ने जो कानून बना रखा है, वह

इस दृष्टि से बना रखा है कि जैसा आफेंस हो, जैसी ग्रेविटी हो, उसके अनुसार उसको सजा दी जाय। ऐसी सूरत में छोटा आफेंस होने पर छोटी सजा और बड़ा आफेंस होने पर बड़ी सजा हो। इस मौके पर मैं यह कह देना चाहता हूं कि जहां तक अपमिश्रण का प्रश्न है, यह एक गम्भीर प्रश्न है और इस संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अपमिश्रण के खिलाफ सरकार की ओर से कार्यवाही की जाएगी और उस कार्यवाही के माध्यम से हम यह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति लावें जिसमें एडल्ट्रेशन के मामले अगर बिलकुल खत्म न हो सकें तो भी उसे एक ऐसे स्तर पर ला दिया जाय जिसमें एडल्ट्रेशन के जरिए किसी को शारीरिक हानि न पहुंच सके। इन चन्द शब्दों के साथ मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्य बहुत ही समझदार हैं और सारी स्थिति को समझ गए होंगे और अब वे सेलेक्ट कमेटी में भेजने वाले प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री देव कुमार यादव को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(सदन की अनुमति से श्री देवकुमार यादव का संशोधन वापस हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

खाद्य अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम खाद्य अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा। — संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 1 अप्रैल, 1976 से प्रवृत्त समझा जायगा।

2—खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 6 में, खण्ड (1), (2), (3) और (5) एतद्द्वारा निकाले जाते हैं। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 47, 1975 के कतिपय उपबन्धों का निकाला जाना

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रभुनारायण—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खाद्य अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण (पथ-कर) विधेयक, 1976†

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण (पथ-कर) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, हमारा प्रदेश एक माने में बहुत ही सौभाग्यशाली है कि इसमें ऐसे स्थानों की भरमार है जो इस देश के और विदेश के लोगों के दूर-दूर के लोगों के लिए एक आकर्षण का केन्द्र सदियों से रहा है। यहां कई प्राचीन मन्दिर तथा धार्मिक स्थान हैं जो अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध हैं। यहां ऐसे ऐतिहासिक स्मारक भी हैं जिनके प्रति देश और विदेश के पर्यटकों का बड़ा आकर्षण रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए कि जो सैलानी या पर्यटक यहां पर आते हैं वह कुछ दिन यहां पर ठहरें और हमारे बीच में रहकर के हमारे आर्थिक विकास में अपना योगदान करें। यहां 1973 में एक अधिनियम भी पास किया गया था जिसका नाम माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा। उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, उसका नाम था। उस अधिनियम के पारित हो जाने के पश्चात् यहां कवाल टाउन्स में नगर विकास प्राधिकरण भी स्थापित किए गए और उन्हें इन नगरों की व्यवस्था का सारा काम सौंपा गया। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। खासकर ऐसे स्थानों में जहां आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया का नियन्त्रण है। हम ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर पाए कि अपने संसाधनों को बढ़ा सकें। जो स्थान हमारे नियन्त्रण में रहे वहां हमने टोल टैक्स आदि लगाया लेकिन जो स्थान आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ इन्डिया के मातहत रहे, वहां हम कुछ नहीं कर पाए।

इसलिए इस बिल द्वारा जो व्यवस्थायें की जा रही है उसमें एक यह है कि ऐसे स्थानों में, जहां आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया के नियन्त्रण में होने के कारण अभी तक अपने संसाधन जुटा नहीं पाये, उन स्थानों में हम पथकर ले सकेंगे। इसके अलावा इसको संग्रह करने की रीति निर्धारित करने की शक्ति सरकार को दी जा रही है। इसीलिए यह विधेयक इस आदरणीय सदन में लाया गया है। मान्यवर, इस निधि को, जो प्राप्त होगी, उन स्थानीय निकायों को दे दिया जायगा जिनके अन्तर्गत यह स्थल पड़ते हैं और उन्हें आदेश दिया जायगा कि सारा का सारा पैसा जो उन्हें मिलेगा वह उन स्थलों के सौन्दर्यीकरण पर लगाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण (पथ-कर) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3, 4 एवं खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण (पथ-कर) विधेयक, 1976

पथ-कर का उद्ग्रहण करने हेतु विकास प्राधिकरण को शक्ति प्रदान करने, और पहले से उद्गृहीत पथ-कर को विधिमान्य करने के लिए

---

†8 नवम्बर, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण (पथ-कर) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा यथा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973 की धारा 20 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 20 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ग) में, शब्द "फीसें और प्रभार" के स्थान पर शब्द "फीस पथ-कर और प्रभार" रख दिए जायेंगे।

धारा 39-क का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 39 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

सुख सुविधा के लिए पथ-कर

"39-क—प्राधिकरण अपने विकास क्षेत्र के भीतर इस प्रकार अधिसूचित लोकप्रिय समागम स्थान के (जिसमें कोई प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक सम्मिलित है) पहुंच माग के लिए और अन्य सुख-सुविधा के उपयोग के लिए ऐसी दर पर और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, पथ-कर लगाने और परिदर्शकों से संग्रह करने का हकदार होगा :

परन्तु—

(क) पथ-कर की दर प्रति परिदर्शक दो रुपए से अधिक न होगी ;

(ख) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी वर्ग या वर्गों के परिदर्शकों को पथ-कर देने से छूट दे सकती है और ऐसा या ऐसे दिन नियत कर सकती है जब कोई पथ-कर नहीं लगाया जायगा।"

पहले से किए गए संग्रह का वैधीकरण

4—(1) इस अधिनियम द्वारा बढ़ायी गयी मूल अधिनियम की धारा 39-क में निर्दिष्ट किसी लोकप्रिय समागम स्थान के किसी परिदर्शक से इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी संग्रह को इस अधिनियम द्वारा बढ़ायी गयी मूल अधिनियम की धारा 39-क के अधीन किया गया संग्रह समझा जायगा और उसे विधिमान्य समझा जायगा और वह सदैव विधिमान्य रहेगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ, यदि संग्रह राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अनुमोदित दर से किया गया हो तो यह समझा जायगा कि उक्त धारा 39-क के अनुसार राज्य सरकार द्वारा इस आशय की आवश्यक अधिसूचनायें इस प्रकार जारी की गयी थीं, मानों उक्त धारा सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थीं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4 एवं खन्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण (पथ-कर) विधेयक, 1976 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण (पथ-कर) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रान्सफारमर (चोरी का निवारण और दन्ड) विधेयक, 1976

वित्त राज्य मन्त्री (श्रीमती इन्द्रमोहनी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रान्सफारमर (चोरी का निवारण और दन्ड) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक छोटा सा बिल है और इसके लिए एक आर्डीनेन्स आदरणीय राज्यपाल ने 6 अगस्त, 1976 को किया था। इस बिल में ट्रान्सफारमरों और कन्डक्टरों की जो हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा चोरी बहुत समय से होती आ रही है उसको कैसे रोका जाय? आदरणीय सदन को भी यह मालूम है और बहुत बार यहां गर्म चर्चा भी इस बात पर रही है कि बहुत ही रुपया खराब हो रहा है और साथ ही साथ यह भी है कि इन चोरियों से जो लास होता है उससे उद्योग और सिंचाई को भी हानि पहुंचती है। परिणामस्वरूप उत्पादन कम हो जाता है। चूंकि ट्रान्सफारमर और नए कन्डक्टर लगने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए यह बिल लाया गया है कि यह चोरियां किस तरह से बन्द की जायं। इसके विषय में यह भी कहना चाहती हूं कि 1974 में 4,524 ट्रान्सफारमर चोरी गये थे जो कि लगभग 5 करोड़ की सम्पत्ति थी।

1975 में 3,711, जनवरी, 1976 से सितम्बर, 1976 तक 1,448 ट्रान्सफारमर चोरी गए। आप स्वयं देखेंगे कि अब चोरी में 51 फीसदी कमी हुई है। यह अच्छी कमी है और आशा है कि जब यह बिल सदन पास कर देगा तब और जो चोरियां हैं वह बिल्कुल कम हो जायेंगी। इसके लिए बिल में कुछ कड़े तरीके भी रखे गए हैं जिससे चोरियां कम होंगी। इसमें यह भी है कि जिन लोगों के पास कापर या अल्मूनियम किसी भी फार्म में है उसको वही लोग रख सकते हैं जिनके पास लाइसेन्स होंगे। इसमें मात्रा भी निश्चित कर दी गयी है। मुरादाबाद में तो इसका बहुत ही उपयोग होता है। मैं अपने जिले का नाम लेते हुए नहीं शरमाती हूं चूंकि यह वहां का कलंक है। जब एक मात्रा निश्चित हो जाएगी तो डीलर उसी मात्रा में रखेंगे। इससे अनएथराइज्ड डीलरों को कड़ी सजा मिलेगी। इससे पहले सजा 3 साल की और एक हजार रुपए जुर्माना लगेगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा किया था कि शूट एट साइट। तो उसमें क्या हुआ, यह बता दें?

श्रीमती इन्द्रमोहनी—

वह भी हो रहा है। मैं उसके आंकड़े बाद में दूंगी।

दूसरे आफेन्सेज जो होंगे उसमें 5 साल की सजा और साथ ही साथ जुर्माना भी होगा।

एक सदस्य—

सजा कम है।

श्रीमती इन्द्रमोहनी—

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि सजा कम है तो आपको मैं आंकड़े दूंगी जिससे मालूम होगा कि 51 फीसदी चोरियां कम हो गयी हैं। जो इसमें सहायक होंगे उन्हें भी 3 साल की सजा और साथ ही साथ जुर्माना उनके ऊपर होगा। साथ ही साथ माननीय सदस्यों ने बिल में देखा होगा कि जिस ट्रक, मोटर या बैलगाड़ी में चोरी का माल पकड़ा जाएगा उसको भी जब्त कर लिया जाएगा। तो मैं यह आदरणीय सदन से निवेदन कर रही थी कि इस बिल को पारित करे क्योंकि इस विषय में चर्चा बहुत सालों से चल रही है। अभी आपने पूछा कि जो मुख्य मन्त्री जी ने शूट-एट-साइट कहा था उस विषय पर मेरा यह कहना है कि शूट-एट-साइट जब से हुआ है तब से बहुत ही चोरियों में कमी आ गयी है। अभी तक ऐसे 26 केसेज हो चुके हैं। मुझे आशा है कि आदरणीय सदन इस छोटे से बिल को स्वीकार करेगा।

श्री सन्त सिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

शूट-एट-साइट तो सेबोटेज में करते हैं। चोरी के लिए तो तीन साल की सजा काफी है।

श्री ऊदल—

मान्यवर, जो यह बिजली के तार और ट्रान्सफारमर के सम्बन्ध में विधेयक पेश किया गया है मैं समझता हूं कि इसमें और व्यापक विचार की आवश्यकता थी। इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है आप देखेंगी तो माननीय सदस्यों के बहुत आरोप हैं। पहली जनवरी और सितम्बर, 1976 तक का प्रश्न था माननीय त्रिपाठी जी का। तो इस साल एक करोड़ 90 लाख रुपए की ट्रान्सफारमरों की चोरी हुई जैसा आपने अभी जिक्र किया, पिछले वर्ष पांच करोड़ रुपए की हुई और पिछले साल कुछ कम हुआ। यह तीन चार करोड़ रुपए के कम नहीं होगा मेरा अपना ख्याल है। तो बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। बिजली की भी बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। एक तरफ आप बिजली की चोरी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वह कैसे होती है? कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझ कर करते हैं कुछ ऐसे हैं जो इन कड़े नियमों के बावजूद भी विभाग के लोगों से मिल कर चोरी करते हैं। यह लाखों करोड़ों रुपए की चोरी श्रीमन्, हर वर्ष होती है उसकी तरफ माननीय मन्त्री जी का कोई ध्यान नहीं है। और श्रीमन्, ताज्जुब की बात तो यह है कि जैसा यह फेमिली प्लानिंग चल रहा है आपके जितने अधिकारी बिजली विभाग के हैं एग्रीमेंट वगैरह सब होने के बाद उन्होंने कहा नसबन्दी केस दीजिए। कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरा तो दूसरा ही निवेदन है। नसबन्दी भी की गयी है लेकिन उसके बाद भी नसबन्दी के केसेज देने के बाद भी 6-6 महीने तक उनको कनेक्शन नहीं मिल पाया। इसको कौन देखेगा और इस विभाग के जो अधिकारी हैं हर एक जिले में वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि हमारे पास सामान नहीं है। यह वाराणसी का मामला है इसकी जांच करवा दें। वाराणसी में ही नहीं पूरे प्रदेश में यह चीज हो रही है चाहे माननीय सदस्य इसको कहें नहीं लेकिन दिल में यह बात है।

मान्यवर, इतना बड़ा विभाग बिजली का है जिस पर करोड़ों, अरबों रुपया खर्च हो गया है, वहां पर भी व्यापक तरीके से चोरी की समस्या है। बिजली की चोरी की समस्या है, किसानों को कनेक्शन न मिलने की समस्या है और भी कितनी ही समस्यायें हैं जिन पर वृहद् रूप से विचार करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि माननीया विद्युत् मन्त्री जी, डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी इसका व्यापक तरीके से प्रबंध करायेंगी मैंने उनको दो पत्र भी लिखे थे। मजबूरी में ही उनको लिखता हूं। तो इस प्रकार की गड़बड़ियां हो रही हैं। इनके ऊपर हर पहलू से विचार करने की आवश्यकता है और मुझे भरोसा है कि इनका समाधान हो सकेगा। लेकिन मन्त्री जी ने कहा कि जैसा केस का नेचर होगा उसी प्रकार सजा दी जायेगी। उसके हिसाब से तो मानो बनिए की दुकान है। तो

[श्री ऊदल]

बना लीजिए। देखा जायगा बाद में। लेकिन सरकार कड़े कदम उठाए। तो चोरी रुके और उनके साथ-साथ बिजली की चोरी भी रुके और लोगों का भला हो। इस दृष्टि से भी यह विधेयक हो तो बहुत अच्छा हो। सरकार का निगमों पर कोई कन्ट्रोल नहीं है। वह विद्युत् परिषद्, अभी आपने उस दिन देखा होगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी नहीं थे, के 2 कर्मचारी एक शायद श्री कुरैशी, अधीक्षण अभियन्ता और दूसरे एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर श्री पी0 आर0 सिंह0 साहब सरकारी गाड़ी लेकर नेपाल चले गये और नेपाल से हजारों रुपए का जैसे टी0 वी0 टेपरिकार्डर, खरीदकर के स्मगलिंग की। कस्टम के अधिकारियों ने पकड़ा और जांच की। सेन्ट्रल कस्टम ने भी अपनी रिपोर्ट बड़े-बड़े अधिकारियों तक और चीफ सेक्रेटरी को भी भेजी लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने अपनी बीबियों का नाम बता दिया कि इन दोनों की बीबियां गयी थीं और गाड़ी वही लेकर आयीं और कस्टम विभाग ने उनसे 900 रुपए वसूल किए। लेकिन कस्टम विभाग ने बड़े-बड़े अधिकारियों की जांच रिपोर्ट गाड़ी के नम्बर सहित लिखकर दे दी। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे-ऐसे भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारी पड़े हुए हैं जिनके बारे में ठीक से कार्यवाही नहीं होती है। जहां एक तरफ चोरों को 20-20 साल की सजा या आजीवन कारावास देने की बात हो रही है वहां ऐसे निकम्मे भ्रष्ट लोगों को, घूसखोरों को या विद्युत् परिषद् को नुक्सान पहुंचाने वालों को अगर गोली नहीं मारी जा सकती तो ऐसे लोगों को मीसा या डी0 आई0 आर0 में सस्पेन्ड करके बन्द कर देना चाहिए तभी आपके प्रशासन का कन्ट्रोल कायम हो सकता है, तभी यह घटनायें बन्द हो सकती हैं। मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी और माननीया राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी इस वृहद् मसले पर विचार करेंगी।

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

अभी जो माननीय सदस्य ने कुछ बातें रखी हैं। वह मैं समझती हूं कि माननीय सदस्य ने अच्छे विचार प्रकट किए हैं जिससे कि हमको लाभ हो सकता है जो उन्होंने कहा कि इस साल 1.90 करोड़ के ट्रान्सफारमर की अभी भी चोरी हुई है। यह मैं मानती हूं कि अभी भी काफी चोरी अधिक है परन्तु अगर वह देखेंगे कि सन् 1974 से इस समय वह कितना कम हो गया है तो मुझे पूर्ण आशा है कि सदन स्वयं ही इस बात को एप्रीशिएट करेगा कि अगर इतनी चोरी में कमी हो चुकी है, लगभग 51 प्रतिशत की, तो इसी रफ्तार से चलता रहा तो यह बिल पास होने पर और सख्ती होने पर यह चोरी थोड़े दिनों में बिल्कुल कम हो जाएगी।

दूसरी बात अभी उन्होंने यह कही कि उन्हें यह मालूम हुआ कि जहां पर लोगों ने रुपए भी जमा कर रखे हैं वहां पर विभागीय अधिकारियों ने कहा कि सामान नहीं है। इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहती हूं अगर वह कृपया बता दें और बेहतर होगा अगर लिखकर दे दें कि कहां पर ऐसे कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने कहा कि सामान नहीं है, कनेक्शन देने के लिए.....

श्री ऊदल—

बनारस के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर।

श्रीमती इन्द्रमोहनी—

तो मैं विश्वास दिलाती हूं कि बनारस के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर से स्वयं पूछा जायगा कि उन्होंने किस आधार पर कहा कि सामान नहीं है, कनेक्शन देने के लिए।

दूसरा प्रश्न जो आपने उठाया था कि जिसके बारे में कि अभी 3-4 दिन पहले प्रश्न भी आया था कि श्री कुरैशी और श्री पी0आर0 सिंह इन्जीनियरों के बारे में तो मैं इस विषय में बताना चाहती हूं कि विजिलेंस की इन्क्वायरी कम्प्लीट हो चुकी है उनके विरुद्ध ऐक्शन लिया जायगा और वह सस्पेन्ड किए जायेंगे। यह बिल जनहित में है। जब तक चोरी

कम नहीं होगी तब तक विद्युतीकरण का काम विशेषकर देहातों में रुका रहेगा। आदरणीय प्रधान मन्त्री के 20 सूत्री कार्य-क्रम के अन्तर्गत गांव-गांव में, घर-घर बिजली को पहुंचाना है, अत : आशा है कि इन बातों को मद्देनजर रख कर सदन इस बिल को पारित करेगा।

श्री ऊदल—

जिन लोगों ने नसबन्दी करा ली है, कम से कम उन्हें विद्युतीकरण कर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

उसे आप लिख कर दे देंगे।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रान्सफारमर (चोरी का निवारण और दण्ड) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)]

खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तथा खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रान्सफारमर (चोरी के निवारण और दण्ड) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के बिजली के तार और ट्रान्सफारमर या उनके पुर्जों की या उनके विनिर्माण में प्रयुक्त धातुओं को अप्राधिकृत रूप से कब्जे में रखने के लिए दण्ड की व्यवस्था करके बिजली के तार और ट्रान्सफारमर की चोरी के गम्भीर संकट को नियन्त्रित करने और उससे सम्बद्ध विषयों के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रांसफारमर (चोरी का निवारण और दन्ड) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश म होगा।

(3) यह 20 अगस्त, 1976 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

परिभाषाएं

2—जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(क) "अल्यूमीनियम" के अन्तर्गत धातुपिंड, द्रवीभूत या निर्मित रूप सहित प्रत्येक प्रकार का अल्यूमीनियम है ;

(ख) "तांबा" के अन्तर्गत धातुपिंड, द्रवीभूत या निर्मित रूप सहित प्रत्येक प्रकार का तांबा है ;

(ग) "लाइसेन्स प्राधिकारी" का तात्पर्य जिले के जिला मजिस्ट्रेट या इस अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के किसी कृत्य का सम्पादन करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी है।

अल्यूमीनियम और तांबे के विक्रय और संग्रह पर निर्बन्धन

3—(1) कोई भी व्यक्ति उस जिले के, जिसमें वह सामान्यतया निवास करता है लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा दिए गए लाइसेन्स के बिना अल्यूमीनियम या तांबे के क्रय या विक्रय का कारबार नहीं करेगा या ऐसा कारबार करने के लिए उनका संग्रह नहीं करेगा।

(2) लाइसेन्स देने की प्रक्रिया, उसकी विधिमान्यता की अवधि, उसे निलम्बित करने या रद्द करने, लाइसेन्स अस्वीकार, निलम्बित या रद्द करने के विरुद्ध अपील करने की प्रक्रिया, उसके सम्बन्ध में फीस, लाइसेन्सी द्वारा रखे जाने वाले

रजिस्टर और लेखा और उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां वही होंगी, जो विहित की जायें।

(3) जहां किसी समय किसी व्यक्ति के पास उसके स्टाक में विहित परिमाण से अधिक किसी परिमाण में अल्यूमीनियम या तांबा है वहां इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जायगा कि उसने ऐसा अल्यूमीनियम या तांबा क्रय या विक्रय का कारबार करने के लिए संग्रह किया है।

विद्यमान स्टाक की घोषणा

4—कोई व्यक्ति जिसके स्टाक में, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर, धारा 3 के अधीन विहित परिमाण से अधिक परिमाण में अल्यूमिनियम या तांबा है, उस दिनांक से जब ऐसा परिमाण प्रथमतः विहित किया जाय, पन्द्रह दिन के भीतर, लाइसेन्स प्राधिकारी को ऐसे स्टाक को घोषित करेगा।

बिजली का तार या ट्रान्सफार्मर को विधि विरुद्ध कब्जे में रखने के लिए शास्ति

5—कोई व्यक्ति जिसके कब्जा में कोई बिजली का तार या ट्रांसफार्मर या उसका कोई भाग या जिसके कब्जे में धातुपिंड के रूप में या द्रवीभूत या निर्मित या किसी अन्य रूप में कोई तांबा या अल्यूमीनियम (जो धारा 3 के अधीन विहित परिमाण से अधिक हो) पाया जाता है या यह साबित हो जाय कि पाया गया है—

(1) जिसके बारे में यह युक्तियुक्त सन्देह हो कि वह चुराया गया है या विधि विरुद्ध प्राप्त किया गया है, और जिसके सम्बन्ध में वह, यह साबित करने में असफल रहा है कि उसने उसका कब्जा विधि पूर्वक प्राप्त किया था, या

(2) जिसे उसने, यथास्थिति, धारा 4 के अधीन घोषित न किया हो या धारा 3 के अधीन विहित रजिस्टर या विवरणी में दिखाया न हो—

(क) प्रथम अपराध के लिए कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माना से भी दण्डनीय होगा और विशेष और पर्याप्त कारण के जो न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किए जायगे, अभाव में ऐसा कारावास एक वर्ष से कम का नहीं होगा और ऐसा जुर्माना एक हजार रुपए से कम का नहीं होगा;

(ख) द्वितीय या किसी अनुवर्ती अपराध के लिए कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकती है और जुर्माना से भी दन्डनीय होगा, और विशेष और पर्याप्त कारण से, जो न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किए जायेंगे, अभाव में ऐसा कारावास दो वर्ष से कम का नहीं होगा और ऐसा जुर्माना दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा।

अपराध के प्रति मौनानुकूलता के लिए दन्ड

6—भूमि या भवन के कोई स्वामी या अध्यासी या उस भूमि या भवन के प्रबन्ध के प्रभारी ऐसे स्वामी या अध्यासी का कोई एजेन्ट, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के किसी उल्लंघन की जानबूझ कर अनदेखी करता है, कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है या जुर्माना या दोनों से दन्डनीय होगा।

गाड़ी आदि का समपहरण करने का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति

7—इस अधिनियम के अधीन दन्डनीय किसी अपराध पर विचार करने वाला कोई न्यायालय किसी ऐसी सम्पत्ति का, जिसके बारे में न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, सरकार के पक्ष में समपहरण किए जाने का आदेश दे सकता है और किसी ऐसे पात्र, पैकेज या आवेष्टक का जिसमें ऐसी सम्पत्ति हो और ऐसी सम्पत्ति के वहन में प्रयुक्त पशुओं, गाड़ियों या अन्य वाहनों का समपहरण किए जाने का आदेश भी दे सकता है।

लाइसेन्स प्राधिकारी की शक्ति

8—लाइसेन्स अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, ऐसी सहायता से, यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे —

(क) किसी स्थान, भू-गृहादि, गाड़ी या जलयान के, जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के उपबन्धों का या इसके अधीन जारी किए गए किसी लाइसेन्स की शर्तों का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है, स्वामी, अध्यासी या किसी प्रभारी व्यक्ति से, कोई बही, लेखा या अन्य दस्तावेज, जिसमें ऐसे उल्लंघन से सम्बद्ध संव्यवहारों को दिखाया गया हो, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है ;

(ख) किसी स्थान या भू-गृहादि, गाड़ी या जलयान में, जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के उपबन्धों का या उसके अधीन जारी किए गए किसी लाइसेन्स की शर्तों का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है, प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है या उसे तोड़ सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है ;

(ग) किसी ऐसे दस्तावेज से, जिसमें उक्त उल्लंघन से सम्बन्धित संव्यवहार को दिखाया गया हो, उद्धरण या उसकी प्रतिलिपियां ले सकता है या लिवा सकता है ;

(घ) अल्यूमीनियम और तांबे के स्टाक की और उनका इस अधिनियम के उपबन्धों का या उसके अधीन जारी किए गए लाइसेन्स की शर्तों का उल्लंघन करते हुए वहन करने में जिन पशुओं, गाड़ियों, जलयानों या अन्य वाहनों का प्रयोग किया जाय, उनकी तलाशी ले सकता है, अभिग्रहण कर सकता है, और हटा सकता है और तत्पश्चात् ऐसी समस्त कार्यवाहियां, जो इस प्रकार अभिगृहीत किए गए स्टाक और पशुओं, गाड़ियों, जलयानों या अन्य वाहनों को किसी न्यायालय में पेश किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए और इस प्रकार पेश किए जाने तक उनकी निरापद अभिरक्षा के लिए आवश्यक हों, कर सकता है या करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

नियम बनाने की शक्ति

9—राज्य सरकार इस अधिनयम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है।

निरसन और अपवाद

उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 22, 1976

10—(1) उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रांसफार्मर (चोरी का निवारण और दण्ड) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तथा खंड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्द्रमोहनी—

मैं प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रान्सफार्मर (चोरी का निवारण और दन्ड) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रान्सफार्मर (चोरी का निवारण और दन्ड) विधयक, 1976 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत कोई सूचना नहीं है और एजेन्डे पर आइटम 32 में नियम 49 के अन्तर्गत जो आध घंटे की चर्चा है, उसे कल लेंगे।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 22 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
9 नवम्बर, 1976।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 742 पर ।)

विधायकों की सूची जिन्हें 1976 के जून माह में नैनीताल में आवास आबंटित किए गए ।

1—श्री रघुनाथ, सदस्य, विधान सभा,
2—श्री ओम प्रकाश, सदस्य, विधान सभा,
3—श्री फूल चन्द्र, सदस्य, विधान परिषद्,
4—श्रीमती चन्द्रावती, सदस्या, विधान परिषद्,
5—श्री रमाकान्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा,
6—श्री हरिश्चन्द्र खण्डेलवाल, सदस्य, विधान सभा,
7—श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा,
8—श्री बादाम सिंह, सदस्य, विधान सभा,
9—श्री केदार नाथ मालवीय, सदस्य, विधान परिषद्,
10—श्रीमती मालती पाण्डेय, सदस्या, विधान परिषद्,
11—श्री शाह अबुल फैज, सदस्य, विधान सभा,
12—श्री नारायण हरी शर्मा, सदस्य, विधान सभा,
13—श्री ईश्वर दयाल त्यागी, सदस्य, विधान परिषद्,
14—श्री जे0 पी0 श्रीवास्तव, सदस्य, विधान परिषद्,
15—श्री बेचन राम, सदस्य, विधान सभा,
16—श्री प्रेमदत्त तिवारी, सदस्य, विधान सभा,
17—श्री पी0 एल0 बधवार, सदस्य, विधान सभा,
18—श्री इस्तिफा हुसैन, सदस्य, विधान परिषद्,
19—श्री चन्द्र सेन, सदस्य, विधान परिषद्,
20—श्री मनीराम, सदस्य, विधान सभा,
21—श्री कैप्टेन राम गरीब, सदस्य, विधान सभा,
22—श्री देवी सिंह, सदस्य, विधान सभा,
23—श्रीमती एस0 के0 बख्शी, सदस्य, विधान सभा,
24—श्री रंजीत सिंह जूदेव, सदस्य, विधान सभा,
25—श्री श्याम किशोर, सदस्य, विधान सभा,
26—श्री आबिद अली अन्सारी, सदस्य, विधान सभा,
27—श्री मिसिर यार खां, सदस्य, विधान सभा,
28—श्री राम औतार दीक्षित, सदस्य, विधान परिषद्,
29—श्री नवाब मुर्तजा अली खां, सदस्य, विधान सभा,
30—श्री मंजूर अहमद, सदस्य, विधान सभा,
31—श्री आगा जैदी, सदस्य, विधान सभा,
32—श्री मंजूर अली खां, सदस्य, विधान सभा,
33—श्री मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, सदस्य, विधान सभा,
34—श्री मिठ्ठन लाल त्रिवेदी, सदस्य, विधान परिषद्,
35—श्री काजी जलील अब्बासी, सदस्य, विधान सभा,
36—श्री ए0 सी0 दास, सदस्य, विधान परिषद्,
37—श्री मुनि देव, सदस्य, विधान परिषद्,
38—श्री नजु राम सदस्य, विधान सभा,
39—श्री दीप नारायण बन, सदस्य, विधान सभा,
40—श्री सोहन लाल लाट, सदस्य, विधान सभा,
41—श्री राम रतन सिंह, सदस्य, विधान सभा,

42—श्री सालिग राम जायसवाल, सदस्य, विधान परिषद्,
43—श्री प्रियदर्शी जैटली, सदस्य, विधान सभा,
44—श्री शिवानन्द नौटियाल, सदस्य, विधान सभा,
45—श्री सत्यपाल मलिक, सदस्य, विधान सभा,
46—श्री माखन लाल मिश्र, सदस्य, विधान सभा,
47—श्री मोहम्मद असरार अहमद, सदस्य, विधान सभा,
48—श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा,
49—श्री जगत नारायण गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्,
50—श्री गंगा स्वरूप, सदस्य, विधान सभा,
51—श्री महेश सिंह, सदस्य, विधान सभा,
52—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, सदस्य, विधान सभा,
53—श्री ब्रह्मदत्त, सदस्य, विधान सभा,
54—श्री ए0 सी0 ग्राइस, सदस्य, विधान सभा,
55—श्री श्याम लाल रावत, सदस्य, विधान सभा,
56—श्री आर0 के0 गर्ग, सदस्य, विधान सभा,
57—श्री राम देव, सदस्य, विधान सभा,
58—श्री राम शंकर त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा,
59—श्री राम आधार पाण्डेय, सदस्य, विधान परिषद्,
60—श्री शिव शंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा,
61—श्री गोरे लाल शाक्य, सदस्य, विधान सभा,
62—श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, सदस्य, विधान सभा,
63—श्री देव बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा,
64—श्री अनवार अहमद, सदस्य, विधान सभा,
65—चौधरी नवाब सिंह, सदस्य, विधान परिषद्,
66—श्रीमती इन्द्रा हृदयेश, सदस्य, विधान परिषद्,
67—श्री गंगा प्रसाद, सदस्य, विधान सभा,
68—श्री एल0 डी0 सिंघल, सदस्य, विधान परिषद्,
69—श्री क्रान्ति कुमार, सदस्य, विधान सभा,
70—श्री अजमत हुसेन, सदस्य, विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए पीछे पृष्ठ 744 पर।)

विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण विधेयक, 1976 में विधान परिषद् द्वारा किया गया संशोधन :—

"खंड संख्या 2 के उपखंड (1) की प्रथम पंक्ति में शब्द "सिर" और "पर" के बीच में शब्द 'या कूल्हे' बढ़ा दिए जायं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए पीछे पृष्ठ 746 पर)

वर्ष 1976 में उत्तर प्रदेश में बाढ़, अतिवृष्टि आदि से हुयी क्षति का विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	प्रभावित ग्रामों की जन-संख्या	प्रभावित जन-संख्या	प्रभावित क्षेत्रफल (एकड़)	प्रभावित कृषि क्षेत्रफल (एकड़)	क्षतिग्रस्त-ध्वस्त मकान	जीवन हानि	
							मनुष्य	पशु
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुजफ्फरनगर	227	54,257	1,24,713	32,815	508	..	..
2	मेरठ ..	75	27,000	34,000	11,000	512	1	..
3	बुलन्दशहर ..	273	2,51,000	1,89,908	1,80,908	4,348	8	9
4	अलीगढ़ ..	436	2,93,761	1,87,185	84,952	15,606	31	17
5	मथुरा ..	897	11,05,598	7,29,064	4,15,052	43,607	62	356
6	आगरा ..	474	2,63,156	2,68,372	1,46,430	8,017	2	..
7	बरेली	651	2,30,731	1,72,120	46,663	619	3	..
8	मुरादाबाद ..	458	1,82,751	2,60,412	1,11,431	1,179	..	..
9	शाहजहांपुर ..	727	3,39,585	2,72,160	1,60,320	2,201	1	..
10	पीलीभीत ..	312	1,20,472	1,10,224	35,549	2,079	..	..
11	रामपुर ..	274	1,04,660	82,890	49,670	1,243	3	..
12	फर्रुखाबाद ..	1,086	5,50,674	4,54,895	1,84,763	3,389	10	..
13	गोरखपुर ..	450	1,21,733	57,716	30,325	92	..	..
14	बस्ती ..	589	1,34,245	90,325	62,567	73	..	..
15	देवरिया ..	56	45,904	45,558	34,735	775	3	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

16	उन्नाव	..	389	2,40,827	1,22,470	61,391	819	..	3
17	सीतापुर	..	161	67,369	43,10:	34,006	54	..	..
18	हरदोई	..	676	4,04,487	2,98,721	2,08,118	828	4	..
19	खीरी	..	232	1,00,510	1,28,057	85,775	1,656	6	..
20	बहराइच	..	174	80,500	96,500	52,000	181	1	..
21	बाराबंकी	..	250	1,14,351	1,08,965	57,955	156	..	..
22	फैजाबाद		1,541	3,38,225	2,89,197	1,16,402	11,273	10	21
23	फतेहपुर	..	72	2,000	16,446	10,000	53	..	..
24	आजमगढ़	..	5,421	25,68,214	10,29,963	6,57,101	31,545	19	37
25	गाजीपुर	..	3,339	11,86,591	4,37,457	3,16,005	38,642	13	25
26	मिर्जापुर	..	1,046	4,16,500	2,01,107	1,59,300	17,062	14	1,165
27	वाराणसी	..	3,432	12,30,000	7,00,000	5,25,000	32,000	12	101
28	जौनपुर	..	3,216	18,21,348	8,87,207	4,89,409	31,253	7	320
29	सुल्तानपुर	..	1,166	82,000	3,00,000	2,07,056	10,919	4	19
30	बलिया	..	1,925	8,93,194	4,81,242	2,67,965	22,570	18	3
31	प्रतापगढ़	..	1,279	2,52,890	55,000	40,115	4,671	1	71
32	इलहाबाद	..	4,092	5,00,000	6,81,652	4,60,000	2,753	12	253
33	नैनीताल	..	..	205	1,700	..	7	4	..
34	अल्मोड़ा		..	..	..	..	21	5	..
35	पिथौरागढ़	..	26	26,000	..	..	43	2	4
36	चमोली	..	13	500	6,400	5	2	1	21
	योग	..	35,435	1,41,51,338	89,64,709	53,34,883	2,90,757	257	2,425

अनेक वर्ष विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 814 पर।)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1976

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) यह 1 मई, 1976 से प्रवृत्त समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1961 में नयी धारा 9-क का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम, 1961, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

कुछ मामलों में अस्थायी व्यवस्था

"9-क—जब प्रमुख, अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वाह करने में असमर्थ हो और उप-प्रमुख के पद रिक्त हों, या जब उप-प्रमुख, यदि कोई, हो, जो प्रमुख के पद की रिक्ति के दौरान धारा 83 के अधीन कार्य कर रहा है, अपने कृत्यों का निर्वाह, अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से करने में असमर्थ हो, तब जिस दिनांक तक कि, यथास्थिति, प्रमुख अथवा उप-प्रमुख अपने कर्त्तव्यों को फिर से संभाले, उस दिनांक तक जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा प्रमुख के कृत्यों का निर्वाह करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकता है, जिससे वह ठीक समझे।"

नयी धारा 21-क का दी बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 21 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा जायगी, अर्थात् :—

कुछ मामलों में अस्थायी व्यवस्था

"21-क—जब अध्यक्ष, अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वाह करने में असमर्थ हो, और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है या जब उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष के पद की रिक्ति के दौरान धारा 60 के अधीन कार्य कर रहा है, अपने कृत्यों का निर्वाह, अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण के करने में असमर्थ हो, तब जिस दिनांक तक कि, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अपने कर्त्तव्यों को फिर से संभाले, उस दिनांक तक राज्य सरकार आदेश द्वारा अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वाह करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकती है, जिसे वह ठीक समझे।"

निरसन तथा अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 20, 1976

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के ततूसम उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों पर प्रवृत थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 21(2) के द्वितीय अनिवन्धात्मक खण्ड के अधीन यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तो राज्य सरकार अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अस्थायी प्रबन्ध कर सकती है। ऐसी स्थिति के निराकरण के लिए कोई उपबन्ध नहीं है जब उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो और अध्यक्ष किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो। ऐसी ही स्थिति क्षेत्र समिति के प्रमुख के कृत्यों के सम्बन्ध में भी थी। अत: यह आवश्यक समझा गया कि ऐसी स्थिति के निराकरण हेतु कुछ अन्तरिम प्रबन्ध करने के लिए उपबन्ध बनाया जाय।

2—तदनुसार यह विधेयक पुर:स्थापित किया जाता है।

रामजी लाल सहायक,
ग्राम्य विकास मन्त्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0—एल0 225 वि0 सभा—(511)—1977—8401